लोक-सभा

बुधवार,
१० अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जूलाई से २० अगस्त, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७	१–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२ .	४५-४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४ .	१८-६६
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८० . .	६७–१११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से११७	१११–१३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५	१३५–१५२
अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५ .	१५३–१९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१९७-२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३	२०३–२१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३	२१०–२२४
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२	२२५–२६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६	२६६–२८२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१ . . .	२८२-२९२

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२९ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ . २९३ ३४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . . ३४४–३५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२५ ३५८ -३८२

अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २९२, २९५ से २९९, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०९, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २९३, ३०६, ३१३ और ३०८ . ३८३ -४२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २९४, ३००, ३०१ और ३१० . ४२१–४२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . . ४२४–४३६

अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४९, ३५१, ३५२ और ३५४ . ४३७ ४८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३९, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . . ४८१ ४८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ . ४८५ -४८९

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५९, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७९ से ३८४, ३८६ से ३९२, ३९५, ३९८ से ४०० और ४०२ . ४९९ ५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . ५४५ ५४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६९, ३७६, ३७८, ३८५, ३९३, ३९४, ३९६, ३९७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ . ५४९ ५६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १९८ ५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२९, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . ६२५ ६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ ६४३ ६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . ६८९ ६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ ६९५ ७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६, ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . ७०५ ७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५,५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . ७६३-७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५६८,५९२ ५६३, ५९१ और ५९३ . ७८१-८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ८२४-८२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९ ८२६–८३२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३ ८३२–८४८

अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . . ८४९–८९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२९, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६०. ८९२–९०६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ . ९०६–९१८

अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . . ९१९ ९६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२ . . . . . ९६१–९६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ . ९६९–९९४

अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२ ९९५–१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १०३२ १०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ . १०३५–१०४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ . १०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८९, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४९७ और ७६४. १०५१-१०९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . १०९७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०९, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९२, ८९६, ९०१, ९११, ९१८, ९१९, ९२१, ९२२, ९२५ और ९२९ १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न सख्या ४५२ से ४७२ १३४५ १३५८

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ से ९३५, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४५, ९४७, ९४८, ९५० से ९५३, ९५७, ९५९ से ९६२, ९६८, ९७०, ९७१, ९७४, ९७५, ९३१, ९३८, ९३६, ९४९, ९५४, ९६५ और ९७२ . १३५९ -१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३२, ९३७, ९३९, ९४२, ९४६, ९५५, ९५८, ९६३, ९६४, ९६६, ९६७, ९६९ और ९७३ . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . १४१४–१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक सभा

बुधवार, १० अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हाथ-करघा कपड़ा विपणन समिति

*६०१. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा अखिल भारतीय हाथ-करघा कपड़ा विपणनसहकारी समिति को किस प्रकार की सहायता और प्रोत्साहन दिया गया अथवा देने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): अब तक सरकार ने अदा हुई शेयर पूंजी की तिगुनी रकम तक समिति को कर्जा देने का निश्चय किया है। यह रकम लगभग १५ लाख रु० बैठती है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं जानना चाहता हूं कि इस संस्था के उद्देश्य क्या हैं ?

श्री कानूनगो: इस संस्था का उद्देश्य हैंडलूम के कपड़ों की बिक्री में सहूलियत देना है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: यह समिति कब से काम करने लग जायेगी और इसके परसोनेल के क्या नाम हैं ?

श्री कानूनगो: अभी हाल ही में इसकी रजिस्ट्री हुई है और पहली मीटिंग हो चुकी है। दूसरी मीटिंग इस महीने में होगी । इसके मेम्बर खाली को-आपरेटिव सोसायटी वाले हो सकते हैं, दूसरे नहीं । पहली दफा जो डाइरेक्टर्स हुए हैं वह गवर्नमेंट द्वारा मुकर्रर किये गये हैं, उनके नाम ये हैं :

१. श्री एन० पी० नाचिमुत्तु मुदालियर, सभापति मद्रास राज्य हैंडलम वीवर्स को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मद्रास ।

२. नवाब ऐजाज़ रसूल, उप-सभापति, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल को-आपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड, कानपुर ।

३. श्री रमाकान्त राव सभापति, आन्ध्र हैंडलूम वीवर्स को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, विजयवाड़ा।

४. श्री जे० ए० एंड्रयू, मदुरा मिल्स कंपनी लिमिटेड, मदुरै ।

५. श्री कोंडा लक्ष्मण, सभापति, हैदराबाद हैंडलूम वीवर्स सेंट्रल को आपरेटिव एसोसियेशन लिमिटेड, हैदराबाद ।

६. श्री एम० सोमप्पा, सभापति, येम्मिगनूर वीवर्स को-आपरेटिव प्रोडक्शन एंड सेल सोसायटी लिमिटेड, येम्मिगनूर ।

७. श्रीमती पुपुल जयकर, २५, डूंगरसी रोड, मालाबार हिल, बंबई ।

८. सभापति, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, बंबई ।

९. संयुक्त रजिस्ट्रार, औद्योगिक सहकारी समितियां और ग्रामोद्योग, पूना ।

श्री हेडा : यह मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसायटी हिन्दुस्तान में ही माल बेचने का काम करेगी या बाहर भी माल बेचने का काम करेगी ?

श्री कानूनगो : हिन्दुस्तान में भी बेचेगी और निर्यात भी करेगी ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि मध्य प्रदेश का, जहां पर हथकरघा उद्योग बहुत-कुछ चल रहा है, कोई भी प्रतिनिधि क्यों नहीं लिया गया है ।

श्री कानूनगो : यह उन सोसायटियों पर निर्भर है, जो इस सोसायटी की सदस्यता का दायित्व संभालना चाहती हैं। मध्य-प्रदेश की सोसायटियों ने इसका सदस्य बनना ही पसन्द नहीं किया है ।

चंडीगढ़ रेडियो स्टेशन

*६०२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ रेडियो स्टेशन बनाने के संबंध में अब तक कितनी राशि व्यय की गयी है;

(ख) स्टेशन कब से काम करने लगेगा; और

(ग) उस पर कुल कितनी राशि व्यय की जायगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). चंडीगढ़ में स्टेशन खोलने का कोई प्रश्न नहीं है । प्रस्ताव एक सहायक स्टूडियो बनाने का है । यह स्टूडियो आकाशवाणी के जालंधर केन्द्र से संबंधित होगा । अब तक इस परियोजना पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया है, क्योंकि चंडीगढ़ में उपयुक्त स्थान का प्रश्न ही अभी तय नहीं हो सका है ।

(ग) अनुमानित लागत लगभग २५,००० रुपये हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब में इस प्रकार के कितने सहायक स्टूडियो हैं और क्या पैप्सू में भी एक सहायक स्टूडियो बनाने का विचार है ?

डा० केसकर : पंजाब में और कोई सहायक स्टूडियो नहीं है और न कोई बनाने का ही विचार है। पैप्सू में एक पटियाला में बनाने का विचार है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि सहायक स्टूडियो और एक रेडियो स्टेशन में क्या अंतर है और क्या एक सहायक स्टूडियो से भी वार्तायें प्रसारित की जाती हैं या नहीं ?

डा० केसकर : सहायक स्टूडियो समय-समय पर प्रसारण के लिये होता है। वह पूरे दिन या साल में प्रतिदिन काम नहीं करता आकाशवाणी का एक स्टेशन पूरे दिन काम करता है और सवेरे, दोपहर और शाम को कार्यक्रम प्रसारित करता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जब चंडीगढ़ स्टूडियो काम करने लगेगा, तो शिमला का सहायक स्टूडियो बंद कर दिया जायेगा ?

डा० केसकर : इस समय शिमला में कोई भी सहायक स्टूडियो नहीं है । वास्तव में शिमला में एक सहायक स्टेशन पहले से ही खोला जा चुका है, जिसका काम पहाड़ी क्षेत्रों की सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

*६०३. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास में सहायता देने के लिये विदेशी टैकनीकल विशेषज्ञों को भरती करने का विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ये विशेषज्ञ किन-किन देशों से भरती किये जा रहे हैं; और

(ग) इस देश में उनकी नौकरी की शर्तें और निबंधन क्या रखे गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३७]**

श्री ईश्वर रेड्डी : विवरण से मुझे पता चलता है कि केवल कुछ ही उद्योग चुने गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि हथकरघा आदि जैसे उद्योग क्यों नहीं रखे गये हैं ?

श्री कानूनगो : जिन उद्योगों को टैकनीकल सहायता की जरूरत है और जिनके लिये उपयुक्त प्रकार के परामर्श दाता उपलब्ध हैं, शुरू में उन्हीं उद्योगों को ही लिया गया है। हथकरघा उद्योग के बारे में तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में जिस प्रकार के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, वे और कहीं के भी विशेषज्ञों से अच्छे हैं।

डा० रामा राव : यह बताया गया है कि व्यय फोर्ड प्रतिष्ठान देता है। क्या मैं जान सकता हूं कि इन व्यक्तियों को कौन चुनता है ; क्या फ़ोर्ड प्रतिष्ठान ने नाम चुनकर सरकार के पास भेज दिये हैं, या नाम चुनने में सरकार ही कार्यारंभ करती है ?

श्री कानूनगो : चुनाव भारत सरकार के पदाधिकारियों द्वारा किया गया था। फोर्ड प्रतिष्ठान की एजेंसियों ने उसकी सहायता की थी।

डा० रामा राव : व्यय फोर्ड प्रतिष्ठान देता है। क्या इसमें भारत में देय आयकर शामिल है या इसमें इन विशेषज्ञों द्वारा अपने अपने देशों में देय आयकर शामिल है ?

श्री कानूनगो : उनके वेतनों में भारत में देय आयकर शामिल नहीं है।

श्री नानादास : ये विशेषज्ञ छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये बुलाये जाते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस देश में उनके काम का स्वरूप और विस्तार क्या है ?

श्री कानूनगो : जैसा कि विवरण के स्तंभ १ में बताया गया है, ये लोग उद्योग विशेष में विशेषज्ञ हैं। ये लोग उन उद्योगों में कार्यरत संस्थायों की सहायता करेंगे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*६०५. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री २५ फरवरी, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब योजना आयोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित के विस्तार और पूर्ति की योजनाओं को शामिल करने के लिये सहमत हो गया है:

(१) आन्ध्र पेपर मिल्स, राजामुंद्री;

(२) गुडूर स्थित चीनी मिट्टी कारखाना;

(३) तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वर स्ट्रा-बोर्ड कारखाना;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित और अनुमोदित लागत क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं से अनुमानित लाभ कितना होगा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) अब तक नहीं।

(ख) आन्ध्र सरकार ने योजना (१) और (३) की लागत के लिये क्रमश ५० लाख और १० लाख रुपयों का अनुमान लगाया है। योजना (२) के लिये राज्य सरकार ने अभीतक कोई भी प्राक्कलन नहीं भेजा है।

(ग) राज्य सरकार ने ये विवरण अब तक नहीं भेजे हैं।

श्री नानादास : चूंकि गुड्डर स्थित चीनी मिट्टी का कारखाना चीनी मिट्टी के शौचालय सम्बन्धी सामान अपेक्षतया कम मूल्य पर देता है, इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री एस० एन० मिश्र : दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के परीक्षण के समय इन सभी बातों पर विचार किया जायेगा ।

तिलैया बांध

*६०६. **श्री इब्राहीम :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलैया स्थित जलविद्युत् बिजली घर द्वारा प्रति मास कितनी बिजली पैदा की जाती है;

(ख) बिहार सरकार द्वारा इसमें से कितनी बिजली ले ली जाती है; और

(ग) कृषि सम्बन्धी कार्यों में कितनी बिजली काम आती है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) लगभग १२.६ लाख के० डबल्यू० एच० (किलोवाट आवर्स) प्रति मास।

(ख) लगभग १०.३ लाख के० डबल्यू० एच० प्रति मास । विभागीय काम में खर्च होने वाली थोड़ी सी मात्रा को छोड़ सारी बिजली बिहार सरकार को बेच दी जाती है ।

(ग) १९५४ में २४९७१ के० डबल्यू० एच० ।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह सच है कि बिहार सरकार दामोदर घाटी निगम से बिजली १ आने प्रति यूनिट की इकट्ठी दर से ले लेती है और प्रति यूनिट लगभग ७ आने की फुटकर दर से बेचती है ? इतने अधिक अंतर का कारण क्या है ?

श्री हाथी : यह सच नहीं है कि बिहार सरकार ७ आने प्रति यूनिट के भाव से बेचती है । बिहार सरकार द्वारा ली जाने वाली दरें हैं :— औद्योगिक काम के लिये ०–२–६, सड़क की रोशनी के लिये ०–२–६, कृषि सम्बन्धी काम के लिये ०–२–६, घरेलू काम के लिये ०–२–०, घरेलू रोशनी और पखों के लिये ०–४–६ ।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह सच है कि रांची में दर ७ आने प्रति यूनिट है ?

श्री हाथी : ये दरें तिलैया बांध की बिजली की हैं । प्रश्न का संबंध तिलैया बांध से है और बिहार सरकार द्वारा मेरे द्वारा बतायी गयी दरें ली जाती हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि पैदा की गयी बिजली में से कितनी बिहार की अभ्रक-खानों में जाती है ?

श्री हाथी : दामोदर घाटी निगम बिहार सरकार को इकट्ठी बिजली बेच देता है । तिलैया बांध द्वारा पैदा की गयी सारी बिजली बिहार सरकार को बेच दी जाती है । विभिन्न उद्योगों और खानों को इस बिजली के बांटने का काम बिहार सरकार का है । ये आंकड़े बिहार सरकार से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि तिलैया बांध से अब जो २००० किलोवाट बिजली बनायी जाती है, इससे ज्यादा बिजली तैयार करने की कोई योजना है ?

श्री हाथी : जी नहीं । क्षमता ४००० किलोवाट की है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

*६०७. **डा० सत्यवादी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री निम्नलिखित बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे:

(क) १९५५-५६ में छोटे उद्योगों के विकास के लिये दिल्ली, पंजाब, पैप्सू, और हिमाचल प्रदेश के लिये अब तक कुल कितनी राशि मंजूर की गयी और दी गयी है;

(ख) १९५४-५५ में दी गयी राशियों की तुलना में ये राशियां कैसी हैं; और

(ग) क्या इस सहायता के कारण इनमें से प्रत्येक राज्य में रोजगार पाने वाले या लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८]**

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह तमाम रुपया स्टेट गवर्नमेंट्स को अदा कर दिया गया है या कुछ अभी तक अदा करने को है?

श्री कानूनगो : यह इन्फारमेशन स्टेटमेंट में दी गई है। पंजाब गवर्नमेंट को सारे का सारा रुपया १९५४-५५ का मिल गया है और १९५५-५६ के बारे में कोई इत्तिला नहीं है। हिमाचल प्रदेश को सारा रुपया मिल गया है। दिल्ली गवर्नमेंट और पैप्सू गवर्नमेंट को भी सारा रुपया मिल गया है।

डा० सत्यवादी : क्या ऐसा कोई अंदाजा किया गया है कि इस स्कीम से कितने हरिजनों को या हरिजन को-ओप्रेटिव सोसाइटियों को फायदा पहुंचेगा? अगर नहीं तो क्या सरकार इस किस्म के कोई आकड़े अलहदा मालूम करने का इरादा रखती है ताकि हरिजनों के आर्थिक विकास का अंदाजा हो सके?

श्री कानूनगो : को-आपरेटिव सोसाइटियों के बारे में जहां तक हरिजनों और दूसरों का ताल्लुक है, अलहदा अलहदा योजनायें नहीं बनाई गई हैं। इस वास्ते इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या मैं जान सकता हूं कि उन सरकार ने इसका कुछ हिसाब लगाया है कि छोटे पैमाने के उद्योगों में एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिये औसतन कितनी राशि लगानी पड़ती है?

श्री कानूनगो : इस राशि में उद्योग-उद्योग और स्थान-स्थान में अंतर रहता है।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो रुपया दिया गया है वह उधार दिया गया है या सहायता के रूप में दिया गया है?

श्री कानूनगो : इसके लिए नोटिस चाहिये।

कोटा हाउस

*६०८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कोटा हाउस, नई दिल्ली, में राज्य सरकारों के मंत्रियों के आतिथ्य के प्रबन्ध में १९५४-५५ में कितना धन व्यय हुआ है; और

(ख) क्या सरकारी काम से नई दिल्ली आने वाले राज्य सरकारों के मंत्रियों से खाने तथा निवास के लिये कोई खर्चा लिया जाता है?

निर्माण आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ठहरने और खाने के प्रबन्ध में क्रमशः २,५७४ रुपये और ४,०७५ रुपये ८ आने खर्च हुये।

(ख) जी नहीं।

श्री झूलन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि वह कौन-कौन सी प्रादेशिक सरकारें हैं

जिनके मंत्री कोटा हाउस में आकर ठहरे और इससे लाभ उठाया ?

सरदार स्वर्ण सिंह : करीब-करीब सभी राज्य सरकारों के मंत्री कोटा हाउस में आकर ठहरे।

श्री तिम्मय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस कोटा हाउस में मंत्रियों के लिये सवारी की सुविधा भी दी जाती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां, सवारी भी दी जाती है।

श्री सारंगधर दास : इस बात की दृष्टि में कि इन राज्यों से आने वाले मंत्रियों को भत्ता मिलता है, उनसे कुछ लिया क्यों नहीं जाता ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सामान्यतः सभी मंत्री चाहे वे केन्द्र के हों या राज्य के, जब वे केन्द्र या राज्य में सरकारी अतिथि होते हैं, कुछ भी भत्ता नहीं लेते।

सूत कातने के और सावयव मिल

*६०९. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में देश में कुछ नये सूत कातने के और सावयव मिल स्थापित करने की कोई योजना है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : जहां तक कातने के मिलों का सम्बन्ध है, उत्तर स्वीकारात्मक है। सावयव मिलों के बारे में सरकार नये करघे स्थापित करने की अनुमति नहीं दे रही है।

श्री विश्वनाथ राय : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस मिल की स्थापना का विचार है, उसमें प्रति वर्ष कितने गज का उत्पादन होगा ?

श्री कानूनगो : वर्ष १९५४ में उत्पादन ४९९८० लाख गज था।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैंने उत्तर से यह समझा था कि सावयव मिलों को नये करघे लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। क्या यह ठीक है ?

श्री कानूनगो : हां।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : जो मिल बचतहीन आधार पर चल रहे हैं, क्या उनमें अतिरिक्त करघे उनको बचतपूर्ण बनाने के लिये लगाने दिये जायेंगे ?

श्री कानूनगो : अभी तो सभी करघों पर रोक है।

मन्दिर

*६१०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि थाईलैंड सरकार का विचार भारत में एक मन्दिर बनाने का है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खाँ) : जी हां, बोध-गया में एक बौद्ध मन्दिर बनवाने का उनका विचार है।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई और भी ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत में मन्दिर बनाने की दरख्वास्तें भेजी हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : जी नहीं, कोई और ऐसी दरख्वास्तें नहीं आईं और न ही हम औरों से मन्दिर बनाने की दरख्वास्ते ही करते हैं

इस्पात

*६११. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी इस्पात उपक्रमों में इस्पात विधायन की नवीन प्रणाली लागू करने का है ;

(ख) यदि हां तो, वह क्या होगी; और

(ग) क्या भारत के सरकारी इस्पात कारखानों का समूचा उत्पादन इसी प्रणाली से होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). नवीन एल० डी० (लिज-डोनाविट्ज) विधायन को, जो हाल ही में आस्ट्रिया में खोजा गया है, हिन्दुस्तान स्टील लि० के मामले में अधिकांश इस्पात उत्पादन के निर्माण के लिए अपनाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। अभी यह कहना असामयिक है कि यह विधायन सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली अन्य इस्पात इकाइयों में प्रयोग किया जायेगा या नहीं, और यदि प्रयोग किया जायेगा तो किस सीमा तक।

डा० राम सुभग सिंह : क्या भारत सरकार ने इस देश में वह विधायन प्रणाली लागू करने में सरकार की सहायता करने के के लिए आस्ट्रिया की किसी टैकनीकल टीम को आमन्त्रित किया है ?

श्री कानूनगो: यह एक सुविख्यात विधायन है, जो संसार के बहुत से देशों में प्रयोग में लाया जाता है और इस विधायन के सम्बन्ध में परामर्श के लिए हिन्दुस्तान स्टील के परामर्शदाता भी सुपात्र हैं।

छोटे पैमाने के उद्योग

*६१२. **श्री विभति मिश्र** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा तैयार वस्तुओं के विपणन के लिये सरकार ने एक विस्तृत योजना स्वीकृत की है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं तथा यह कब से लागू होगी ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, दस्तकारी बोर्ड और रेशम बोर्ड अपने-अपने क्षेत्र में बनी हुये माल की बाजार में आसानी से खपत करने के प्रश्न पर काफी ध्यान दे रहे हैं। परन्तु सरकार के पास कोई विस्तृत योजना विचार करने के लिये नहीं भेजी गई है।

(ख) विभिन्न बोर्डों ने हाथ की बनी हुई वस्तुओं की सर्व प्रियता बढ़ाने के लिये कुछ कदम उठाये हैं जैसे बिक्री भंडारों को खोलना, प्रदर्शनियों में भाग लेना, तथा दस्तकारियों की सूची छापना, इत्यादि।

श्री विभूति मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार छोटे-छोटे पैमाने के ग्रामोद्योगों के लिए तो इतना रुपया दे रही है, लेकिन क्या सरकार गांव में जो चर्खा चला कर सूत कातता है, या जो माल लोहार तैयार करता है या बढ़ई तैयार करता है, उनके माल को खरीदने का भी कोई इंतज़ाम करती है या नहीं करती है ?

श्री सतीश चन्द्र : खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड इस बात पर विचार कर रहा है कि जो सूत देहातों में काता जाता है या देहातों में जो दूसरे उद्योग हैं जैसे तेल का, उनका को-आपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिये से संगठन हो और उनको माली इमदाद भी दी जाये। बोर्ड इस पर भी ध्यान देता है कि किस तरह माल की बाज़ार में आसानी से खपत हो।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को मालूम है कि आजकल गांवों में जो छोटे-छोटे काम करने वाले आदमी हैं उनके पास बहुत सा सामान पड़ा हुआ है और कोई खरीदने वाला नहीं है। क्या सरकार जो अनुदान देती है उसमें से इसके लिए कुछ रकम अलग रख देगी ताकि उनके माल को खरीद जा सके ?

श्री सतीश चन्द्र: अगर किसी विशेष स्थान की कठिनाइयों की तरफ माननीय

सदस्य ध्यान दिलायेंग तो खादी बोर्ड को लिखा जाएगा कि उन पर विचार करे।

श्री विभूति मिश्र: खादी का सवाल नहीं है और सामान भी तैयार होता है। वहां पर लोहार है, बढ़ई है, चूड़ी बनाने वाला है जिनके पास काफी सामान पड़ा हुआ है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है जिसके कारण उनमें बेरोज़गारी बढ़ रही है।

श्री सतीश चन्द्र: इस सम्बन्ध में अगर माननीय सदस्य बतायें कि किस जगह पर क्या सामान है तो सरकार अवश्य विचार करेगी।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना

*६१३. **श्री ए० के० गोपालन**: क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिए कितना और कैसा विदेशी साहाय्य ऋण या सहायता निर्धारित की गई है;

(ख) क्या इस साहाय्य, ऋण या सहायता के लिए कोई शर्तें रखी गई हैं; और

(ग) यदि हां तो, वे क्या हैं?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिए सम्भवतः जो विदेशी सहायता या विदेशी ऋण प्राप्य हो सकते हैं, उनकी मात्रा और रूप अभी विदित नहीं हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री एन० बी० चौधरी: माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है उसकी दृष्टि से मैं जानना चाहता हूं, कि क्या सरकार विदेशी सहायता की मात्रा के बोध के बिना साधनों के सम्बन्ध में अपने अंतिम अनुमान बना सकेगी?

श्री एस० एन० मिश्र: अभी विदेशी सहायता का विचार केवल काल्पनिक होगा, परन्तु इतने पर भी, द्वितीय योजना के लिए प्राप्य हो सकने वाले साधनों का उचित निर्धारण करने में वह हमारे लिए बाधक नहीं होना चाहिए

श्री एन० बी० चौधरी: विभिन्न देशों से वार्ता किये बिना हम धन या सहायता के विचार के सम्बन्ध में कैसे कोई विचार धारण कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय: मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को ग़लत समझा है। जहां तक मैं समझा हूँ, माननीय मंत्री का उत्तर यह था कि विदेशी सहायता का विचार किये बिना भी, वे अपनी लगभग योजनायें बना सकेंगे।

श्री एस० एन० मिश्र: मेरा तो यही आशय था कि कोई भी अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं का उचित अनुमान और प्राप्य होने वाली सहायता का भी कुछ उचित अनुमान लगा सकता है, परन्तु वह अभी काल्पनिक है।

कोरिया युद्ध के बंदी

*६१४. **चौधरी मुहम्मद शफी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रार्थना की है कि वह इस समय भारत में बसने वाले कोरिया युद्ध के भूत-पूर्व बंदियों के प्रत्यावर्तन की व्यवस्था करे;

(ख) क्या यह सच है कि इन भूतपूर्व युद्ध बंदियों के सम्बन्ध में बार-बार बहुत झगड़ा रहा है;

(ग) यदि हां तो, क्या-क्या घटनायें, हुई हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उनकी जांच पड़ताल की है?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ): (क) जी नहीं।

कोरिया युद्ध के कुछ भूतपूर्वी बंदियों ने भारत में बसने का विकल्प अपनाया था। इस उद्देश्य के लिए उन्हें सुविधायें दी गई हैं और उन्हें विभिन्न टैक्नीकल संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अन्य भूतपूर्वी युद्ध बंदियों ने मैक्सीको और अन्य दक्षिण अमरीकी देशों में जाने की इच्छा प्रकट की है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री के द्वारा उनके लिए आवश्यक सुविधायें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही हैं।

(ख) और (ग). शिविरों में कुछ अनुशासनहीनता की घटनायें हुई हैं परन्तु गम्भीर घटना कोई भी नहीं हुई है।

(घ) भारत सरकार इन बंदियों की रक्षा और भरण-पोषण को अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व मानती है और छोटी-छोटी घटनाओं की भी जांच पड़ताल रक्षा मंत्रालय के उच्च पदाधिकारियों ने सहानभूतिपूर्वक की है। भारत सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि भूतपूर्वी बंदियों की रक्षा और उनके भरण पोषण की, और भारत में रहने की इच्छा व्यक्त करने वाले बंदियों के पुनर्वास की जो व्यवस्था की गई है वह सन्तोषजनक है।

चौधरी मुहम्मद शफी : उनकी संख्या क्या है ?

श्री सादत अली खां : वे ८२ हैं। अब भारत में ८२ कोरिया के भूतपूर्व युद्ध-बंदी हैं।

डा० सुरेश चन्द्र : भारत में रहने की इच्छा कितने व्यक्तियों ने व्यक्त की है ?

श्री सादत अली : इनमें से ३४ ने भारत में रहने का विकल्प अपनाया है।

श्री कामत : क्या यह सच है कि इन युद्धबंदियों में से कुछ ने शिकायत की है कि यद्यपि उन्होंने उत्तरी कोरिया जाने की अनिच्छा और उत्तर व दक्षिण अमरीका के देशों में बसने की इच्छा प्रकट कर दी है, तथापि उनके वर्तमान संरक्षक उनपर दबाव डाल रहे या डाल चुके हैं कि वे उत्तरी कोरिया लौट जायें ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह मैं ने पहिली बार सुना है। यह मैंने पहिले कभी न सुना था।

श्री कामत : यह कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था।

श्री जवाहरलाल नेहरू : रक्षा मंत्रालय जो इन लोगों के प्रभारी हैं, इस बात में लेशमात्र भी अभिरुचि नहीं रखता है कि वे कहां जायें। हमारी अभिरुचि केवल इसमें है कि वे जायें।

श्री कामत : कहीं भी जायें ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां, कहीं भी।

मकालू अभियान

*६१५. **श्री नानादास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांसीसी मकालू अभियान के साथ कोई विदेशी भूतत्वीय दल था;

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्य किस राष्ट्र के नागरिक थे और कितने थे; और

(ग) इस दल ने किसके आमन्त्रण पर परिमाप किया ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). हां, श्रीमान्, दो फ्रांसीसी भूतत्वेत्ता नैपाल में मकालू के लिए फ्रांसीसी अभियान के सात गये थे। वे दल के सदस्य थे और कदाचित अभियान के आयोजकों द्वारा आमन्त्रित किये गये थे।

श्री नानादास : क्या उनके परिमाप और उसके परिणाम हमें प्राप्य होंगे ?

श्री सादत अली खां : हां, समाचारों से विदित होता है कि उन्होंने कुछ चोटियों पर विजय पाली हैं और वे अभियान पर गये हैं। माननीय सदस्य किन परिणामों का उल्लेख कर रहे हैं, मैं नहीं जानता :

सीमान्त क्षेत्रों का विकास

*६१८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या योजना मंत्री १५ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २२८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत तिब्बत के सीमान्त क्षत्रों सम्बन्धी विकास-योजनाओं के प्रतिवेदनों के बारे में तब से कोई अन्तिम निर्णय हुआ है ;

(ख) क्या उसके बाद से कोई और दूसरी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं; और

(ग) क्या उपरोक्त योजनाओं का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र):

(क) जी, हां

(ख) जी, नहीं

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत करीब-करीब २.१४ करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि इन विकास-योजनाओं के लिये मंजूर हुई थी इस राशि में से १.४ करोड़ रुपये सड़कों के लिये, १८.३ लाख रुपये कुटीर-उद्योगों के लिये और २१.५ लाख रुपये औषधी पौधों के विकास के लिये रखे गये थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालन, बागवानी, सिंचाई शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं आदि के लिये भी रकमें रखी गयीं थी।

श्री भक्त दर्शन : पिछले समय उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि २.१४ करोड़ की जो मांग की गई थी, उसमें से १.८ करोड़ अस्वीकृत किया जा चुका है। क्या में इसका यह अर्थ लगाऊं कि जितनी और योजनायें हैं, उनको अस्वीकृत किया जा चुका है, या वे अभी विचाराधीन हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : योजनायें स्थगित तो नहीं हुई हैं—उन पर काम जारी है, लेकिन जो संख्या अभी माननीय सदस्य ने बताई है, उसके बारे में पूरा बताने में बहुत सी गुत्थियां हैं। इसमें कई मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं और इसके अतिरिक्त जो कई रकमें दी गई हैं, उनमें से एक रकम मेरे सामने है जिसकी स्वीकृति अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं आई है। इसलिए इन सारी बातों पर स्पष्टरूप से प्रकाश डालने में जरा मुश्किल हो जायगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या सरकार इस बात की आवश्यकता को महसूस करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजनायें रखी हैं, उन के अतिरिक्त सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना के अन्तर्गत कुछ विकास-खंड खोले जायें ? क्या इस बारे में भी कोई प्रगति हो रही है ?

श्री एस० एन मिश्र : जब हम सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड के बारे में विचार करेंगे तो हमारे सामने वह सुझाव भी होगा।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के बोर्डर एरियाज पर स्कूल खोलने की जो स्कीम है, उसके अनुसार ऐसे स्थानों पर स्कूल खोले जा रहे हैं, जहां डुप्लिकेशन हो रहा है और वे ठीक स्थानों पर नहीं खोले जा रहे हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस तरह की डुप्लिकेशन की मिसाल हमारे सामने नहीं आई

है और उसकी कोई गुंजाइश भी नहीं मालूम होती है।

युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मिले हुए जर्मन यन्त्र

*६२०. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल उत्सर्जन के लिए स्टाक में युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मिली हुई कितनी जर्मन मशीनें हैं ;

(ख) अवशेष यन्त्रों के उत्सर्जन के बारे में निरीक्षण दल ने क्या-क्या सुझाव और सिफ़ारिशें की हैं; और

(ग) वे कहां तक लागू हो गये हैं?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) आजकल स्टाक में युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मिली हुई ३६८ जर्मन मशीनें हैं।

(ख) निरीक्षण दल से इस बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया था कि यन्त्रों का क्या प्रयोग हो सकता है और वे कौन-कौन सम्भाव्य प्रयोगकर्ता हैं (सरकारी और प्राथमिक व्यादेशक) जो उनका उपयोग कर सकेंगे।

(ग) निरीक्षण दल के सुझावानुसार प्राथमिक व्यादेशकों से वार्ता की गई थी और मांगें पूर्ण कर दी थीं। अब अवशिष्ट वस्तुओं का गैर-सरकारी औद्योगिक उपक्रमों उत्सर्जन करने के लिए एक समिति बनाई गई है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इसके पूर्व औद्योगिक उपक्रमों को इन यन्त्रों का प्रस्ताव दिया गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जहां तक इन वस्तुओं का सम्बन्ध है, अभी तक किसी भी गैर-सरकारी औद्योगिक प्रयोगकर्ता को कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या उन्हें सार्वजनिक नीलाम में विक्रय करने का सरकार का कोई विचार है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हां। यदि प्राथमिक व्यादेशक कोई अभिरुचि प्रदर्शित नहीं करते, तो सिवाये इसके और कोई विकल्प ही नहीं होगा कि उन्हें सार्वजनिक नीलाम में विक्रय किया जाये

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह ख्याल कर सकता हूँ कि सरकार के किसी भी विभाग को अवशिष्ट ३६८ वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होगी, और इसलिए ये विक्रय होंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं ने पहिले ही प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में इसका उत्तर देने का प्रयत्न किया है। एक निरीक्षण दल बनाया गया है और एक समिति गैर-सरकारी औद्योगिक उपक्रमों को अवशिष्ट वस्तुओं का उत्सर्जन करने का प्रबन्ध कर रही है। वे भी प्राथमिक व्यादेशकों की इस श्रेणी में आते हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या इन वस्तुओं के उत्सर्जन में शैक्षिक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी, और क्या इन यन्त्रों की एक नामावली उन्हें भेजी जायेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरा विचार है कि ऐसा पहले ही किया जा चुका है।

श्री कामत : यह विचार करते हुए कि जर्मनी के युद्ध में न तो भारतीय जनता सम्मिलित थी और न सत्तारूढ़ दल, क्या सरकार ने सद्भावना के भाव से और पंचशील की वास्तविक भावना से और जर्मन युद्धपूर्ति यन्त्रों को छोड़ देने का विचार किया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। हमारा सम्बन्ध

उन वस्तुओं के उत्सर्जन से है जो हमारे पास हैं, न कि उनसे जो हमें युद्धपूर्ति के रूप में जर्मनों से प्राप्त होनी चाहिए। जहां तक मैं जानता हूं, युद्धपूर्ति के रूप में हमें कोई नये यन्त्र प्राप्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री कामत : क्या यह ..

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस अंग पर पिछले वर्षों में पहिले ही दो या तीन बार से अधिक बार विचार किया जा चुका है।

श्री कामत : जमन युद्धपूर्ति यन्त्रों के सम्बन्ध में नहीं। वह जापानी युद्धपूर्ति यन्त्रों के सम्बन्ध में था।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री कामत : जर्मन...

अध्यक्ष महोदय : हम अग्रेतर प्रश्न लेंगे।

श्री कामत : जापान और जर्मनी में यह भेद भाव क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री कामत : यह भेद भाव क्यों ?

इस्पात मूल्य

*६२१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तदोपरान्त प्रशुल्क आयोग ने अपनी जांच समाप्त कर ली है और इस्पात के उन स्थायी मूल्यों को निर्धारित करने के बारे में, जो टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी को देने हैं, प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां तो, इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : सरकार ने किन कारणों से प्रशुल्क आयोग को यह परामर्श दिया था कि टाटा को दिया जाने वाला स्थायी मूल्य इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कारखाने में प्रति टन की निर्माण लागत पर आधारित होना चाहिये, यद्यपि इसकी अपेक्षा टाटा कारखाने में यह मूल्य काफी कम है ?

श्री कानूनगो : इस्पात के निर्माणकर्ता यह अभ्यावेदन प्रस्तुत करते रहे हैं कि उनकी उत्पादन लागत बढ़ गई है और इसलिए मामला प्रशुल्क आयोग को भेजा गया है ?

श्री टी० बी० विट्ठल राव : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैंने प्रशुल्क आयोग को यह परामर्श देने के कारण पूछे थे कि स्थायी मूल्य इण्डियन आइरन और स्टील कम्पनी में विद्यमान प्रतिटन निर्माण लागत हो, जब कि टाटा कारखाने में निर्माण लागत कम है।

श्री कानूनगो : क्योंकि उत्पादन लागत भिन्न-भिन्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि यद्यपि उनकी लागत इण्डियन आईरन एण्ड स्टील की लागत की अपेक्षा कम हैं। सरकार ने टाटा के लिए अधिक मूल्य क्यों रखा है ?

श्री कानूनगो : इसका कारण यही है कि उत्पादन के मूल्य भिन्न-भिन्न हैं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : उन्होंने प्रशुल्क आयोग को परामर्श दिया है कि लागत इण्डियन आइरन एण्ड स्टील में लागत के आधार पर हो, न कि टाटा कारखाने में लागत के आधार पर, ताकि दोनों समवायों के लिए समान दर लगाई जाये। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं।

श्री कानूनगो : प्रशुल्क आयोग को कोई अनुदेश नहीं दिये जाते हैं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं प्रशुल्क आयोग के पत्रों को पढ़कर सुनाऊंगा...

श्री सारंगधर दास : क्या ये दोनों समवाय उच्च मूल्य लेंगे, और इन उच्च प्रतिधारण मूल्यों के कारण, अतिरिक्त धन उनकी आस्तियों में लगाया जायेगा ? भविष्य में इन उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण होने के मामले में, निकट या आगे, क्षतिपूर्ति की गणना करने में, क्या ये राशियां...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मेरा ख्याल है कि अभी यह प्रश्न पूछने का समय नहीं आया है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, परन्तु उन्हें तर्क देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि जब ब्रह कोयला खदान खंड को स्टील खंड का एक सूचना अंग मानेगी तो उसकी कोयला उद्योग पर क्या प्रतिक्रिया होगी ?

श्री कानूनगो : प्रशुल्क आयोग इन प्रश्नों पर सरकार को परामर्श देगा।

पांडिचेरी

*६२२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी के बेकार श्रमिकों की सहायता के लिये सरकार ने कुछ धन व्यय किया है;

(ख) यदि हां तो कितना; और

(ग) क्या फ्रांसीसी सरकार से हुये करार में कोई ऐसी शर्त थी जिसके अनुसार यह सहायता दी गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां): (क) से (ग): भारत सरकार ने पांडिचेरी के बेकार मजदूरों की सहायता के लिये कुछ भी धन व्यय नहीं किया है और न ही भारत-फ्रांसीसी समझौते में इसके लिये कोई शर्त है।

श्री के० सी० सोधिया : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि एक्स्टर्नल एफेअर्स विभाग की बजट डिमांड में पांडिचेरी के लिये इसके बारे में एक खासी रकम रखी गयी है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी नहीं, मुझे नहीं मालूम है।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि पांडिचेरी का मिल बन्द हो जाने से, वहाँ पर बेकारी की समस्या बिगड़ गई है तथा यदि हाँ, तो क्या केन्द्र इस समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां। इस विषय में सरकार को चिन्ता रही है तथा इस पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय कार्यवाही कर रहा है। यह विशेष प्रश्न इस अभिप्राय का था कि क्या हम मिल के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष सहायता दे रहे हैं। पांडिचेरी में हमने ऐसा नहीं किया। परन्तु सामान्य स्थिति का ज्ञान वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को है। मैं ठीक तौर पर नहीं बता सकता कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या किया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि मुख्य आयुक्त तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सम्मुख एक द्वि-दलीय समझौता हुआ था, जिस में यह विशेष तौर पर बताया गया था कि बेकारी सहायता के लिये 'शोमाज' (बेकारी भत्ता) दिया जायेगा परन्तु इसके पश्चात्, मई, जून तथा जुलाई में कोई 'शोमाज' नहीं दिया गया ? क्या मैं जान सकती हूं कि इसके क्या कारण हैं ?

श्री सादत अली खां : फ्रांसीसी प्रशासन ने बेकारी निधि 'शोमाज' को बनाया था। इस निधि में मिल प्रबन्धकों को, श्रम के मजूरी बिलों का २ प्रतिशत देना पड़ता था तथा श्रमिकों को भी उतना ही धन देना पड़ता था जब कि रुई तथा कोयले पर प्राप्त आयात शुल्क का ५० प्रतिशत देती थी। स्थिति इस प्रकार थी। इस बेकारी निधि में से दान दिया जाता था। परन्तु सत्ता-हस्तांतरण से, अब पांडीचेरी में रुई तथा कोयले पर कोई कर नहीं लगा हुआ है। इस कारण सरकार द्वारा 'शोमाज' निधि में दिया जाने वाला रुई तथा कोयले पर आयात शुल्क का ५० प्रतिशत बन्द कर दिया गया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय प्रधान मंत्री के इस उत्तर, के सम्बन्ध में कि हमने 'शोमाज' देने का उत्तरदायित्व नहीं लिया है, मैं जानना चाहती हूं कि क्या भारत में प्रचलित पद्धति के अनुसार हम निट्ठला रहने का प्रति कर देने जा रहे हैं ?

श्री सादत अली खां : इस स्थिति से उत्पन्न कठिनाइयों पर भारत सरकार ने ध्यान दिया तथा मिलों में निम्नलिखित रियायतें दीं : (१) मिलों को, सूत निर्यात की अनुमति दी गई, यह रियायत भारत की किसी अन्य मिलों को नहीं है।

(२) मिलों को कपड़े के निर्यात पर उत्पादन कर की छूट दे दी गई है तथा (३) सवाना तथा रोडियर मिलों से ४,२६,००० गज जीन खरीदने के आर्डर देने का भी सरकार प्रबन्ध कर रही है। यह भी सहायता के तौर पर है।

जूट मिल

*६२६. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मिलों के आधुनिकीकरण के लिये पश्चिमी बंगाल की जूट मिलों को वित्तीय सहायता देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि सहायता के रूप में देने के लिये स्वीकार की गई है ; और

(ग) क्या सहायता देने के लिये कुछ शर्तें रखी गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). उद्योग ने, कुछ समय पूर्व, जूट मिलों के यंत्रों के आधुनिकीकरण के लिये ऋण देने की योजना प्रस्तुत की थी परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया गया है। उद्योग से सहायता की शर्तों पर चर्चा हो रही है इस कारण अभी इसके ब्यौरे बताना लोक हित में नहीं है।

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर

*६२७. **श्री हेम राज** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश (पाकिस्तान) के वह कौन से स्थान हैं जिनको विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर देने के लिये शहरी क्षेत्र समझा गया है ; और

(ख) उन्हें ऐसा किस आधार पर घोषित किया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रदेश पाकिस्तान के जिन शहरी क्षेत्रों को, दावों की जांच पड़ताल के लिये छांटा गया था उनको ही विस्थापित व्यक्तियों को प्रति कर देने के लिये नगरीय क्षेत्र समझा गया है। इस प्रकार के स्थानों की एक सूची लोक सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९]**

(ख) यह निश्चय करने का प्रमाप कि पश्चिमी पाकिस्तान का कोई विशेष स्थान शहरी है या नहीं विस्थापित व्यक्ति (दावा)

अधिनियम, १९५० की धारा २ (घ) में दिया हुआ है ।

श्री हेमराज : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे स्थानों को भी, जिनके बारे में हिन्दुस्तान की तकसीम होने से पहले नोटीफिकेशन हो चुका था मगर जहां उस वक्त तक नोटीफाइड एरिया कमेटियां, टाउन कमेटियां या म्युनिसिपल कमेटियां कायम नहीं हो पाई थीं, अरबन एरिया माना जायेगा ?

श्री जे० के० भोंसले : ऐसे एरिया माने जाते हैं जो स्टेट्यूट के नीचे कांस्टीट्यूट हो गये हैं और जिनकी लिमिट मुकर्रर नहीं की गई है ऐसे अरबन एरिया नहीं माने जायेंगे ।

श्री हेम राज : मेरा प्रश्न यह था कि क्या भारत के विभाजन से पूर्व जिन स्थानों को नोटीफाइड एरिया समितियों (अधिसूचित क्षेत्र समितियों) अथवा नगर समितियों अथवा नगरपालिका समितियों ने 'शहरी क्षेत्र' अधिसूचित कर दिया था परन्तु जहां समितियां वस्तुतः स्थापित नहीं हुई थीं अथवा उन स्थानों को जिन्हें न्यायिक आयुक्त अथवा उच्च न्यायालय ने इस प्रकार का घोषित कर दिया था, नगरीय प्रतिकर देने के लिये ऐसा समझा जायेगा ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं ने अभी बताया था कि जो क्षेत्र किसी विधि के अनुसार बनाये गये थे, उन्हें निश्चय ही शहरी क्षेत्र समझा जायेगा ।

श्री हेम राज : विवरण से मुझे ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्रों में 'हांगू' नगर को सम्मिलित नहीं किया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि वह नगर नगरीय क्षेत्र समझा जायेगा, जैसा कि माननीय पुनर्वास मंत्री ने मुझे बताया है ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हां । 'हांगू' नगर किसी कारणवश मूल सूची से रह गया था । उसको शहरी क्षेत्र समझने के लिये सरकार विचार कर रही है ।

लोहा

*६३१. **सेठ अचल सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि जून, १९५५ से लोहे का नियंत्रण और सख्त कर दिया गया है, तथा साथ ही साथ सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस प्रकार मूल्य बढ़ जाने से, सरकार इस्पात की सभी वस्तुओं को खरीद लेगी ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जनता, विशेषतया कृषकों, को, बाजार से इस्पात की वस्तुएं खरीदने में बड़ी कठिनाई हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख), जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि तमाम लोहा सेकेंड फाइव इयर प्लान में ले लिया गया है जिसकी वजह से मार्केट में लोहा कम हो गया है और उसके लिये क्या कोई इन्तजाम किया जा रहा है कि मार्केट में व्यापारियों को लोहा मिल सके ?

श्री कानूनगो : हां, लोहे की जितनी मांग है, वह सप्लाई से ज्यादा है और आइन्दा के लिये लोहा बाहर से इम्पोर्ट करने की कोशिश हो रही है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि पिछले २ महीने में लोहे का रेट पांच रुपया फी मन बढ़ गया है ?

श्री कानूनगो : यह तो मालूम नहीं है कि कहां बढ़ गया है और कितने रुपये बढ़ गया है ।

कोसी परियोजना

*६३२. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व की वर्षा तथा बाढ़ के कारण कोसी परियोजना की कार्य प्रगति में बाधा पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रूस के लिये इस्पात प्रतिनिधिमंडल

*६३३. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस जाने वाला भारतीय इस्पात प्रतिनिधिमंडल यूगोस्लाविया भी जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो यूगोस्लाविया जाने में उसका क्या उद्देश्य है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). जी नहीं । परन्तु प्रतिनिधिमंडल के कुछ सरकारी सदस्यों से कहा गया है कि वे यूगोस्लाविया जायें और उस देश के औद्योगिक विकास के कुछ पहलुओं का अध्ययन करें ।

श्री राम शंकर लाल : क्या कुछ टेकनिकल पर्सनल भी वहां सीखने के लिये भेजा जाने वाला है ?

श्री कानूनगो : स्टील प्लांट में काम करने वाले लड़कों को रूस भेजा जायेगा, अभी उसका प्रबन्ध नहीं हुआ है ।

श्री जोकीम अल्वा : मैं जानना चाहता हूं कि मैसूर आयरन स्टील वर्क्स के प्रतिनिधि इस डेलीगेशन में हैं कि नहीं ? इसके अलावा आप यह भी जानते हैं कि टाटा कम्पनी वालों ने पिछले दिनों यू० एस० एस० आर० स्टील प्लांट का स्वागत नहीं किया था, तो फिर टाटा कम्पनी के इतने प्रतिनिधि क्यों इस डेलीगेशन में डाल दिये ?

श्री कानूनगो : मैसूर आयरन स्टील कम्पनी का कोई आदमी इसमें नहीं है । टाटा कम्पनी के आदमी उस डेलीगेशन में हैं क्योंकि टाटा कम्पनी में अच्छे टेकनीशियंस हैं ।

जूट जांच आयोग

*६३५. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५४ के पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक जूट जांच आयोग १९५४ की किन सिफारिशों को लागू किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें लम्बी अवधि की हैं जिन के लिये जूट उत्पन्न करने वाले राज्यों तथा जूट उद्योग की सम्मति लेना आवश्यक है । इसलिये इन सिफारिशों को लागू करने में समय लगेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जूट आयुक्त तथा विकास परिषद् की नियुक्ति को प्राथमिकता दी गई तथा नियमित बाज़ार और सहकारी बाज़ार में कच्चे जूट के विक्रय की समस्या को नहीं ?

श्री करमरकर : इस विशिष्ट प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि विशेषतया, कुछ दिन पूर्व के

अवमूल्यन से उत्पन्न स्थिति के आधार पर, आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार पाकिस्तान से कच्चे जूट के आयात पर नियंत्रण का विचार है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि विषय विचाराधीन है । इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि गत वर्ष कुछ राज्य सरकारों के विरोध पर भी कलकत्ते में फड़का बाज़ार खुला था तथा यदि हां, तो इस फड़का बाज़ार को खोलने के क्या कारण थे ?

श्री करमरकर : इस समय, मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है ।

झाड़ग्राम परियोजना खण्ड

*६३६. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झाड़ग्राम परियोजना खण्ड में एक बस्ती के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार को यह ध्यान है कि एकान्त से स्थान में यद्यपि कुछ मकान बन चुके हैं फिर भी उस स्थान को वास्तव में बस्ती का रूप देने और पड़ोस के शहर से मिलाने के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस विषय में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी : उस क्षेत्र विशेष में बस्ती की सामान्य योजना क्या है और किस प्रकार की बस्ती वहां बनने की आशा की जाती है ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह बस्ती छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने--विशेषकर विस्थापितों को काम दिलाने--के लिये बसाई जा रही है ।

सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा

*६३७. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्य संचालन पर कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अन्तिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के प्रतिवेदन पर मई, १९५५ में शिमला में हुये चतुर्थ विकास आयुक्त सम्मेलन में विचार किया गया था। उक्त प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें सामान्यत: स्वीकार कर ली गई थीं । सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है । की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०]**

श्री एन० एम० लिंगम : कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने बताया कि ग्राम हस्तशिल्प आरम्भ करने और विभिन्न विभागों के कार्यों का अधिकाधिक समन्वय प्राप्त करने में सामुदायिक परियोजनाओं की प्रगति प्रभावोत्पादक नहीं रही है । इस कारण उसने सिफारिश की है कि सरकार को परियोजनाओं का विस्तार करने में सावधानी से आगे बढ़ना चाहिये । क्या सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है अथवा वह सामुदायिक परियोजनाओं का विस्तार यों ही आगे बढ़ाना चाहते हैं जिससे आगामी पंचवर्षीय योजना में समचे देश को लिया जा सके ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस सम्बन्ध में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा व्यक्त किये गये दृष्टिकोण पर निश्चय ही विस्तार कार्यक्रमों के विषय में निर्णय करते समय विचार किया जायेगा किन्तु अभी तक तो अगली योजना की कालावधि में समूचे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा लागू करने का विचार है और हम सामुदायिक परियोजनाओं का विस्तार करने के विषय में भी सोच रहे हैं परन्तु विस्तार कहां तक होगा इसका निर्णय तभी होगा जब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में किन्हीं निर्णयों पर पहुंचेंगे ।

श्री एन० एम० लिंगम : कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की एक सिफारिश यह भी है कि वर्तमान परियोजना मंत्रणा समितियां अक्रियाकारी हैं, कि उन्हें और अधिक क्रियाकारी बनाया जाये, कि सभापति का पद निर्वाचित निकायों जैसे स्थानीय निकायों के सभापति के लिये भी खोल देना चाहिये, और अन्तिम यह कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो सम्पूर्ण संगठन का सबसे बड़ा दोष है । इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री एस० एन० मिश्र : सभा पटल पर रखे गये विवरण में यह बता दिया गया है । समितियों के सभापतित्व सम्बन्धी सुझाव पर विचार किया जा रहा है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या ऐसी भी कोई सिफारिश है जिस में यह कहा गया है कि क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी हां, इस तरह की राय जाहिर की गई है ।

श्री के० सी० सोधिया : सरकार ने क्या उसके ऊपर कोई विचार किया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : वह तो एक ऐसी अहम बात है जिस पर विचार करना ही चाहिये और सरकार विचार करेगी ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या योजना आयोग कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज कर ही संतोष कर लेता है अथवा उनके प्रस्तावों पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रियायें हुईं उन को देख कर राज्य सरकारों द्वारा किये गये अनुभव, उनकी कठिनाइयों और समस्याओं विशेष को ध्यान में रखते हुये एक समन्वित योजना भी बनाती है ?

श्री एस० एन० मिश्र : कार्यक्रम को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है, इसलिये यह उचित ही है कि ये सिफारिशें राज्य सरकारों के पास भेज दी जायें । परन्तु साधारणतः इस सम्बन्ध में हमारा निर्णय सर्व सम्मति से होता है ।

उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण

*६३९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** २५ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा पहाड़ियों और उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण के अशान्त क्षेत्रों में नियमित भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कथित उपयोग के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां तो जांच का परिणाम क्या है?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) और (ख). नियमित भारतीय सशस्त्र सेनाएं त्वेनसांग में केवल गारद सम्बन्धी कार्य कर रही है । स्थानीय अशान्ति को दूर करने

के लिये उनका उपयोग करना आवश्यक नहीं समझा गया है। अतः किसी प्रकार की जांच करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रिशांग किशिंग : क्या प्रधान मंत्री नागा की पहाड़ियों और उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण की दुखद घटनाओं के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे और नागा पहाड़ियों और उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण के वर्तमान आन्दोलन की ओर सरकार का कैसा रुख है, यह बताने की कृपा करेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : प्रश्नों के उत्तर और अन्य प्रकार से भी सभा के सम्मुख सरकार का रुख प्रकट किया जा चुका है। यदि सभा चाहे अथवा आगे कोई अवसर हो तो मैं उसकी पुनरुक्ति कर सकता हूं।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार के पास यह सिद्ध करने अथवा बताने के लिये कोई ऐसी सामग्री है कि नागा पहाड़ियों और उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण के उपद्रव को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी अभिकर्ताओं से सहायता मिल रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सारे प्रश्न इस प्रश्न के क्षेत्र के बाहर के हैं, जो अशान्त क्षेत्रों में नियमित भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कथित उपयोग के सम्बन्ध में हैं। क्या उन्हें कोई अन्य प्रश्न पूछना है ?

श्री रिशांग किशिंग : हां, श्रीमान्, अभी जो उत्तर दिया गया है उसको दृष्टि में रखते हुये क्या भारतीय सशस्त्र सेनाओं और नागाओं में दोनों ओर से गोली चलाने की कोई घटना घटी है, यदि हां, तो मृतकों और घायलों की संख्या क्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य विदेशी अभिकर्ता के विषय में अभी कुछ कह चुके हैं। मैं उसे समझा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न था कि क्या सरकार के पास कोई इस बात का प्रमाण है कि नागाओं को विदेशी अभिकर्ताओं द्वारा भड़काया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐसा प्रमाण हमारे पास नहीं है। उक्त क्षेत्र में बहुत सी छोटी-छोटी घटनायें घटीं, जिसमें कुछ सरकारी कर्मचारियों को घेर कर उन पर हमला किया गया था और कुछ गोली वर्षा भी हुई थी। मैं आंकड़े नहीं दे सकता।

सोदेपुर कांच कारखाना, लिमिटेड

*६४०. **श्री कामत** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि औद्योगिक वित्त निगम ने सोदेपुर कांच कारखाना लिमिटेड को अपने हाथ में लेने के लिये उत्पादन मंत्रालय से निवेदन किया है;

(ख) क्या मंत्रालय ने कारखाने को न लेने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) हां। औद्योगिक वित्त निगम ने ऐसा प्रस्ताव मार्च, १९५४ में वित्त मंत्रालय के द्वारा रखा था।

(ख) हां।

(ग) सोदेपुर कांच कारखाने की आर्थिक दशा पहले से ही बहुत खराब थी और सरकार द्वारा इसका लिया जाना उचित नहीं समझा गया।

श्री **कामत** : क्या उत्पादन मंत्रालय इस बात से सहमत अथवा संतुष्ट हो गया कि सोदेपुर कांच कारखाने के पहले वाले मालिक और औद्योगिक वित्त निगम ने सारा मामला चौपट कर दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : वह बिना आरोप और कटाक्ष किये समूचित रूप में प्रश्न पूछें।

श्री कामत : श्रीमान्, प्रश्न का कौनसा भाग अशोभनीय है ?

अध्यक्ष महोदय : सारे मामले को चौपट कर देना।

श्री कामत : न जाने कितनी गड़बड़ी की जाती है। क्या निगम द्वारा किया गया प्रस्ताव पूर्णाधिकार-पत्र के रूप में था अथवा उसने मंत्रालय के सम्मुख कोई निश्चित शर्तें रखी थीं, और यदि हां, तो क्या वे शर्तें निगम द्वारा कुछ निजि फर्मों को दी गई शर्तों के समान थीं ?

श्री के० सी० रेड्डी : जहां तक मुझे स्मरण है, आरम्भ में प्रस्ताव की सामान्य शर्तें थीं इस कारण उत्पादन मंत्रालय ने पत्र व्यवहार जारी रखने में कोई रुचि नहीं दिखायी।

श्री कामत : क्या निगम और उपादन मंत्रालय के बीच कभी कोई बातचीत हुई थी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव एक सामान्य रूप में आया था, उत्पादन मंत्रालय जिसे आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता था।

श्री कामत : क्या सरकार की यही नीति है कि आकस्मिकता में भी सरकारी क्षेत्र को गैर सरकारी क्षेत्र की सहायता के लिये नहीं आना चाहिये ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार की नीति "न चलने वाले कारखाने" का भार अपने ऊपर लेने की नहीं है। इस मामले में सरकार ने इस सार्थ को अपने अधिकार में लेना इसलिये उपयुक्त नहीं समझा कि उसे यह परामर्श दिया गया था कि वह सुआयोजित नहीं है। आकार तथा स्थिति संतोषजनक नहीं थी कुछ अन्य कांच की चादरें बनाने वाले एकक भी थे और क्षमता की कमी नहीं थी। इस सब से अधिक यह कि यह उद्योग इतने राष्ट्रीय महत्व का है भी नहीं कि इसे सरकारी क्षेत्र द्वारा लिया जाये।

श्री कामत : कारखाने को न चलने योग्य बनाने का उत्तरदायी कौन है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह प्रश्न वित्त मंत्री को सम्बोधित किया जाना चाहिये।

औद्योगिक प्रदर्शनी

*६४१. **श्री राधारमण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९५५ में दिल्ली में होने वाली औद्योगिक प्रदर्शनी की व्यवस्था के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत व्यय की धन राशि क्या है और यह धन किन किन मदों पर व्यय होगा ;

(ख) प्रदर्शनी के लिये जो भवन बनेगा उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ; और

(ग) इस भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों से भविष्य में क्या लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) भारत सरकार ने नई दिल्ली में होने वाली भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी के लिये १६,४८,००० रु० मंजूर किये हैं। यह रकम नई इमारतों के बनाने, पुरानी इमारतों को नया करने और एक नया मैदान बनाने में खर्च की जायेगी।

(ख) ७,४५,००० रु०।

(ग) यह जगह यहां पर भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी होगी स्थायी रूप से प्रदर्शनियों के लिये बनाई जा रही है। इसलिये जो इमारत आज बनाई जा रही हैं, वे भविष्य में होने वाली प्रदशनियों के लिये काम में आयेगी।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने जो रकम इस प्रदर्शनी के करने

के लिये मंजूर की है, उसके साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं, और अगर लगाई हैं तो वह शर्तें क्या हैं ?

श्री करमरकर : किस बारे में ?

श्री राधा रमण : एग्जिबिशन चलाने या इमारत बनाने के बारे में ।

श्री करमरकर : वह तमाम इमारतें हमारी रहेंगी और जो नई इमारतें बनेगी उनका जो रेंट आने वाला है वह सब मिल कर साढ़े तीन लाख रुपया हो जायगा, और हमारा खर्चा हो जायेगा १६,४८,००० रु० ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : वह अंग्रेजी में प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री राधा रमण : क्या माननीय मंत्री सभा को यह बता सकेंगे कि प्रदर्शनी में कौन कौन प्रमुख देश भाग लेने जा रहे हैं और उस अवसर पर दिल्ली में हम कितने विदेशी दर्शकों की आशा रखते हैं ?

श्री करमरकर : हमें सूचना मिली है कि निम्नलिखित देशों ने इस प्रदर्शनी में सम्मिलित होना स्वीकार किया है : संयक्त राज्य अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, जापान, सोवियत रूस , इंगलिस्तान, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, जेकोस्लोवेकिया, रूमानिया, नीदरलैण्डस, हंगरी, यूगोस्लाविया, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया और इटली । कितने व्यक्ति आयेंगे इसका मुझे कोई ठीक ठीक अनुमान नहीं है किन्तु कुछ हज़ार समझे जा सकते हैं ।

श्री जयपाल सिंह : क्या इस प्रदर्शनी में उड्डयन उद्योग का भी प्रतिनिधित्व किया जायेगा ?

श्री करमरकर : हमने उद्योगों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है, किन्तु मुझे निश्चय नहीं है कि उड्डयन भी आयेगा अथवा नहीं ।

पुनर्वास मंत्रणा बोर्ड

*६४२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम १९५४ के प्रवर्तन के सम्बन्ध में संगठित बोर्ड की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ; और

(ख) इन बैठकों में क्या निर्णय किये गये ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भौंसले) : (क) ३२ ।

(ख) मंत्रणा बोर्ड मंत्रणादाता बोर्ड के रूप में ही कार्य कर रहा है और सरकार से केवल सिफारिशें ही करता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मंत्रणा बोर्ड ने विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम के प्रवर्तन के लिये नियमों पर विचार किया था और यदि हां, तो उन पर क्या प्रतिक्रियायें हुईं ?

श्री जे० के० भोंसले : उनकी प्रतिक्रियाओं के विषय में तो बोर्ड से ही पूछा जाना चाहिये ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या पुनर्वास मंत्रणा बोर्ड की बैठकों में जो विनिश्चय किये गये उन पर मंत्रालय ने विचार नहीं किया और उन पर कार्यवाही नहीं की ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशंका है कि अभी ये नियम सभा पटल पर नहीं रखे गये हैं । क्या ऐसा है ?

श्री जे० के० भोंसले : वे इसी १६ तारीख को पटल पर रख दिये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर प्रश्नों के नियमों को सभा पटल पर रखे जाने के बाद पूछे जाने के लिये रखा जा सकता है ।

इस्पात का प्रतिधारण मूल्य

*६४४. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के मुख्य उत्पादकों को ३८५ रुपये प्रति टन के हिसाब से "एक रूप प्रतिधारण मूल्य" दिये जाने के फल स्वरूप कितना अतिरिक्त लाभ होने और विकास तथा विस्तार कार्यक्रमों के लिये अलग रखे जाने का अनुमान है ; और

(ख) मुख्य इस्पात उत्पादकों को प्रति टन कितनी उत्पादन लागत पड़ती है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) अनुमान है कि यदि उत्पादन लागत स्थिर रहे तो दोनों इस्पात समवायों को कर आदि दे कर प्रति वर्ष २२२ लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा । यह राशि विकास तथा विस्तार के लिये रखी जायेगी ।

(ख) एक रूप प्रतिधारण मूल्यों के प्रारम्भ किये जाने से पहले, टाटा वालों को औसत प्रतिधारण मूल्य ३३१ रुपये प्रति टन दिया जाता था और इण्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी को ३७८ रुपये प्रति टन । इस प्रतिधारण मूल्य में उत्पादन की लागत अवक्षयण और स्थायी भार और सारी लागत पर ८ प्रति शत लाभ सम्मिलित था ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या विस्तार तथा विकास कार्यक्रमों में अधीक्षण की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो यह किस प्रकार किया जायेगा ?

श्री कानूनगो : दोनों समवायों के अपने इस्पात तथा कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम हैं ।

श्री सी० आर० चौधरी : विकास तथा विस्तार कार्यक्रमों के खर्च का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने के क्या कारण हैं जब कि पूंजी लगाने वालों के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ?

श्री कानूनगो : यह राशि केवल विस्तार के लिये खर्च की जायेगी और अन्ततोगत्वा विस्तार से लागत में कमी होगी जिससे उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा ।

श्री गाडगील : कितने वर्षों में ?

श्री कानूनगो : अभी यह नहीं कहा जा सकता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विस्थापितों के लिये मकान

*६०४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्थापितों के लिये दिल्ली में बनाये गये कितने मकानों को अब तक बेचा गया है ; और

(ख) उनसे कितनी आय हुई ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) लगभग ३८४४ मकानों को ।

(ख) लगभग २,६३,७३,७४६ रुपये ।

कोयला

*६१६. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: भारत की कोयला खानों में जनवरी और मई १९५५ के पिछले महीनों की अपेक्षा कम कोयला निकलने के क्या कारण हैं ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : कोयले का उत्पादन प्रत्येक मास एक सा नहीं रहता । उत्पादन में कमी भी होती रहती है । इस प्रकार की कमी का कारण यह होता है कि माल गाड़ी के डिब्बे पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते, खानों के मुहानों पर

कोयला जमा हो जाता है और काम पर आने वाले मजदूरों की संख्या घटती बढ़ती रहती है ।

हस्तशिल्प

*६१७. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, १९५५ में राज्यों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था जिसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में हस्त-शिल्पों के विकास की प्रस्थापनाओं पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन म किस प्रकार के निर्णय किये गये थे ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले की लागत

*६१९. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में सरकारी कोयला खानों की उत्पादन लागत काफी बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) पिछले दो वर्षों में सरकारी कोयला खानों में उत्पादन की लागत में थोड़ी सी वृद्धि हुई है ।

(ख) खान के मुहानों के कम होने, कुछ खानों में कोयले के समाप्त होने और कोयला निकालने के लिये ठेका देने के स्थान में विभाग द्वारा कोयला निकालने का प्रबन्ध किये जाने से उत्पादन में कमी हुई और उत्पादन लागत में आंशिक रूप से वृद्धि । लागत में वृद्धि का कुछ कारण यह भी है कि कुछ बकाया दावों का भुगतान किया गया, अप्रभावी आस्तियों को बड़े खाते में डाला गया और अनाज की दुकानों, मशीनों आदि की मरम्मत और नई मशीनें लाने पर अधिक खर्च हुआ ।

प्रादेशिक रुपांकन केंद्र

*६२३. **श्री पी० रामस्वामी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्थापित प्रादेशिक रूपांकन केन्द्रों ने अपना काम शुरु कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ;

(ग) ये केन्द्र हाथ से बनी किन वस्तुओं के रूपांकन तैयार करेंगे ; और

(घ) १९५५-५६ में कितना व्यय किये जाने का अनुमान है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क), (ख) और (घ). अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की यह प्रस्थापना सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली है कि दिल्ली, बम्बई, बंगलौर और कलकत्ते में चार प्रादेशिक रूपांकन केन्द्र खोले जायें । इस प्रस्थापना को क्रियान्वित करने पर कितना खर्च होगा और अन्य क्या परिणाम होंगे, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) चारों प्रदेशों में से प्रत्येक में हाथ से बनाई जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं को चुना जायेगा जिससे कि उन के रुपांकन में सुधार किया जाये और उन्हें भारत तथा विदेशों में बेचने के लिये अधिक आकर्षक बनाया जाये ।

लाख

*६२४. **श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लाख का निर्यात बढ़ाने

के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : १. पिछले दो वर्षों में बाहर भेजी जाने वाली लाख की मात्रा तो उतनी ही रही है परन्तु उसके मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। यह विचार है कि इस वस्तु का निर्यात और बढ़ाने के उद्देश्य से समुचित कार्यवाही करने के लिये एक निर्यात संवर्धन परिषद् बनाई जाये।

२. सरकार द्वारा की गई अन्य कार्यवाही यह है :

(क) जहां भी संभव हो, अन्य देशों के साथ व्यापार करारों में इस मद को सम्मिलित करना ; और

(ख) हानिकर सट्टेबाजी को रोकना।

निष्क्रान्त सम्पत्ति

*६२५. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम के अधीन कितनी सम्पत्तियां उनके मालिकों को लौटाई गई हैं ;

(ख) ऐसी सम्पत्ति का मूल्य कितना है ; और

(ग) ऐसे कितने मामले अभी तक विचाराधीन हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

होन्नमर्दू परियोजना

*६२९. **श्री एम० राचय्या** :
श्री वोडयार :

क्या **योजना** मंत्री २५ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होन्नमर्दू विद्युत परियोजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है ;

(ख) परियोजना से कितनी बिजली बन सकेगी ; और

(ग) क्या सरकार ने इसे दूसरी पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित करने का निश्चय किया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१]**

नमक

*६३०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ जनवरी से ३० जून, १९५५ तक सेंधा नमक बाहर से मंगाया गया था यदि हां, तो किस मात्रा में और कितने मूल्य का ;

(ख) क्या पाकिस्तान अभी तक भारत म बना हुआ नमक मगाता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसने १ जनवरी से ३० जून, १९५५ तक कितना भारतीय नमक मंगाया ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) इस काल में भारत ने सेंधा नमक का आयात नहीं किया।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार

*६३४. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान जाने वाले रास्तों की नाकेबन्दी के कारण अफगानिस्तान के साथ व्यापार में बाधा पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां । व्यापारियों ने अभ्यावेदन किया है कि भारतीयों का अफगानिस्तान जाने वाला बहुत सा माल पाकिस्तान में रुका पड़ा है ।

(ख) पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले के सम्बन्ध में लिखा पढ़ी की जा रही है ।

आयात नीति

*६३८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष की दूसरी छमाही के लिये आयात नीति के और नरम किये जाने का छोटे पैमाने के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : १९५५ की दूसरी छमाही के लिये आयात नीति में जो परिवर्तन किये गये हैं उन के कारण छोटे पैमाने के उद्योगों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है । मुख्यत: उन वस्तुओं के सम्बन्ध में आयात नीति नरम की गई है जिन की आवश्यकता उद्योगों के लिये है या जिन की मांग में इतनी वद्धि हुई है जो देश में उत्पादन की वृद्धि से भी पूरी नहीं होती । विभिन्न वस्तुओं के आयात का अभ्यंश बढ़ाते समय छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के उद्योगों और साथ ही मध्यम उद्योगों के हितों का भी ध्यान रखा जाता है ।

विस्थापित हरिजन

*६४३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य के विस्थापित व्यक्तियों को शहर से बाहर काफी दूर बसाया जा रहा है, जिसके फलस्वरुप उन में काफी बेकारी बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उनके हेतु काम की व्यवस्था करने के लिये कोई योजना बनाने का है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फालतू सामान

*६४५. **श्री इब्राहीम** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल सरकार के पास लगभग कितने मूल्य का सामान फालतू पड़ा है और कब तक इसके निबटाये जाने की आशा है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : १-७-५५ को फालतू सामान का पुस्त मूल्य लगभग ३२ करोड़ रुपये था आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक इसमें से अधिकतर सामान का निबटारा कर दिया जायगा ।

ग्रामीण उद्योग

*६४६. **डा० सत्यवादी** : क्या **उत्पादन** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों;

(क) दिल्ली, पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश राज्यों को १९५५–५६ के लिए ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए कुल कितनी राशि

की मंजूरी दी गयी है और कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है ;

(ख) इसकी तुलना में १९५४-५५ में कितनी राशि दी गयी थी ; और

(ग) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया जा सकता है कि इन में से प्रत्येक राज्य में इस सहायता के कारण कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है या लाभ पहुंच रहा है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में बताया गया है कि खादी के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिये कितनी कितनी राशियों की मंजूरी दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२]**

(ग) ये राशि हाल ही में बांटी गयी हैं, इसलिए अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है ।

संविदाओं के वैज्ञानिकन सम्बन्धी समिति

*६४७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने संविदाओं के वैज्ञानिकन सम्बन्धी समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : सरकार का विचार है कि इस समिति की अधिकतर सिफारिशें स्वीकार कर ली जायं । आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आज्ञा भी जारी कर दी जायगी ।

उस्तरे

*६४८. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उस के कुटीर उद्योग के संरक्षण के लिए विदेशी उस्तरों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी, नहीं ।

संश्लेषित पट्रोल संयंत्र

*६४९. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री बी० डी० शास्त्री :
श्री टी० बी० विट्ठलराव :
श्री एन० एम० लिंगम :
श्री बोगावत :
श्री एम० इस्लामुद्दीन :
श्री आर० एन० एस० देव :

क्या **उत्पादन** मंत्री १९ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में संश्लेषित पेट्रोल संयंत्र स्थापित करने के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : सरकार भारत में संश्लेषित तेल तैयार करने के लिये पर्याप्त क्षमता का एक संयंत्र स्थापित किये जाने के सिद्धान्त से सहमत हो गई है। परियोजना को दी जान वाली प्राथमिकता उस स्थान में जहां संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिये, तथा इसकी क्षमता के बारे में अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये उपलब्ध संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए किया जायगा। इस बीच, नवीनतम शिल्पिक प्रगतियों का उपयोग करने और इस निर्णय तक पहुंचने में सरकार की सहायता करने के लिये, इन तीन सार्थों से परियोजना प्रतिवेदन मांगे गये हैं ।

(१) मैसर्ज एम० डब्ल्यू० के लोग कम्पनी संयुक्त राज्य अमरीका ।

(२) मैसर्ज़ लर्गी, जर्मनी ।

(३) मैसर्ज़ हैनरिच कोपर्ज जर्मनी ।

अक्तूबर १९५५ के अन्त तक इन प्रतिवेदनों के प्राप्त होने की आशा की जाती है ।

उन सार्थों को, जिन से परियोजना प्रतिवेदन मांगे गये हैं, सहायता तथा परामर्श देने तथा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत होने के उपरांन्त उनका परीक्षण करने और सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिये डा० जे० सी० घोष के सभापतित्व में एक विशेषज्ञ समिति भी नियुक्त की गई है ।

चक्रवात में रेडियो-सक्रियता

*६५०. **श्री पुन्नूस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि २० मई, १९५५ की प्रातःकाल पश्चिम घाट से जो चक्रवात की लहर टकराई थी, उसके प्रभाव में आने वाले व्यक्तियों के सारे शरीर में जलन होने लगी थी ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि चक्रवात के शीघ्र पश्चात् समुद्र के किनारे के वृक्ष मुरझाने लगे थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अद्भुत घटना का कारण जानने की चेष्टा की है ; और

(घ) क्या यह सत्य है कि चक्रवात में रेडियो सक्रियता होने के कारण ऐसी घटना हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ) . भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है और न ही इस विषय में उसको कोई जानकारी प्राप्त हुई है ।

ऊष्मरोधक ईंट फैक्टरी

*६५१. **श्री के० पी० सिन्हा**: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय प्रति वर्ष कितनी ऊष्मरोधक ईंटें बनाई जाती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ऊष्मरोधक ईंटें बनाने के लिये उड़ीसा में एक नई फैक्टरी स्थापित की जाने वाली है ; और

(ग) यदि हां, तो इस फैक्टरी द्वारा उत्पादन आरंभ किये जाने की कब आशा की जाती है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) लगभग १७०,००० टन (संख्या सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है) ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) अगले वर्ष के अन्त तक ।

शिल्प प्रदर्शनी

*६५२. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के विभिन्न भागों में बसे हुए विस्थापित व्यक्तियों द्वारा तैयार की गई शिल्पिक वस्तुओं की औद्योगिक मेलों आदि विशेष अवसरों पर प्रदर्शित किये जाने को प्रोत्साहन देने की एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी प्रदर्शनी के खर्च को पूरा करने के लिये सरकार कुछ वित्तीय सहायता देने का विचार करती है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नमक

*६५३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में मई और जून १९५५ के दौरान में नमक के भाव बहुत ऊंचे हो गये थे और बाजार में नमक का मिलना कठिन हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कमी तथा ऊंचे भाव का क्या कारण था;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई उपाय किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं तथा कब से लागू होंगे ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (घ). स्थिति साफ करने के लिये सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३]**

दामोदर घाटी निगम

*६५४. **श्री रघुनाथ सिंह :**
डा० रामा राव :
श्री गिडवानी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ८ सितम्बर १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६३८ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा मैसर्ज हिन्द पटेल लिमिटेड को किया गया अधिक भुगतान वापिस ले लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). दामोदर घाटी निगम ठेकेदारों से बातचीत कर रहा है और उसके परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

नन्दीकोंडा परियोजना

*६५५. **श्री पी० रामस्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २५ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने नन्दीकोंडा परियोजना की शीघ्र कार्यान्विति और उस के जल्दी ही पूर्ण होने में सहायता देने के लिये टैकनिकल जन शक्ति, सहायक उद्योगों तथा अन्य सहायक योजनाओं के लिये क्या सहायता देने का निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : नन्दीकोंडा परियोजना की कार्यान्विति में आन्ध्र और हैदराबाद राज्यों की सरकारों को सहायता देने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा, जब कि राज्य सरकारों से सहायता की मांग की जायगी ।

पटसन जांच आयोग

*६५६. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन जांच आयोग के प्रतिवेदन पर संबद्ध राज्यों की सरकारों के साथ चर्चा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) आयोग द्वारा की गई सभी सिफारिशों के बारे में राज्यों से चर्चा की गई थी। राज्य सरकारों के साथ हुए शासकीय पत्र

व्यवहार का ब्यौरा बताना लोकहित में नहीं होगा ।

फॉसफट उर्वरक

*६५७. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने फॉसफेट उर्वरक के उत्पादन को गैर सरकारी क्षेत्र के लिये छोड़ देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो आगामी पांच वर्षों में गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा अनुमानत: कितनी मात्रा में फॉसफेट के उत्पादन की आशा की जाती है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान्, इस समय ऐसा ही विचार है ।

(ख) इस प्रश्न का उत्तर भविष्य की मांग के ऊपर अवलम्बित होगा । हाल ही में १९६०-६१ तक प्रतिवर्ष ७२०,००० टन की मांग का अनुमान लगाया गया है ।

ब्रह्मपुत्र में बाढ़

*६५९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रह्मपुत्र के उपपले क्षेत्र में जल के स्तर के बहुत अधिक बढ़ जाने के बारे में, जितना कि आज तक पहले कभी नहीं बढ़ा था, तिब्बत सरकार से कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नदी के किनारों के साथ रहने वाले लोगों को बचाने के लिये कोई पूर्वोपाय किये हैं; और

(ग) क्या ब्रह्मपुत्र पर डिब्रूगढ़ और अन्य स्थानों पर बनाये गये पुश्ते टूट गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तिब्बत स्थित चीनी अधिकारी ल्हासा से बाढ़ चेतावनी संदेश बेतार के द्वारा भेज रहे हैं । ये सन्देश डाक तथा तार बेतार स्टेशन दार्जलिंग द्वारा प्राप्त किये जा रहे हैं और वहां से डिब्रूगढ़ तथा शिलांग के बाढ़ नियंत्रण अधिकारियों को भेजे जा रहे हैं ।

(ख) आसाम सरकार ऐसी कार्यवाहियां कर रही है ।

(ग) डिब्रूगढ़ में कोई पुश्ता नहीं बनाया गया था । अन्य स्थानों पर पुश्ते, साधारणतया ठीक हैं यद्यपि कुछ टूट फूट हो गई है ।

विस्थापित व्यक्तियों की सहकारी संस्थायें

*६६०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान से आय हुए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये बनाई गई सहकारी संस्थाओं को किस रूप में सहायता दी गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (१) पुनर्वास ऋण अर्थात् गृह निर्माण ऋण, व्यापार ऋण आदि ।

(२) अनुज्ञप्तियां, बसें चलाने का अनुज्ञा इत्यादि के प्राप्त करने में सहायता।

(३) कच्चा माल प्राप्त करने में सहायता ।

(४) तैयार माल बेचने की सुविधायें, आदि ।

(५) भूमि का आवंटन ।

गोआ के सत्याग्रही

२८४. **श्री कामत**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि गोआ में कुछ भारतीय सत्याग्रहियों के मामले की शीघ्र ही पुर्तगाली

सैनिक न्यायाधिकरण द्वारा सुनवाई की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उन सत्याग्रहियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या पुर्तगाल की सरकार ने उन्हें अपनी मर्ज़ी के वकील करने की अनुमति दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने पुर्तगाल सरकार से उन्हें ऐसी सुविधायें देने के लिये कहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी, हां ।

(ख) सर्व श्री एन० जी० गोरे तथा एस० पी० लिमये ।

(ग) और (घ). पुर्तगाली विधि के अनसार भारतीय वकीलों को वहां के स्थानीय न्यायालयों अथवा सैनिक न्यायाधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं है । पुर्तगाली सरकार को किसी भारतीय वकील को, जिस के विरुद्ध उनको कोई शिकायत नहीं, गोआ में जाने को सुविधा देने और सर्वश्री गोरे तथा लिमये के बचाव के लिये व्यक्तिगत रूप से वहां के किसी स्थानीय वकील को सहायता देने में कोई आपत्ति नहीं है । तदनसार गोआ विमोचन सहायक समिति एक उपयुक्त वकील को चुन रही है, जो शीघ्र ही गोआ जायेगा ।

औरफनगंज मार्केट, कलकत्ता

२८५. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि क्या यह सच है कि कलकत्ता के औरफनगंज मार्केट में कई लोगों से, जिन्हें वहां भूमि निर्धारित हुई है, संविदाओं से अधिक धन, जिसे साधारणतया "पगड़ी" कहा जाता है, मांगी गई है और ली गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): नहीं, श्रीमान् । जब कभी कोई स्थान खाली होता है, तो उसकी नीलामी की जाती है ताकि उसको लेने को इच्छुक लोगों को पर्याप्त अवसर मिल सके । नीलामी की शर्तों के अनसार निश्चित किये गये मासिक अथवा दैनिक किराये के अतिरिक्त कुछ दलाली अथवा शुरू का भुगतान जिसे वहां "सलामी" कहा जाता है, देना पड़ता है । यह राशि संविदा के अतिरिक्त नहीं होती है ।

आयु वार्धक्य प्राप्त अधिकारी

२८६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में उसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों समेत इस समय आयु वाधिक्यता प्राप्त अधिकारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) १९५४ में पचपन वर्ष की आयु होने से पूर्व जिन अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत कर दिया गया था, उनकी संख्यां क्या है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) २२३ (जिनमें द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अनुसचिवीय सरकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं, जिन्हें साधारणतया एफ० आर० ५६ (ख) (१) के अनुसार साधारणतया ६० वर्ष की आय तक काम करने की अनुमति है ।

(ख) एक व्यक्ति की डाक्टरी आधार पर ।

आकाशवाणी

२८७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी में तुरकी भाषा के प्रसारण प्रस्तुत करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). नहीं, श्रीमान्।

विकास परियोजनायें

२८८. **श्री इब्राहीम** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विकास परियोजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं, जिनके निमित्त बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से १९५५–५६ के लिये वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) कितनी और किन किन परियोजनाओं के लिये सहायता मंजूर की जा चुकी है ;

(ग) प्रत्येक परियोजना को कितनी राशि दी गई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अतिरेक भण्डार

२८९. **श्री इब्राहीम** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ और १९५४–५५ में संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक के उत्सर्जन विभाग में कर्मचारियों (घोषित और अघोषित पथक्-पृथक) की संख्या कितनी थी ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४४**]

बन्दरों का निर्यात

२९०. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून १९५५ तक विदेशों को निर्यात किये गये बन्दरों की संख्या कितनी हैं ; और

(ख) जिन देशों को वे निर्यात किये गये, उन के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) ७२,८८४ बन्दर ।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका ।

ब्रिटेन ।

पश्चिमी जर्मनी ।

डेनमार्क ।

नीदरलैण्ड्स ।

कैनाडा ।

इटली ।

आस्ट्रेलिया ।

कपड़े की मिलें

२९१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी मशीनरी और असंतुलित उपकरण के कारण १९४७ से अब तक कितनी कपड़े की मिलें बन्द हो गई ; और

(ख) १९४७ से अब तक जिन मिलों को पूर्णतः कातने की मिलें बना दिया गया है, उनकी संख्या कितनी है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) १ दिसम्बर, १९४८ से बन्द की गई कपड़े की मिलों की कुल संख्या २६ है [१९४७ तथा १९४८ (नवम्बर तक) के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।] यह पता नहीं कि उनमें पुरानी मशीनरी अथवा असंतुलित उपकरण के कारण कितनी मिलें बन्द हो गईं ।

(ख) एक भी नहीं ।

तिब्बती याक

२९२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में भारत के मार्ग से कितने तिब्बती याकों का निर्यात विदेशों को किया गया ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): सन् १९५४–५५ में भारत से होकर, तिब्बती याकों का कोई निर्यात विदेशों को नहीं हुआ ।

पांडिचेरी में कपड़े की मिलें

२९३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पांडिचेरी के क्षेत्र में कपड़े की कितनी मिलें हैं और उनमें कुल कितने श्रमिक काम करते हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पांडिचेरी राज्य में कपड़े की ३ मिलें हैं, जिनमें अब ३८९० मजदूर काम करते हैं ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आवास

२९४. **श्री गिडवानी** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत सरकार की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सन्था का शिष्टमण्डल मंत्री जी से शिमला में मिला, और उसने अधिक अच्छे आवास के लिए उनसे अनुरोध किया ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग पर क्या फैसला किया गया ?

निर्माण आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान्

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

रेशम

२९५. **श्री तिम्मय्या** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२, १९५३ और १९५४ में देश में उत्पादित कच्चे रेशम का परिमाण कितना है ; और

(ख) उक्त अवधि में कच्चे रेशम की खपत कितनी हुई ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५]**

गोआ के लिये अनुज्ञा-पत्र

२९६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में पुर्तगाली राष्ट्रजनों को भारत प्रवेश के हेतु गोआस्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा कितने अनुज्ञा-पत्र दिये गये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मई से जुलाई १९५५ तक ५५०७ गोआनियों (पुर्तगाली

राष्ट्रजनों) को भारत-प्रवेश के लिये अनुज्ञा पत्र दिये गये ।

भाखड़ा-नंगल परियोजना

२९७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा-नंगल परियोजना नियंत्रण बोर्ड ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये कोई योजनायें भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे योजनायें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) उनका अनुमानित व्यय कितना है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) भाखड़ा-नंगल परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव नियंत्रण बोर्ड द्वारा नहीं बल्कि सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को भेजे जायेंगे । वे निकट भविष्य में प्राप्त होने वाले हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

प्रलेख चित्र तथा समाचार फिल्में

२९८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अभी तक बनाये गये प्रलेख चित्रों तथा समाचार फिल्मों की संख्या तथा ब्योरा क्या है ;

(ख) ये किन भाषाओं में बनाई गई हैं; और

(ग) इन प्रलेख चित्रों के निर्माण में खर्च की हुई कुल रकम कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है, **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ग) जैसा कि २६ नवम्बर, १९५४ के श्री बी० डी० शास्त्री के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ के उत्तर में पहले ही बताया गया है, प्रलेख चित्रों तथा समाचार फिल्मों के निर्माण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय चलचित्र विभाग (फिल्म्ज़ डिवीजन) द्वारा भुगता जाता है । नियमित मूल्यांकन व्यवस्था के अभाव में ठीक से यह कहना कठिन है कि प्रलेख चित्रों पर कुल कितना व्यय हुआ ।

आयात किये गये सामान की खरीद

२९९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में संभरण और उत्सर्जन महा-निदेशालय द्वारा आयात किये गये सामान की खरीद का कुल मूल्य कितना है ;

(ख) इसमें से कितनी खरीद प्रत्यक्ष रूप से और कितनी खरीद विदेशी निर्माताओं के भारतीय एजन्टों द्वारा की गई ;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें कथित आदेशानुसार सामान प्राप्त नहीं हुआ ;

(घ) ऐसे सामान का कुल मूल्य कितना है ; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ३२.४० करोड़ रुपये ।

(ख) भारतीय एजन्टों द्वारा ३१·११ करोड़ रुपये ।

प्रत्यक्ष रूप से १.२९ करोड़ रुपये ।

(ग) तीन ।

(घ) २३,८५० रुपये ।

(ङ) इन तीन मामलों का सम्बन्ध सिगनल के तार से था । जैसा कि आदेश दिया गया था उस के अनुसार वह तार कुछ घटिया किस्म का था, इसलिये परीक्षण विभाग द्वारा पहले जांच कराने के बाद उसे ३ प्रतिशत कम मूल्य पर ले लिया गया ।

वैदूर्य अयस्क की खानें

३००. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र राज्य में जिन वैदूर्य अयस्क की खानों का पता लगा है उनमें खुदाई के लिये जिस गैर-सरकारी दल को पट्टा दिया गया है उसका नाम क्या है;

(ख) यह पट्टा कितने समय के लिये दिया गया है;

(ग) इस पट्टे की शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या इन खानों का खुदाई कार्य आरम्भ हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो किस तिथि से; और

(च) अभी तक प्राप्त किये गये वैदूर्य का परिमाण कितना है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क). श्री पी० सी० रंगराजू, सरकारी ठेकेदार और खान मालिक, दासनापेट, विजयनगरम् ।

(ख) बीस वर्ष ।

(ग) आंध्र सरकार, उद्योग विभाग, सहकारिता और श्रम जी० ओ० एम० एस० संख्या ५८७, दिनांक ७-३-१९५५ की एक प्रति, जिसमें पट्टे की शर्तें दी गई हैं, संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७]

(घ) से (च). अभी तक उस दल ने खुदाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया है ।

विदेशों से शिष्टमंडल

३०१. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में जो विदेशी शिष्टमंडल भारत आये, उन की संख्या कितनी है ।

(ख) उनमें से विदेशी सरकारों द्वारा प्रेरित तथा प्रेषित शिष्टमंडलों की संख्या एवं भारत सरकार द्वारा आमंत्रित शिष्टमंडलों की संख्या कितनी है ;

(ग) उनमें से कितनों को कथित वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में राज्य-अतिथि के रूप में रखा गया; और

(घ) प्रत्येक वर्ष सरकार का उन के कारण कितना व्यय हुआ ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

खादी वाणिज्य स्थान

३०२. **श्री राम दास** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून १९५५ तक अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खोले गये वाणिज्य स्थानों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) १९५४-५५ और १९५५ में अभी तक सरकार द्वारा उन्हें कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) मांगी गई जानकारी सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ख) सरकार ने किसी वाणिज्यस्थान को आर्थिक सहायता नहीं दी है। सरकार ने उन्हें कार्यकारी पूंजी अवश्य दी है। जब बिक्री होती है तब वे सहायता में ली गई राशि को चुका देते हैं।

उन्हें दिया गया अग्रिम धन (जून १९५५ तक), उनके द्वारा किये गये भुगतान तथा बकाया रकम का ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४८]**

रहने के लिये स्थान

३०३. **श्री डी० सी० शर्मा:** क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) २५० रुपये अथवा उससे कम मासिक वेतन वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक निवासस्थान नहीं दिये गये हैं;

(ख) इन में से ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो ३१ दिसम्बर, १९४४ से पहले के नौकर हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि स्थान आवंटित किये जाने के नियम पिछले आठ वर्षों में इतनी बार बदले गये हैं कि ज्येष्ठ कर्मचारियों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख) केवल २५० रुपये मासिक से कम वेतन पाने वालों की श्रेणी के आंकड़े ही इस समय प्राप्य हैं, २५० रुपये वेतन पाने वालों के नहीं। जहां तक दिल्ली और नई दिल्ली का प्रश्न है मांगी गई जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४९]**

(ग) नहीं श्रीमान्, । हो सकता है कि कुछ ज्येष्ठ कर्मचारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा हो किन्तु इन परिवर्तनों से अधिक-से-अधिक सरकारी कर्मचारियों को अधिक-से-अधिक लाभ हुआ है।

लोक-सभा

वाद - विवाद

बुधवार,
१० अगस्त, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ५, १९५५

(२५ जुलाई से १३ अगस्त, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Digitized
On 11.11.83
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	सतम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर प्रदेश में बाढ़ें	१–३
श्री एन० एम० जोशी तथा श्री पतिराम राय का निधन .	३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३–४
सभा पटल पर रखे गये गये पत्र—	
भारतीय विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना .	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम . .	४–५
नवम सत्र की समाप्ति पर प्रख्याप्ति अध्यादेश	५–६
सरकार द्वारा आश्वासनों, आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	६–७
प्रथम साधारण निर्वाचन का प्रतिवेदन, खण्ड २ .	७
भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की प्रगति का विवरण	७
सोदपुर ग्लास वर्कस सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय का संकल्प	८
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधि-सूचनायें .	८
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें	९
पुनर्वास वित्त प्रशासन के विवरण और प्रतिवेदन .	९–१०
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१०
गोआ की स्थिति	१०–२०
अष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०
अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०–२१
हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक—संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत . . .	२१–१०७
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७–१२८
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
त्रावनकोर खनिज व्यापार-संस्था, चवारा में हड़ताल .	१२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन—	
(१) इस्पात का प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के लिये कोयला खान खण्ड मानने के सम्बन्ध में; . .	१२९–१३१

	स्तम्भ
(२) कैलशियम क्लोराइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
(३) सोडा ऐश उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में ;	१२९–१३१
(४) टिटेनियम डायक्साइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में; और	१२९–१३१
(५) हाइड्रोकुनीन उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१३१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि .	१३२
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१३२
समय के बंटवारे का आदेश—चर्चा असमाप्त	१३२–१३४
सभा का कार्य . . .	१३४–१३५
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति	१३४–१४९
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पारित.	
विचार करने का प्रस्ताव—	१४९–१७०
खण्ड २ और १,	१७०–१७१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	१७१–१७३
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक . विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१७३–१७७
श्री ए० सी० गुह	१७३–१७७
गोआ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—समाप्त .	१७७–२३६
अंक ३—बुद्धवार, २७ जुलाई, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश . संख्या २४ से २९ . .	२३७–२३८
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . .	२३८–२३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— इकतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . .	२३९
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक. विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	२४०–३२६
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
सभा—पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क रियायतों का विश्लेषण विवरण	३२७

	स्तम्भ
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
दसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	३२७–३२८
स्थगन प्रस्ताव—	
महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, गोरखपुर .	३२८–३२९
समय के बंटवारे का आदेश .	३२९–३४१
सभा का कार्य	३४२–३८१
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ६	३४३
खण्ड ७	३४३–३५१
खण्ड ८ से १५	३५६–३५९
खण्ड १६	३५९–३६१, ३७०
खण्ड १७ से २३	३६२–३७०
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७०–३८१
भारतीय टंकन संशोधन विधेयक	३८१–४२०
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३८१–३९४

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५

सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५५–५६, के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . .	४२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	४२१–४२२
भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४२२–४३१
खण्ड २	४३१–४५०
खण्ड १	४५०–४५१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव— स्वीकृत . .	४५१
भू–सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४५१–४६५
खण्ड २ और १	४६५
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४६५
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	४६५–४६७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत .	४६८
केन्द्रीय कृषि वित्त निगम के बारे में संकल्प—	
वापस लिया गया	४६८–४९८

स्तम्भ

वतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प--
असमाप्त ४६८-५१०

अंक ६--सोमवार, १ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र--
१९५५-५६ के लिये एयर-इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के आय तथा व्यय के आयव्ययक प्राक्कलनों का सारांश ५११
बीमा अधिनियम, १९३८ के अन्तर्गत अधिसूचना . ५११-५१२
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) आध्यादेश प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण . . ५२४-५२५
अनुपस्थिति की अनुमति ५१२
समिति के लिये निर्वाचन--
लोक लेखा समिति ५१२-५१३
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५२--
वापस लिया गया ५१३-५१४
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५--
पुरःस्थापित . . . .
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . ५१४
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--राज्य-सभा को भेजने के बारे में अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य . . . ५१५
मद्यसारिक उत्पाद (अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) संशोधन विधेयक-- ५१५-५७०
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत
खंड २ से १४ तथा १ ५३९-५६९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत ५७०
बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव--पारित ५७०-५९५
खंड २ से १० तथा १ . . . ५९२-५९९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--
स्वीकृत . ६००-६०२

अंक ७--मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव--
पुर्तगाली पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार . . . ६०३-६०४
संसद् भवन की सीमा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग ६०४-६०६
एयर-इंडिया इंटरनेशनल विमान के दक्षिण चीन सागर में गिरने के बारे में वक्तव्य ६०६-६०९

	स्तम्भ
उत्तर प्रदेश में बाढ़ों के बारे में वक्तव्य . . .	६०६–६१२
दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक-- .	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	६१२–६१७
खण्ड २ से ६ और १	६३७
संशोधित रूप में पारित .	६३७–६३८, ६६१
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त	६३८–६६१, ६६१–६८६

अंक ८--बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन के अभिसमय संख्या ५ के अनुसमर्थन के बारे में वक्तव्य	६८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
बत्तीसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	६८७
पुर्तगाली पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य	६८८–६८९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित .	६८९
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक	
विधेयक--पुरःस्थापित .	६८९–६९०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त	६९०–७६०

अंक ९-- गुरुवार, ४ अगस्त, १९५५

गोआ की सीमा पर घटनाओं के बारे में वक्तव्य	७६१–७६३
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक--	
पुरःस्थापित	७६३
सभा-पटल पर रखा गया पत्र--	
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन अध्यादेश, १९५५ के प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण	७६३
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन)	
विधेयक-संयुक्त समिति को सौंपा गया	७६३–८१८
श्री पाटस्कर	७६३–८१७
दरगाह ख्वाजा साहब विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८१९–८५१
खण्ड २ से २२ और १	८५१–८८१

	स्तम्भ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८१–८८३
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८४–८९६
अंक १०--शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति--	
बाईसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	८९७
विधि आयोग के बारे में वक्तव्य	८९७–९००
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--	
खण्ड २ से ६ और १	९००–९०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	९०१–९०५
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--	
असमाप्त	९०५–९३६
तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९३६–९४१
बत्तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९४१
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४२९ का संशोधन)--पुरःस्थापित	९४१–९४२
बाल विवाह रोक (संशोधन)	
विधेयक (धारा १२ का संशोधन)--पुरःस्थापित	९४२
कारखाना (संशोधन) विधेयक	
(धारा ५९ के स्थान पर नई धारा रखना)--पुरःस्थापित	९४२–९४३, ९५८–९५९
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४३५ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वाद-विवाद	
स्थगित	९४३–९४७
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (नई धारा २० क का रखा जाना)	
वापस लिया गया	९४७–९५८
कर्मकर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३क का रखा जाना)	
पुरःस्थापित	९५९
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक--	
(धारा २ और ४ का संशोधन)--	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव--प्रस्तुत नहीं किया गया	९५९
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (धारा १७ का	

	स्तम्भ
संशोधन) विचार करने का प्रस्ताव---अस्वीकृत .	९६२–९७२
भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)---	
विचार करने का प्रस्ताव---वापिस लिया गया .	९७२–९७९
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक--.	
विचार करने का प्रस्ताव---असमाप्त	९८०
अंक ११---सोमवार, ८ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखा गया पत्र---	
रक्षित तथा सहायक वायु सेना	
अधिनियम के नियमों में संशोधन	९८१
कार्य मंत्रणा समिति--- . .	
बाईसवां प्रतिवेदन---स्वीकृत . .	९८१
नागरिकता विधेयक---	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव---	
असमाप्त	९८२–१०४८
अंक १२---मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र---	
सान के पत्थर के उद्योग आदि को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में	
प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	१०४९–१०५०
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	१०५०–१०५१
नागरिकता विधेयक---	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव---स्वीकृत . . .	१०५२–११००
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक---	
विचार करने का प्रस्ताव---स्वीकृत . . .	११००–११२९
खण्ड २ और ३ और १	११२९–११३०
विचार करने का प्रस्ताव---स्वीकृत . . .	११२९–११३२
समवाय विधेयक---	
विचार करने का प्रस्ताव---असमाप्त .	११३२–११३४
अंक १३---बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र---	
नकली रेशम और सूत एवं नकली रेशम मिश्रित रेशा उद्योग आदि को	
संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	११३५–११३६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति---	
तेतीसवां प्रतिवेदन---उपस्थापित . . .	११३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना---	
कलकत्ता पत्तन पर जहाजों से माल उतारने और माल लादने वाले मज-	
दूरों का 'धीरे काम करो' आन्दोलन	११३६–११३८
समवाय विधेयक---	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव---असमाप्त	११३८–१२१०

	स्तम्भ
अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर प्रदेश में बाढ़ें	१२११–१२१३
अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—	
पुरःस्थापित . . .	१२१३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	१२१४–१२४४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तेतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत .	१२४४–१२४५
वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—अस्वीकृत .	१२४५–१२८६
वैदेशिक व्यापार पर राज्य एकाधिकार के बारे में संकल्प—असमाप्त	१२८७–१२८८
अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५	
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	
असमाप्त	१२८९–१३४२
अनुक्रमणिका	१–८

लोक-सभा

बधवार, १० अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्यान्ह

सभा पटल पर रखा गया पत्र

नकली रेशम और सूत एवं नकली रेशम मिश्रित रेशा उद्योग आदि को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, अर्थात् :—

(१) नकली रेशम और सूत और नकली रेशम मिश्रित रेशा उद्योग को संरक्षण चालू रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५) ।

(२) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ३६ (३)—टी० बी०/५४, दिनांक ६ अगस्त, १९५५ ।

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२) के उपबन्ध के अन्तर्गत (१) और (२) में उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियां नियत समय में न रखे जा सकने के कारणों का निवारण ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस०—२४६/५५] ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

तेतीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के नियमों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का तेतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कलकत्ता पत्तन पर जहाजों से माल उतारने और माल लादने वाले मजदूरों का 'धीरे काम करो' आन्दोलन

श्री कासलीवाल (कोटा झालावाड़) : मैं रेलवे तथा परिवहन मंत्री का ध्यान कलकता पत्तन पर जहाजों से माल उतारने और उन पर माल लादने वाले मजदूरों के धीरे काम करो आन्दोलन की ओर आकर्षित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस विषय पर एक वक्तव्य दें ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : कलकत्ता पत्तन पर जहाजों से माल उतारने और उन पर माल लादने वाले मजदूरों ने २४ जुलाई, १९५५ को धीरे काम करो आन्दोलन प्रारम्भ किया। प्राधिकारियों को इस अचानक किये जाने वाले आन्दोलन का कोई कारण नहीं बताया गया। मजदूरों के एक दल ने इस आन्दोलन का कारण कुछ मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी बताई। ये गिरफ्तारियां २४ जुलाई १९५५ को विधि और व्यवस्था के विचार से पुलिस द्वारा की गई थीं और दूसरे दिन उन लोगों को जमानत पर छोड़ दिया गया था। धीरे काम करो आन्दोलन तेजी से बढ़ता गया। काम में सामान्यतया ५० प्रतिशत की कमी और कुछ मामलों में १२.५ प्रतिशत की कमी हो गयी। इस ख्याल से कि स्थिति और भी खराब न हो जाय मैं ने परिवहन मंत्रालय के सचिव को कलकत्ता जा कर वहां की स्थिति का अध्ययन कर के उसका प्रतिवेदन पेश करने को कहा। सचिव ने सभी सम्बन्धित संघों के नेताओं से बात-चीत की जो पहिले ही धीरे काम करो आन्दोलन से अलग हो गये थे। पत्तन के काम पर खराब असर डालने वाली स्थिति का सामना करने के लिये कलकत्ता पत्तन कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) योजना का मई, १९५५ में संशोधन कर के डाक मजदूर बोर्ड के सभापति को यह अधिकार दिया गया कि वह सरकार के अनुमोदन से योजना के अन्तर्गत आपात घोषित कर दे। जब आपात की घोषणा कर दी जाती है तो सभापति को अधिकार होता है कि वह उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन पर अनुशासनहीनता या धीरे काम करो का आरोप लगाया गया हो, जांच करे और अपराधियों को उचित दण्ड दे। चूंकि पत्तन कर्मचारी बोर्ड के सभापति ने स्थिति को योजना के अन्तर्गत आपति घोषित करना उचित समझा, इसलिये सरकार के अनुमोदन से १ अगस्त, १९५५ से तीन मास के लिये आपात काल की घोषणा कर दी गई।

पिछले दो हफ्तों में, संघों की आपसी प्रतिद्वन्दिता के कारण, कलकत्ता पत्तन के कर्मचारियों में मारपीट की कई छोटी-मोटी घटनायें हुईं और छुरा मारने की भी एक घटना हुई। इस के परिणामस्वरूप ८ अगस्त १९५५ को प्रादेशिक श्रम आयुक्त के कार्यालय में प्रतिद्वन्दी दलों में झगड़ा हुआ जिस में कुछ लोगों को चोटें आईं। स्थिति गम्भीर हो गई और पुलिस को भीड़ को हटाने के लिये अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ा। बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और उसके बाद पुनः शान्ति स्थापित हो गयी है।

जहां तक माल उतारने-चढ़ाने वाले मजदूरों के काम का प्रश्न है, उसमें कुछ एक स्थानों को छोड़ कर काफी उन्नति हो रही है।

समवाय विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये रूप में समवाय विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगी। इस विधेयक की सामान्य चर्चा के लिये २५ घंटे निश्चित किये गये हैं सदस्यों को ३० मिनट और दलों के नेताओं को एक घंटे का समय मिलेगा।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं समझता हूं कि मुझे इस विधान का पूरा इतिहास बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। समवाय विधि सुधार का मामला सरकार के सामने लगभग ९ वर्षों से किसी-न-किसी रूप में रहा है अतः कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि इस मामले में जल्दबाजी की गयी। इस विधान का भाग्य कुछ विचित्र सा मालूम पड़ता है। सभा को विदित है कि

समवाय विधि सुधार के प्रश्न का विस्तृत पुनर्विलोकन १९३६ में हुआ था पर संशोधित विधि के लागू होने के पूर्व ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया और १९४५ तक अर्थात् द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने तक, वाणिज्य और उद्योग का बहुत अधिक विस्तार हो गया । धन कमाना आसान हो गया था और उपक्रमियों और गैर-सरकारी विनियोजकों के मन में काफी विश्वास पैदा हो गया था । परिणामस्वरूप युद्ध के बाद कई प्रकार के उपक्रम शुरू किये गये । पर शीघ्र ही यह पता लगा कि समवायों के प्रबन्ध की दशा ठीक नहीं है, इसलिये १९४६ में समवाय विधि की कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन करने के लिये पहला कदम उठाया गया ।

१९३६ के बाद के इन ४० वर्षों में आर्थिक दशा तथा राजनैतिक दशा में पूर्ण परिवर्तन हो गया है, जिस के परिणामस्वरूप हमारी विचार धाराओं और विचारों में भी परिवर्तन हो गया है । बहुत सी नई बातें पैदा हो गई हैं । और पुरानी बातों के सम्बन्ध में भी हमारा ढंग बदल गया है । पर मूल उद्देश्य तो वही है कि गैर-सरकारी विनियोजनों को, जो सरकारी क्षेत्रों में नहीं हैं, प्रोत्साहन दिया जाये, उसको संरक्षण दिया जाये और सार्वजनिक हित के लिये उन का विनियमन किया जाये । एक शब्द में कहा जा सकता है कि गैर-सरकारी उपक्रम की रक्षा करना ही इस विधेयक का प्रयोजन है, न कि उस के मार्ग में रुकावट डालना ।

माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों तथा उक्त वक्तव्यों को ध्यान में रख कर संयुक्त समिति ने यह काम किया है । समिति ने बड़े बड़े और मुख्य वाणिज्य मंडलों जैसे बम्बई अंशधारी संस्था (बाम्बे शेयर होल्डर्ज एसोसियशन), भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ भारतीय श्रम जीवी पत्रकार संघ, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट (अधिकृत लेखापाल) संस्था तथा कलकत्ता और बम्बई की इन्कारपोरेटेड (निगमित) विधि समितियों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की ।

एक वर्ष की अवधि में समिति की ६१ बैठकें हुईं और उस की दो उपसमितियों की ८ बैठकें हुईं जिन में उन्हों ने केवल विधेयक के महत्वपूर्ण उपबन्धों की ही छानबीन नहीं की, बल्कि उस के साथ की १२ अनसूचियों को भी देखा । मैं समझता हूं कि सभा मेरे साथ इस बात से सहमत होगी कि संयुक्त समिति और दोनों उपसमितियों को धन्यवाद दिया जाये कि उस ने इतने बड़े विधान की बातों को इतने संक्षिप्त प्रतिवेदन में व्यक्त किया है ।

चूंकि यह विधेयक एक संशोधक तथा तथ्यों को इकट्ठा करने वाला विधान था, अतः इस में केवल विस्तृत उपबन्धों की छानबीन करने की ही आवश्यकता नहीं थी बल्कि आज की आर्थिक विचारधारा को ध्यान में रखते हुए इसके मूल सिद्धांतों के पुनरीक्षण की भी आवश्यकता थी । इस प्रकार संयुक्त समिति का कार्य बहुत कठिन और ध्यान देने योग्य था और उस के कठिन परिश्रम के परिणामस्वरूप ही इस विधान के सम्बन्ध में अगला कदम उठाना संभव हो सका ।

जैसा कि मैं ने बताया, संयुक्त समिति के सामने मूल उद्देश्य यह था कि अंशधारियों में आत्म विश्वास स्थिर किया जाये और उन के उचित हितों को राष्ट्रीय-अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संरक्षण दिया जाये ।

यद्यपि संयुक्त समिति ने बहुत से संशोधनों का सुझाव दिया है फिर भी उस का मूल स्वरूप वैसा ही है । संयुक्त समिति ने ६४९ खण्डों में से १७० खण्डों के सम्बन्ध में संशोधनों का प्रस्ताव किया है। संयुक्त समिति की छानबीन के बाद भी मूल विधेयक के ७० प्रतिशत से अधिक भाग में कोई संशोधन नहीं हुआ है ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

संयुक्त समिति के संशोधनों में अधिकांश संशोधन या तो प्रारूप संबंधी हैं या मामलों की पुर्नव्यवस्था के परिणामस्वरूप हैं । यदि इन को छोड़ दिया जाय तो मुश्किल से १०० खंडों के संबंध में संयुक्त समिति के महत्वपूर्ण संशोधन हैं और उन में ४० या ५० खंडों में ही नीति के मामलों पर संशोधनों के सुझाव हैं । इन ५० के लगभग खण्डों में अधिकतर निदेशकों और प्रबन्ध अभिकर्ताओं से संबंधित विवाद ग्रस्त उपबन्ध सम्मिलित हैं। मैंने ये आंकड़े इसलिये बताये ताकि माननीय सदस्य यह समझ सकें कि संयुक्त समिति ने कितना काम किया है ।

संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित सभी सुझावों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता । इन में जो महत्वपूर्ण हैं उन के बारे में समिति के प्रतिवेदन में व्याख्या कर दी गई है और वाद-विवाद के दौरान हमें इन पर विचार करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा इस समय मैं सभा का ध्यान विधेयक के केवल उन महत्वपूर्ण संशोधनों की ओर आकर्षित करूंगा जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि देश के सम्मिलित उपक्रम की कार्यपालिका पर उन का प्रभाव पड़ सकता है ।

सर्व प्रथम मूल विधेयक के समवायों की संशिष्टि और उन के मूल स्वरूप संबंधी उपबन्धों को लीजिये । इन में से अधिकांश ज्यों के त्यों हैं । पर यदि माननीय सदस्य खण्ड ८४ से ८६ तक को देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि संयुक्त समिति ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है जिस के अनुसार केन्द्रीय सरकार से मूल विधेयक में अनुपातहीन मत अधिकारों के साथ अंश देने का अधिकार लौटा दिया गया है । इस के अतिरिक्त संयुक्त समिति के सभी सुझाव पूर्व के सुझावों के अनुकूल ही हैं । इन में यह बताया गया है कि भविष्य में इन सुझावों में केवल दो प्रकार के अंश होंगे सामान्य और अधिमान्य--- और अधिमान्य अंशों के सम्बन्ध में कोई मताधिकार नहीं होगा जब तक कि मताधिकार के अतिरिक्त अन्य अधिकारों पर समवाय की कार्यवाहियों का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो ।

इसके अतिरिक्त, अनुपातहीन मताधिकार वाले अंश निरोधात्मक होंगे और जिन वर्तमान समवायों ने अंश जारी कर दिये हैं, उन्हें इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष के भीतर अपने मताधिकार वाले अंशों का पुनः समायोजन करना होगा ।

इस के बाद जहां तक समवाय की प्रक्रिया और बैठकों का सम्बन्ध है, संयुक्त समिति द्वारा किये गये परिवर्तनों से अंशधारियों के अधिकारों को बढ़ाया गया है । पर सभा को पता लगेगा कि वे परिवर्तन बहुत उपयोगी नहीं हैं। मैं जानता हूं कि अंशधारियों के अधिकारों के संबंध में यहां पर लोगों के भिन्न-भिन्न मत होगें, विशेषतया समवाय की बैठकों की अनुपस्थिति तथा इन अधिकारों को संयुक्त स्कन्ध समवाय की सुचारु कार्य प्रणाली से तय करने के सम्बन्ध में । पर मैं देखता हूं कि संयुक्त समिति ने जो संशोधन पेश किये हैं वे मूल विधेयक के उपबन्धों में निहित सिद्धान्तों से बाहर नहीं हैं । समवाय के निरीक्षण और उस के मामलों की छानबीन करने के सम्बन्ध में संयुक्त समिति ने केवल यही एक विशेष परिवर्तन किया है कि भविष्य में किसी भी निगम या व्यावसायिक संस्था को समवाय अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक न नियुक्त किया जाये । और निरीक्षकों को समवायों के मामलों, प्रबन्ध अभिकर्ताओं या उन के सहयोगियों के मामलों में जांच करने का जो अधिकार था वह अब केवल केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से होगा । संयुक्त समिति ने सोचा कि निरर्थक और अलाभकर जांचों

को रोकने का कुछ उपाय होना चाहिये क्योंकि उस से कोई लाभ नहीं होता ।

इस सम्बन्ध में समवाय लेखे और समवाय लेखापरीक्षकों सम्बन्धी उपबन्ध के सम्बन्ध में हमें कुछ कहना है । माननीय सदस्यों को पता होगा कि विधेयक की अनुसूची ६ में संतुलन-पत्र का एक मान निश्चित किया गया है और यह भी तय किया गया है कि किस प्रकार हानि और लाभ का हिसाब उनमें दिखाया जाय। संयुक्त समिति ने इस उपबन्ध को स्वीकार किया है पर यह भी कहा है कि जहां पर किसी विशेष अधिनियम के द्वारा किसी समवाय के लेखाओं का हिसाब रखा जाता है जैसे बैंक, बीमा कम्पनी या विधुत् संभरण समवाय आदि वहां पर इस विधेयक के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।

खण्ड २१०, का जो प्रारूप बनाया गया है उस पर विचार करने पर ऐसा लगता है कि इस संबंध में अपने विचार को स्पष्ट करने के लिये एक छोटे से प्रारूप संशोधन का प्रस्ताव करना आवश्यक है ।

जहां तक लेखा परीक्षकों की शर्तों का सम्बन्ध है, संयुक्त समिति ने एक महत्वपूर्ण बात को छोड़ कर मूल विधेयक के उपबन्धों की पुष्टि की है । समिति ने यह सोचा कि, केन्द्रीय सरकार को अधिकृत लेखापाल संस्था के सदस्यों को छोड़ कर, अन्य अधिकृत लेखापालों को मान्यता देने के स्वविवेक का जो प्राधिकार सौंपा गया था वह पारस्परिक आधार पर केवल विदेशी अर्हता प्राप्त लेखापालों को मान्यता देने तक ही सीमित हो । इसी के अनुसार मूल विधेयक के खंड २११ को, खंड २२५ में बताई गई पद्धति के अनुसार, परिवर्द्धन किया गया । अधिकृत लेखापालों की संस्था भी केन्द्रीय सरकार में ऐसे प्राधिकारियों की आवश्यकता अनुभव करती है जो कि पारस्परिकता के आधार पर विदेशों में अर्हता प्राप्त अधिकृत लेखापालों को मान्यता दे । वे केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिकारों को, अधिकृत लेखा पाल अधिनियम १९४९ के द्वारा, देने को उत्सुक हैं, न कि समवाय अधिनियम के द्वारा । हम संस्था की उक्त सिफारिश को स्वीकार करने के लिये तैयार हो गये हैं और हम इस आधार पर कि सभा अधिकृत लेखापाल अधिनियम में संशोधन को स्वीकार कर लेगो, चालू सत्र में ही अधिकृत लेखापाल अधिनियम का संशोधन करने वाले एक छोटे विधेयक को प्रस्तुत कर चुके हैं । मैं यथासमय समवाय विधेयक के खंड २२५ के आनुषंगिक संशोधनों को प्रस्तुत करूंगा और यह सुझाव दूंगा कि केन्द्रीय सरकार का स्वविवेक वाला उपबन्ध हटा दिया जाय ।

अब मैं विधेयक के उन उपबन्धों को लेता हूं जो कि निदेशकों के महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्ध रखते हैं । संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रबन्ध अभिकर्ताओं से सम्बन्ध रखते हैं । किन्तु यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि उन्होंने इन संशोधनों में कोई नये सिधान्त पुरःस्थापित किये हैं । मैं अपने तर्कों में विधेयक के दो नये खंड २६४ तथा ४०७ का विश्लेषण करूंगा, जिस के लिये कहीं-कहीं संयुक्त समिति की आलोचना हुई है । संयुक्त समिति द्वारा निर्दिष्ट खंड २६४ में, यह व्यवस्था की गई है कि समवायों को अपने अनुच्छेद में यह उल्लिखित करने का अधिकार होना चाहिये कि किसी सार्वजनिक समवाय अथवा निजी समवाय, जो कि सार्वजनिक समवाय से ही सहायता प्राप्त है, से दो तिहाई निदेशकों के सामानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तों पर बोर्ड में चुनाव हो सकता है, जहां पर समवाय बोर्ड के लिये इस प्रकार का चुनाव करना चाहे । तो इस खंड में अग्रेतर यह उपबन्ध किया गया है कि निदेशकों की नियुक्ति एक बार तीन वर्षों

[श्री सी० डी० देशमुख]

के लिये की जा सकती है। लेकिन यह एक अनुमतिपूर्ण उपबन्ध है जो कि समवाय के इस अधिकार में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करता कि वे अपने बोर्ड के लिये निदेशकों का चुनाव जैसे भी चाहें, करें। हमारी जानकारी में संयुक्त राज्य अमरीका के संघीय राज्यों की निगम विधि में समवायों के बोर्डों में इसी पद्धति से चुनाव का उपबन्ध है। चुनाव की इस पद्धति के चाहे जो भी लाभ हों—हमारे देश में इस प्रकार के अनुभव की अनुपस्थिति में इसे रूढ़िवादिता नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं जानता कि बोर्ड के लिये सदस्यों का चुनाव करने की पद्धति का विनयमन करने वाले अधिकारों को संयुक्त स्कंध समवायों के गठन का विरोध नवीनीकरण कैसे कहा गया है। निःसन्देह कुछ सदस्य, जो कि संयुक्त समिति के भी सदस्य थे, इस अनुमतिपूर्ण उपबन्ध से सन्तुष्ट नहीं हैं और वे इस सम्बन्ध में इस संविधि उपबन्ध बनाना चाहते हैं। जब वे इस प्रश्न को उठायेंगे तब मुझे इस विशेष पहलू पर तर्क करने का अवसर मिलेगा। संक्षेप में, यह स्वयं-सिद्ध नहीं है कि राजनैतिक संस्थाओं के सम्बन्ध में प्रजातन्त्र का स्वीकृत रूप, प्रत्यक्षतः औद्योगिक उद्योगों कुप्रबन्ध के लिये अनुपयुक्त होगा।

संयुक्त समिति द्वारा निविष्ट नया खंड ४०७ जिस को कि कई क्षेत्रों में समवाय विधान के मूलभूत सिद्धान्तों से गत नवीनीकरण कहा गया है, केन्द्रीय सरकार को, ऐसे दो व्यक्तियों को जो कि किसी समवाय के सदस्य हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित ऐसी अवधि तक, जो कि तीन वर्ष से अधिक न हो, उस के निदेशक के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान करती है। ऐसी नियुक्तियां करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार अपने को इस बात से सन्तुष्ट कर लेगी कि आवेदन-पत्र समवाय के ऐसे सदस्य का है जो कि कुल निर्वाचन सामर्थ्य के दसवें भाग से कम पर अधिकार नहीं रखता है। ऐसी नियुक्तियों के लिये यह एक आवश्यक शर्त है जिस से कि समवाय का संचालन इस प्रकार से न हो कि समवाय के किसी सदस्य को हानि पहुंचे अथवा उस के हितों को कोई धक्का लगे।

मैं चाहता हूं कि सभा, इस सम्बन्ध में इस बात पर ध्यान दे कि केन्द्रीय सरकार को दिया गया अधिकार इस प्रकार का है कि वह स्वविवेक से तभी उस का प्रयोग करेगी जब कि उपयुक्त प्रयोजन के लिये वह अपने अधिकारों को प्रयुक्त करना आवश्यक समझेगी। यदि माननीय सदस्य इस विधेयक में विशिष्ट अल्पसंख्यक अंशदाताओं के हितों का रक्षण करने वाले उपबन्धों का जिक्र करेंगे, जिनको सामान्यतया समर्थन प्राप्त हो चुके हैं, तो उन्हें यह ज्ञात होगा कि नया खंड ४०७ कार्यपालिका सरकार को ऐसी शक्तियां देता है जो कि दूसरे खंडों द्वारा न्यायालयों को पहिले ही दी जा चुकी हैं ऐसे मामलों में व्यापक मतभेद होना सम्भव है, और मैं यथासभव सभा की आलोचना का स्वागत भी करूंगा, किन्तु मैं यह बतलाना चाहता हूं कि, संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन मूल विधेयक के सिद्धान्तों की सीमा से बाहर नहीं गया है। निःसन्देह मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन उपबन्धों की आलोचना करने वालों के हृदय में कुछ भ्रांति है। संयुक्त समिति ने इस मूल विधेयक में उल्लिखित समवाय विधि की व्यापक रूप रेखा पर विचार किया, न कि विधेयक के उपबन्धों के वास्तविक विवरण पर। सभा को स्मरण होगा कि विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव करने की चर्चा के उत्तर के दौरान मैं ने यह बात कही थी। मैं ने कहा था कि विधेयक का सर्व-व्यापक सिद्धान्त यह है कि 'वर्तमान समवाय विधियों को संशोधन की आवश्यकता है, इसलिये माननीय सदस्यों द्वारा गौर की

हुई सभी बातों पर संयुक्त समिति ध्यान देगी' । किसी बात को रोका नहीं गया है ।

अब मैं संयुक्त समिति द्वारा पुरःस्थापित निदेशकों के पारिश्रमिक से सम्बन्ध रखने वाले महत्वपूण उपबन्ध, जो कि वादविवाद का विषय रहा है, को लेता हूं । सभा को स्मरण होगा कि मूल विधेयक में प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पारिश्रिमक की उच्चतम सीमा की व्यवस्था की गई थी तथा समवाय के शुद्ध लाभ पर जो कि कमीशन के रूप में निदेशकों को दिया जा सकता है, के प्रतिशत की सीमा निर्धारित कर दी गई थी, किन्तु उस में न तो निदेशकों के कुल पारिश्रमिक की कोई उच्चतम सीमा थी और न समवाय के कुल प्रबन्ध पारिश्रमिक की ही सीमा थी। इसलिये संयुक्त समिति ने एक नया खंड १९७ निविष्ट कर दिया है जिस में कहा गया है कि एक समवाय द्वारा शुद्ध लाभ का कुल ११ प्रतिशत सर्वोच्च प्रबन्धकों, अर्थात् जहां प्रबन्ध अभिकर्ता हों वहां प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्ध निदेशक और प्रबन्धकों की सभी तरह के पारिश्रमिक के रूप में दिया जा सकता है । यदि समवाय कोई लाभ अर्जित न करे अथवा वह लाभ अपर्याप्त हो तो खंड में अग्रेतर यह व्यवस्था है कि सभी प्रबन्ध कर्म चारियों के लिये कुल प्रबन्ध पारिश्रमिक ५०,००० रुपये प्रतिवर्ष होगा ।

यह अधिकतम राशि है । यही राशि ऐसी ही स्थितियों में खंड ३५२ के अधीन प्रबन्ध अभिकर्ताओं के लिये भी विहित की गई है । किन्तु उस मामले में केवल कमीशन का ही जिक्र है जब कि यहां हम ने समवाय की बैठकों में उपस्थिति के कारण अर्जित किये हुए शुल्कों के अलावा सभी प्रकार के पारिभाषिक पर, जिस में वेतन भी सम्मिलित हैं, विचार किया है। मैं कह सकता हूं कि मूल विधेयक में वेतन सम्मिलित नहीं हैं किन्तु संयुक्त समिति ने सोचा कि वेतनों को भी सम्मिलित करना चाहिये अन्यथा उन के द्वारा निश्चित सीमा के सीमित होने की सम्भावना है । मुझे इस उपबन्ध की आलोचना करनें वाले अभ्यावेदन इस आधार पर प्राप्त हुए हैं कि बड़े समवायों के पूरे समय कार्य करने वाले निदेशकों अथवा प्रबन्ध निदेशकों को पारिश्रमिक देने के लिये यह सीमा अनुचित होगी, विशेषतया निर्माण की, अथवा प्रारम्भिक स्थिति में , जब कि प्रत्यक्षतः किसी लाभ की सम्भावना नहीं है । यह भी बताया गया है कि यदि कुछ उद्योगों में, बढ़ते हुए उपक्रमों में सामर्थ्य के बाहर की परिस्थितियों के कारण उन के शुद्ध लाभ में बहुत चढ़ाव-उतार हो तो उन में भी हानि हो सकती है । इसलिये यह आग्रह किया गया हैकि इस उपबन्ध के वर्तमान रूप में रहने पर इस देश में बड़े पैमाने के उपक्रमों को चलाना यद्यपि असम्भव नहीं होगा, फिर भी अवश्यमेव बहुत कठिन होगा । यह भी कहा गया है कि बहुत से बड़े बड़े उपक्रमों में एक से अधिक पूरे समय के प्रबन्ध निदेशकों की आवश्यकता होती है तथा इस खंड की व्यवस्था के आधार पर उद्योग में उपयुक्त प्रबन्धक प्रतिमा को आकर्षित करना असम्भव होगा। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यह खंड प्रबन्ध अभिकर्ता समवायों, जो कि सार्वजनिक सीमित समवाय हैं तथा जहां पर्याप्त लाभ नहीं होता, में भी प्रयुक्त होता है । प्रबन्ध अभिकरण के निदेशकों को भी, ऐसे वर्ष में जब कि कुछ लाभ न हुआ हो अथवा हानि हुई हो, ५०,००० रुपये बांटने होंगे । यह भी सम्भव है कि ऐसे प्रबन्ध अभिकर्ता समवाय में तीन चार या उस से भी अधिक कार्यकारी निदेशक हों । यह निःसन्देह कठिन समस्या है तथा इस सभा का कोई भी व्यक्ति देश के औद्योगिक विकास को, संयुक्त स्कन्ध समवाय के सर्वोच्च प्रबन्धकों को अनुपयुक्त पारिश्रमिक देकर बाधा नहीं पहुंचाना

[श्री सी०डी० देशमुख]

चाहेगा। विधेयक के अन्य अंशों की तरह वस्तुतः समस्या यह कि उद्योग तथा व्यापार की उचित आवश्यकताओं का, विभिन्न प्रकार की प्रबन्धक प्रतिभा के वैयक्तिक न्याय के उचित स्तर के साथ किस प्रकार समझौता किया जाय। मैं इस प्रश्न को, इस दृष्टिकोण से सोच रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि यथासमय इस खंड में ऐसा संशोधन रखा जायेगा जिससे कि उक्त दोनों उद्देश्यों में समझौता हो और केन्द्रीय सरकार को ऐसे अधिकार प्राप्त हों कि वह कठिन स्थितियों में उपयुक्त शर्तों के अधीन इस खंड के उपबन्धों को लचीला कर सके तथा उचित संरक्षण दे सके। इस मामले पर दूसरे ढंग से भी विचार हो सकता है जो कि इस कठिनता में समान रूप से उपयुक्त सिद्ध हो सके।

मैं संयुक्त समिति द्वारा निदेशकों के विषय में पुरःस्थापित अन्य परिवर्तनों पर आलोचना नहीं करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि विधेयक के खंडशः विचार में उन पर उचित रूप से विचार किया जायेगा, किन्तु मैं समय-समय पर उठाये जाने वाले सामान्य नीति के एक प्रश्न का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। कुछ क्षेत्रों में यह सुझाव दिया गया था कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संयुक्त समिति ने, प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति के प्रति जो रवैया अपनाया है उस में समिति को, निदेशकों द्वारा समवायों के प्रबन्ध का कोई अन्य वैकल्पिक रूप विकसित करने के लिये, सुविधायें और प्रोत्साहन देना चाहिये था। उन की शिकायत है कि उस के प्रतिकूल संयुक्त समिति ने निदेशकों पर अनावश्यक प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। मैं नही जानता कि इस विचार के प्रवर्तन कर्ताओं के हृदय में क्या है। निदेशकों द्वारा संचालित समवायों के लिये ऐसी सुविधायें तथा प्रोत्साहन की सम्भावना की जा सकती थी जो कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा संचालित समवायों को नहीं दी गई हैं। यद्यपि मेरे विचार से ऐसा मार्ग अयुक्तिपूर्ण होगा फिर भी यह बताना सरल नहीं कि समवाय विधेयक में निदेशकों के लिये क्या विशिष्ट उपबन्ध रखे जा सकते हैं। निदेशकों पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वे ठीक उसी प्रकार के हैं, जैसे कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर लगाये गये हैं और उन का प्रयोजन दोनों अवस्थाओं में एक ही है। हम सभी की यह इच्छा होनी चाहिये कि ईमानदार निदेशकों द्वारा संचालित किये जाने वाले समवायों को उचित सुविधायें तथा प्रोत्साहन दिये जायें। किन्तु भूतपूर्व अनुभव के प्रकाश में हम इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं कर सकते कि समवायों की व्यवस्था में होने वाली बुराइयां जिन्हें हम रोकना चाहते हैं, प्रबन्ध अभिकर्ताओं के द्वारा संचालित समवायों में ही नहीं हुई हैं अपितु निदेशकों द्वारा संचालित समवायों में भी हुई हैं। अतः एक सरकार की नीति समवायों के भ्रष्टाचार पर प्रतिबन्ध लगाने की है चाहे वे किसी भी प्रकार के हों। इस मूल नीति के साथ हम अमुक प्रकार के समवाय को यदि प्रोत्साहन अथवा सुविधायें देना चाहें तो हमें इस के लिये रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करने होंगे।

अब मैं प्रबन्ध अभिकर्ताओं के विषय को लेता हूं। यह तो ठीक है कि संयुक्त समिति के अन्य किन्हीं भी प्रस्तावित संशोधनों पर इतनी बहस नहीं हुई जितनी इस विषय के संशोधनों पर हुई है। फिर भी मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में संयुक्त समिति की धाराणायें ही वास्तविक और सही हैं। इस विषय पर अपने अपने मतानुसार किसी भी दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है किन्तु कोई भी व्यक्ति सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुए संयक्त समिति

के दृष्टिकोण के अतिरिक्त और कोई विचार पसन्द नहीं करेगा और न एक उत्तरदायी सरकार ऐसे मामलों में सहसा कोई कार्यवाही कर सकती है जब कि सरकार का उत्तरदायित्व द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कारण और भी अधिक बढ़ जाता है। संयुक्त समिति की सिफारिशें, जिन से सरकार सहमत है, दोनों पक्षों के तटवर्ती दृष्टिकोण से बच कर मध्यमार्गी हैं। सरकार को किसी पक्ष की ओर न झुका कर उन सिफारिशों में यह बताया गया है कि द्वितीय योजना के समय तक सरकार नये अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्ध अभिकरणों तथा संयुक्त स्कन्ध समवायों के कार्यसंचालन का अनुभव करते हुए उन के बारे में एक समुचित नीति का निश्चय करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल उन समवायों को छोड़ कर जिन में पहले से ही प्रबन्ध अभिकर्ता विद्यमान हैं या जिन का प्रबन्ध दूसरे करते हैं, इस विधेयक में प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति-निषेध का कोई उपबन्ध नहीं है। परन्तु खण्ड ३२३ के अधीन केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति दी गयी है कि वह समय समय पर ऐसे उद्योग या व्यवसाय को अधिसूचित कर सकेगी जिस में अधिसूचना की तिथि से ३ वर्ष बाद या १५ अगस्त १९६० से दोनों में से जो भी देर में हो, कोई प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं रहेगा।

प्रसंगवश यह बताना भी अनुचित न होगा कि इस सम्बन्ध में बम्बई शेयर होल्डर्स ऐसोसियेशन की निश्चित राय क्या है क्योंकि हम देश के सामान्य आर्थिक हितों के साथ साथ अंशधारियों को भी उचित संरक्षण देने का प्रबन्ध कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को मालूम है कि पिछले कुछ वर्षों से यह ऐसोसियेशन सब का ध्यान देश में समवायों के प्रबन्ध में विद्यमान बुराइयों और कदाचारों की ओर दिलाता रहा है और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता रहा है कि समवाय विधि में शीघ्र ही सुधार होना चाहिये। संयुक्त समिति को भेजे गये एक ज्ञापन में और उस के सामने दिये गये साक्ष्य में ऐसोसियेशन के प्रतिनिधियों ने प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के प्रति अपना रवैया स्पष्टतया रखा। उस ज्ञापन म कहा गया है :

> "हमारा विचार है कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को अयानक समाप्त कर देना वांछनीय नहीं है क्योंकि इस से औद्योगिक प्रबन्ध का संगठन बिगड़ जायेगा और इस प्रकार नये औद्योगिक विकास में, जो हमारी राय में बहुत आवश्यक है, बाधा पड़ेगी। इसलिये हमारा विचार है कि अभी यह प्रणाली जारी रखी जाये और पांच वर्ष बाद इस के कार्य, वित्तीय तथा प्रबन्ध सम्बन्धी, तथा व्यवसाय के पहलुओं का पुनरीक्षण किया जाय, जिस से कि यह मालूम हो सके कि देश के बदले हुए वातावरण में प्रबन्ध अभिकर्ता उद्योग के लिये क्या कुछ करते हैं।"

सभा को मालूम होगा कि संयुक्त समिति ने विधेयक में प्रबन्ध अभिकर्ता सम्बन्धी मूल उपबन्धों में यही कुछ करने का प्रयत्न किया है समिति में ऐसी प्रस्थापनायें तैयार की हैं जोकि अंशधारियों के हितों से, जिन की प्रतिनिधि यह ऐसोसियेशन है, मेल खाती हैं और साथ ही देश के सामान्य आर्थिक हितों के भी अनुकूल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि बाद में ठोस ठोस निर्णय करने पड़े तो ऐसे वातावरण में किये जायेंगे जिस में वर्तमान वाद-विवाद की

[श्री सी० डी० देशमुख]

कटुता नहीं होगी और साथ ही यह निर्णय संसद् द्वारा पास की जाने वाली संशोधित विधि के अधीन प्रबन्ध अभिकर्ताओं के काम को देखते हुए किए जायेंगे ;

पूंजी लगाने वाले गैर सरकारी लोग सामान्यतया इस के बारे में क्या सोचते हैं, उस का पता देश के शेयर बाजारों की स्थिति से चलता है। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक के उपबन्धों से उन के हितों को हानि पहुंचने का खतरा है तो यह सम्भावना थी कि शेयर बाजारों के भाव गिर जाते या उन पर बुरा प्रभाव पड़ता। परन्तु सच तो यह है कि जो भाव आजकल हैं उन से स्थिति बिल्कुल दूसरी ही झलकती है। इस से यह पता चलता है कि पूंजी लगाने वालों को भविष्य के अच्छे होने का भरोसा है ।

संयुक्त समिति ने एक और महत्वपूर्ण संशोधन करने का सुझाव रखा है जिस का मैं थोड़ा उल्लेख करना चाहता हूं। वह है खण्ड ३३१ का यह उपबन्ध कि १५ अगस्त १९६० से किसी व्यक्ति को भी १० से अधिक समवायों का प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जायेगा। और फिर खण्ड ३२५ में यह उपबन्ध है कि १५ अगस्त १९६० के बाद प्रबन्ध अभिकर्ताओं की नई नियुक्तियों या वर्तमान प्रबन्ध अभिकर्ताओं की पुनः नियुक्तियों के लिये केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी और यह अनुमोदन तभी दिया जायगा जब कि सरकार को निम्नलिखित बातों का विश्वास हो जाय : (क) कि समवाय को प्रबन्ध अभिकर्ता रखने देना जन-हित के विरुद्ध नहीं होगा, (ख) कि प्रबन्ध अभिकर्ता इस प्रकार नियुक्त या पुनः नियुक्त किये जाने के लिये योग्य तथा उपयुक्त व्यक्ति है, और (ग) कि जिस प्रबन्ध अभिकर्ता के नियुक्त या पुनः नियुक्त किये जाने का विचार है उस ने वे शर्तें पूरी कर ली हैं जिन के पूरा करने की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार करे ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

और फिर खण्ड ३४४ के उपबन्ध हैं जिन के अनुसार उत्तराधिकार में मिलने वाले प्रबन्ध अभिकरण सम्बन्धी करारों और उत्तराधिकार द्वारा या इच्छापत्र द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ताओं का काम सम्भालने के लिये सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। प्रबन्ध अभिकर्ता सार्थों या समवायों के गठन, प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पारिश्रमिक आदि में परिवर्तन के सम्बन्ध में भी एक उपबन्ध है। मेरा विचार है कि ऐसे परिवर्तनों को सभी जानते और समझते हैं। मुझे तो ये उपबन्ध स्पष्ट ही लगते हैं। मैं इन का उल्लेख इसलिये कर रहा हूं कि सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाऊं कि खण्ड ३३१ के अतिरिक्त, जिस के द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ता के प्रबन्ध के अधीन रहने वाले समवायों की संख्या सीमित कर दी गई है, बाकी सब खण्ड भारतीय समवाय (संशोधन) अधिनियम १९५१ के उपबन्धों जैसे ही हैं। उस संशोधन अधिनियम में जो बातें अस्थायी थीं उन्हें अब स्थायी बनाया जा रहा है ।

सचिवों और कोषाध्यक्षों के सम्बन्ध में इस विधेयक में जो नये उपबन्ध हैं, उन पर भी विचार कर लीजिये। एक दृष्टि से शायद इन उपबन्धों की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि विधेयक में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे सचिवों और कोषाध्यक्षों की नियुक्ति न की जा सकती हो। परन्तु यह महसूस किया गया कि इस स्थिति में, इस सम्बन्ध में कुछ मामलों—विशेषकर पारिश्रमिक—को विनियमित करने के लिये निश्चित उपबन्ध होने

चाहियें। ऐसी बात नहीं है कि इस देश में समवायों के प्रबन्ध में सचिवों और कोषाध्यक्षों के पद ही नहीं रहे हैं। परन्तु अब तक प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली इस देश में इतनी चली है कि उस से इस प्रकार का प्रबन्ध, अर्थात् जिस में ये पद हों, अधिक चल नहीं पाया है। परन्तु ये पद निगमित प्रबन्धकों द्वारा एक प्रकार का प्रबन्ध मात्र ही हैं। संयुक्त समिति ने समवाय अधिनियम के इस प्रकार के प्रबन्ध को औपचारिक रूप से मानने की प्रस्थापना रख कर प्रबन्ध के एक वैकल्पिक रूप के विकास में बड़ा योग दिया है। इस में सन्देह नहीं कि इस के पक्ष में और विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा सकता है। परन्तु माननीय सदस्य खण्ड ३७८ से ३८३ को, जो कि सचिवों और कोषाध्यक्षों के बारे में हैं, ध्यानपूर्वक पढ़, तो यह जानने में कठिनाई नहीं होगी कि इन खण्डों का उद्देश्य क्या है। संयुक्त समिति यह चाहती थी कि आर्थिक शक्ति कुछ प्रबन्ध अभिकरणों, जिन का बैंकों तथा बीमा समवायों जैसी वित्तीय संस्थाओं के साथ बहुत लम्बे समय से गठजोड़ रहा है, के हाथ में केन्द्रित न हो जाय। परन्तु साथ ही समिति की यह भी इच्छा थी कि १९६० तक कुछ क्षेत्रों में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के सभाव्य क्षय या समाप्ति से व्यापार तथा उद्योग के गठन में ऐसी स्थिति न पैदा हो जाये कि प्रबन्ध करने वाला ही कोई न रहे। समिति इस बात को समझती है कि सचिवों तथा कोषाध्यक्षों के हाथ में आर्थिक शक्ति नहीं रहेगी। इस का मतलब यह हुआ कि यह प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली ही होगी परन्तु इस में बुराई करने की क्षमता नहीं रहेगी। इसलिये समिति प्रबन्ध के ऐसे रूप का विकास करना चाहती थी जिस में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली की सब अच्छी बातें रहें जैसे कि प्रविधिक बातें जानने वाले इकट्ठे हों, परन्तु इस से प्रबन्ध-समवायों पर छा जाने की शक्ति छिन जाये। सचिवों और कोषाध्यक्षों को केवल अपने करारों के आधार पर ही यह हक नहीं होगा कि निदेशक बोर्ड में उन के प्रतिनिधि हों। मुझे तो इस बात में कोई असंगति दिखाई नहीं देती कि एक तो समिति आर्थिक शक्ति के केन्द्रण को रोकना चाहती है और साथ ही व्यापार और उद्योग के लिए बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों द्वारा प्रबन्ध और अधीक्षण की व्यवस्था बनी रहने देना चाहती है। बड़े प्रबन्ध अभिकर्ता तो सदा ही अपने प्रबन्ध के अधीन समवायों को विशेषज्ञ प्रबन्ध और अधीक्षण द्वारा लाभ पहुंचाते रहे हैं।

अब मैं सरकारी समवायों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। सभा को याद होगा कि जब इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर वाद-विवाद हुआ था तो हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार संयुक्त समिति के सामने सरकारी समवायों, अर्थात उन समवायों के सम्बन्ध में जिन में मुख्यत: सरकार की पूंजी लगी हो, के सम्बन्ध में एक विशेष परिच्छेद रखेगी जिस में सरकारी समवायों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध होंगे इस वचन का अनुसरण करते हुए सरकारी समवायों पर लागू होने वाले उपबन्ध तैयार किये गये और संयुक्त समिति द्वारा विचार के लिये उस के सामने रखे गये। समिति ने उन पर विचार किया परन्तु यह निर्णय किया कि मूल विधेयक में जो उपबन्ध थे वही ठीक रहेंगे। समिति का विचार था कि विधेयक के उपबन्धों में उन्हें सरकारी समवायों पर लागू करने के लिये जिन विमुक्तियों तथा रूपभेदों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, वे एक ही आधार पर नहीं किये जा सकते क्योंकि विभिन्न सरकारी समवायों में सरकार की पूंजी तथा इन समवायों के कार्य बहुत भिन्न हैं या बहुत भिन्न हो सकते हैं। इसलिये समिति ने सोचा कि प्रत्येक मामले पर उस के गुण-दोषों को देखते हुए निर्णय करना होगा और समिति के विचार में केवल सरकार को ही यह काम सौंपा जा

[श्री सी० डी० देशमुख]

सकता है । इसलिये संयुक्त समिति ने सुझाव दिया कि विधेयक में सरकारी समवायों के सम्बन्ध में कम से कम उपबन्ध रखे जायें जिस से कि सरकार प्रत्येक मामले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी समवायों के सम्बन्ध में अधिनियम में रूपभेद करने के लिये स्वतंत्र रहे । परन्तु शर्त यह है कि सरकार किसी सरकारी समवाय को विधेयक के उपबन्धों में लागू होने से विमुक्ति देने वाली या उन उपबन्धों के रूप भेद करने के लिये जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना की प्रति उस के जारी होने के बाद यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखे । मुझे विश्वास है कि सभा को यह व्यवस्था सामान्य रूप से सन्तोषजनक प्रतीत होगी ।

मेरे मंत्रालय और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के बीच लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में कुछ बात चीत हुई है और मेरा विचार है कि मैं उपयुक्त समय पर सरकारी समवायों के सम्बन्ध में इस विधेयक के उपबन्धों में संशोधन प्रस्तुत करूंगा जिस से कि नियंत्रक महा लेखा परीक्षा द्वारा ऐसे समवायों की लेखा परीक्षा पर अधिक प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और यह उपबन्ध किया जा सके कि ऐसी लेखा परीक्षा के परिणाम जल्दी संसद् के पास पहुंच जायें ।

संयुक्त समिति का अभिप्राय स्पष्ट करने के लिये या इस विधेयक के वर्तमान रूप में इस के कुछ उपबन्धों के लागू होने से उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये शायद कुछ और संशोधनों का पुरःस्थापित किया जाना आवश्यक हो जाये । कुछ और भी संशोधन हैं जो विधेयक का प्रारूप सुधारने के लिये हैं और जब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे तो मैं उन की ओर सभा का ध्यान दिलाऊंगा और उन की व्याख्या करूंगा । यह तो समझना चाहिये कि यदि समय और स्थान की सीमाओं को भूल जायें तो प्रारूप सुधारने के लिये ऐसे परिवर्तन या सुधार निरन्तर किये जा सकते हैं परन्तु मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हम ने इस बात का प्रयत्न किया है कि केवल वही संशोधन रखे जायें जो नितान्त आवश्यक हों ।

इस प्रकार के बृहत्तर तथा उलझे हुए विधान के सम्बन्ध में यह दावा करना बेकार है कि यह पूर्ण तथा दोषरहित है । मैं इस बात को भी जानता हूं कि हम जो संशोधन रखना चाहते हैं और जो अन्य सदस्य भी शायद रखना चाहें उन के होते हुए भी इस विधेयक में इस के सभा द्वारा पारित होने पर कुछ ऐसे दोष और त्रुटियां रह सकती हैं जिन का किसी को पता न हो । जिसे दुनिया के दूसरे भागों में समवाय विधि के विकास का ज्ञान है उसे . . . .

श्री कामत (होशंगाबाद) : बाद में और संशोधन करने के लिये विधेयक रखे जा सकते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : यही तो मैं कह रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि जिसे दुनिया के दूसरे भागों में समवाय विधि के विकास का ज्ञान है, उसे इस बात से निराश नहीं होना चाहिये कि और संशोधन करने पड़ेंगे ।

समवाय विधि के लिये यह अनिवार्य है कि यह न केवल व्यापार और उद्योग की बढ़ती हुई मांगों के साथ साथ विकसित हो, बल्कि समय समय पर समवाय संचालन में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तित भी हो, जो कि उत्पादन या नियोजन के तरीकों के विकास के फलस्वरूप पैदा हुए हों, या वर्तमान विधि के उपबन्धों से बचने के लिये स्वयं

मनुष्य ने पैदा किये हों। मेरे विचार में बहुत से व्यक्ति ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में किसी देश में समवाय विधि की सफलता इस बातपर निर्भर है कि यह कितनी जल्दी भविष्य में समवायों के ढांचे और संचालन में होने वाले परिवर्तनों के और आधार-भूत विचारधाराओं में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल बन सकती है।

सदन को याद होगा कि विधेयक को संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मैं ने अपने भाषण में बताया था कि समवाय अधिनियम के प्रवर्तन और सम्बन्धित मामलों में कौन सी योजनायें हमारे ध्यान में हैं। मैं ने तब बताया था कि हम ने एक संविहित आयोग स्थापित न करने का अस्थायी निर्णय क्यों किया है और यह भी कहा था कि उस मामले में सरकार मुख्यत: संयुक्त समिति की सिफारिशों का अनुसरण करेगी। समिति में इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी और अन्त में उसने यह सिफारिश की थी कि समवायों के प्रशासन के लिये तथा सम्बन्धित मामलों के लिये एक शक्तिशाली केन्द्रीय संगठन स्थापित किया जाये। समिति प्रभारी मंत्री के अधीन काम करने वाले एक केन्द्रीय विभाग के स्थापित किये जाने के पक्ष में है। मेरे विचार में यह निर्णय बिल्कुल ठीक है। बहुत सी ऐसी शक्तियां जिन का प्रयोग करने में नीति के मामलों का निर्णय भी करना पड़ता है और एक संविहित आयोग जो कि अवश्य स्वायत्त होगा सरकार की ओर से ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रयोग का सम्बन्ध देश की आर्थिक स्थितियों से है। अत: मेरा विचार है कि सदन उस व्यवस्था को स्वीकार करेगा जिस की सिफारिश संयुक्त समिति ने की है। इसे यह जान कर हर्ष होगा कि सदन के अनुमोदन देने से पहले ही हम ने इस व्यवस्था के अनुसार काम शुरू कर दिया है और इस प्रयोजन के लिये वित्त मंत्रालय के अधीन एक नया विभाग स्थापित कर दिया है। इस विभाग का उत्तर-दायित्व न केवल समवाय अधिनियम के प्रवर्तन के बारे में होगा बल्कि समवायों के कार्य-संचालन से निकट सम्बन्ध रखने वाली अन्य संस्थाओं, जैसे कि श्रेष्टि चत्वर, वित्तीय निगम पूंजी निर्गम नियन्त्रण, आदि के बारे में भी होगा।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) : क्या बैंक और बीमा कम्पनियां भी सम्मिलित हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : नहीं, क्योंकि, इन के कार्यों का प्रभाव आर्थिक नीति के अन्य पहलुओं पर पड़ता है। मेरे विचार में बैंकों का प्रशासन रक्षित बैंक के हाथों में और बीमा कम्पनियों का प्रशासन बीमा नियंत्रक के हाथों में रहना चाहिये जैसा कि अब है। इस से बचत और विनियोजन की समस्या पैदा होती हैं, जो कि समवाय प्रबन्ध की समस्याओं से कुछ भिन्न हैं।

इस नये विभाग के निर्माण में अवश्य कुछ समय लगेगा और मुझे आशा है कि जब यह पूर्ण रूप से बन जायेगा और इस में कर्मचारी और विशेषज्ञ नियुक्त हो जायेंगे, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के गैर-सरकारी क्षेत्र के उचित संचालन में इसका एक बड़ा भाग होगा।

इस सम्बन्ध में, मैं सदन का ध्यान खंड ४०९ की ओर दिलाता हूं जिसमें इस विभाग के साथ संलग्न एक संहित मंत्रणा आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इस अधि-नियम के लागू होते ही, हम इस मंत्रणा आयोग को स्थापित करने की कार्यवाही करेंगे और वह वर्तमान तदर्थ मंत्रणा आयोग का स्थान लेगा, जो कि अब भी संयुक्त स्कन्ध समवायों सम्बन्धी कुछ मामलों में सरकार को परामर्श देता है। भविष्य में स्थायी मंत्रणा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि

[श्री सी० डी० देशमुख]

वह उन मामलों के बारे में जिन का इस विधेयक में विशिष्ट रूप से उल्लेख है, सरकार को परामर्श दे । सरकार अन्य मामलों को भी परामर्श के लिये निर्दिष्ट कर सकेगी । मैं आशा करता हूं कि यथासमय यह मंत्रणा आयोग संयुक्त स्कन्ध समवायों के कार्य को नियमित करने में सरकार की और नये विभाग की सहायता करेगा ।

सदन को ज्ञात होगा कि सरकार का अनुमोदन लगभग ९४ या ९५ खंडों के अधीन प्राप्त किया जाना होगा, जिन में से कम से कम ५० में नीति के मामलों के निर्णय का प्रश्न है । इसलिये नये विभाग की सहायता के लिये अन्य टैक्नीकल मंत्रणा निकायों को स्थापित करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है ।

मुझे मालूम है कि संयुक्त समिति के कुछ सदस्य विभागीय संगठन और केन्द्रीय सरकार को दिये गये विनियमन अधिकारों से सन्तुष्ट नहीं हैं । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हमें भी उन उत्तरदायित्वों के कारण जो कि इस विधेयक के द्वारा हम पर पड़ते हैं, कोई कम चिन्ता नहीं है और यदि इस विधेयक के उपबन्ध ऐसे बनाये जाते जिस से कि विस्तृत विनियमन की आवश्यकता कम से कम पड़ती, तो हमें सब से अधिक संतोष होता । किन्तु सदन को यह अनुभव करना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार पर जो आभार पड़े हैं, वह इस विधेयक की जटिलता का पता देते हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं लार्ड कोहन के, जो कि ब्रिटेन में समवाय विधि सुधार समिति के सभापति थे, कुछ शब्द इस अवसर पर दोहरात हूं । उन्होंने कहा है कि :

"समवाय विधि की किसी आदर्श प्रणाली का सन्तोषजनक प्रवर्तन केवल एक शक्तिशाली असैनिक सेवा के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि ऐसी प्रणाली के लिये आवश्यक है कि कार्यपालिका को प्रभावोत्पादक शक्तियां दी जायें और समवाय अधिनियम के प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी संस्था को स्वविवेक से प्रयोग की जाने वाली शक्ति बहुत हद तक दी जाये ।"

उस समय मैं ने यह भी कहा थो कि मैं इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूं मैं ने यह विचार प्रकट किया था कि यदि समवायों के मामलों को अच्छी तरह विनियमित करने और विधि तथा उस के प्रवर्तन में फेर बदल की गुंजाइश रखने--इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत है तो समवाय अधिनियम के प्रवर्तन करने वाले प्राधिकार को बहुत अधिक शक्तियां देना अनिवार्य है । सरकार का यह विचार था और संयुक्त समिति भी अब उस से सहमत है कि सरकार के सिवाए और किसी को यह जिम्मेवारी सौंपना उचित नहीं । इसलिये केवल इसी प्रश्न का महत्व व्यवहार रूप में है कि जिस सरकारी विभाग पर यह जिम्मेदारी डाली जाये उस का ढांचा ऐसा होना चाहिये कि उस के द्वारा शक्तियों के प्रयोग किये जाने पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण तथा अधीक्षण रहे ।

संयुक्त समिति यह उपबन्ध करना चाहती थी कि केन्द्रीय सरकार को दी जाने वाली अधिक महत्वपूण शक्तियों का प्रयोग प्रभावी मंत्री के अनुमोदन से तथा उस के पथ प्रदर्शन में हो, मैं सभा को यह विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस सम्बन्ध में संयुक्त समिति की उत्सुकता को महसूस करता हूं और मैं सदा इस बात का प्रयत्न करूंगा कि नये विभाग और उस के नियंत्रण के अधीन किसी प्राधिकार के कार्यों के सम्बन्ध में, जिसे कि इस अधिनियम के प्रवर्तन का काम सौंपा जाये, पूरी पूरी जानकारी रखूं ।

सामान्यतया, प्रश्न यह है कि विनियमित करने वाले प्राधिकार और उन के बीच में जिन के मामलों को यह विनियमित करता हो, पूरा सहयोग हो। तो समस्या यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में शान्ति तथा व्यवस्था बनी रहे। साथ ही यह समस्या भी है कि इस का विकास ठोस तथा उचित आधार पर हो, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी एक योजना है और उस में गैर-सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी लोगों द्वारा पूंजी लगाये जाने और समाज की कुल बचत को भी स्थान दिया गया है। मेरा विचार है कि सभा इस बात को समझती है कि राजकोषीय साधनों द्वारा करारोपण, ऋण लेने या बलपूर्वक कर आदि लेने या बलपूर्वक बचत कराने से पूरी बचत नहीं करायी जा सकती। इसलिये उचित लाभ के प्रलोभन या अन्य प्रलोभन जरूरी होते हैं जिस से एक समाज को सभी के कल्याण के लिये भरसक प्रयत्न करने का बढ़ावा दिया जा सके।

विनियमित करने की इन शक्तियों का सरकार को दिये जाने का यह अर्थ नहीं है कि इन का प्रयोग बहुधा किया जायेगा या करने की आवश्यकता पड़ेगी। यह तो सच हो सकता है कि अबाध शक्ति से भ्रष्टाचार फैलता है परन्तु इस बात में भी कम सच्चाई नहीं कि शक्ति हाथ में होने मात्र से ही उस के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती। १९५१ के संशोधन अधिनियम जो कि अस्थायी विधान था, के प्रवर्तन में हमें जो अनुभव हुआ है उस से यह बात प्रमाणित होती है। सम्बद्ध व्यक्तियों ने देरी, परेशान किये जाने या दमनात्मक निर्णय किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत की हो तो मुझे उस का ज्ञान नही है। फिर भी इन मामलों के सम्बन्ध म कुछ कटुता है और मैं यहां लंका के केंडी क्षेत्र की चर्चा करूंगा।

कुछ माननीय सदस्यों को याद होगा कि कैंडी के पुराने सम्राटों के दो संयुक्त प्रधान मंत्री होते थे जिन्हें 'अधिकार' कहा जाता था। वे इन सम्राटों को राज्य करने में सहायता देते थे। इतिहास में आता है कि इन दो 'अधिकारों' को प्रत्येक वर्ष के अन्त में बिना कारण बताये एक नागरिक को मरवा देने का अधिकार था। मुझे मालूम नहीं कि वे अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करते थे परन्तु मेरे विचार में इस अधिकार का उन के पास होना ही पर्याप्त था और उन की जनता शान्त तथा उन के नियंत्रण में रहती थी। हम कैंडी के इन 'अधिकारों' की नकल नहीं करना चाहते परन्तु मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि ये जो व्यापक शक्तियां सरकार को दी गयीं हैं वे कैंडी की सम्राटों की शक्ति के समान हैं। यद्यपि हम उसी ढंग से चाहे इन शक्तियों का प्रयोग न करें हमें विश्वास है कि इन का हमारे हाथ में होना ही काफी प्रभावी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि समवायों और कतिपय अन्य सन्थाओं से सम्बन्धित विधि को स्वीकृत और संशोधित करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री वल्लाथरास ने इस प्रस्ताव में दो संशोधनों की पूर्व सूचना दी है।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : मैं केवल यही संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि विधेयक को फिर संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये और वह ३१ दिसम्बर, १९५५ तक इस पर अपना प्रतिवेदन दे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्यक्षतः तो यह विलम्बकारी प्रस्ताव है। मैं चाहता हूं कि

[उपाध्यक्ष महोदय]

माननीय सदस्य बतायें कि यह विलम्बकारी प्रस्ताव कैसे नहीं हैं। इस पर विचार की अनुमति दी गई तो हम दोनों प्रस्तावों पर विचार करेंगे अन्यथा केवल मूल प्रस्ताव पर ही ।

श्री वल्लाथरास : समाचार पत्रों में यह आरोप लगाया गया है कि सरकार ने प्रवर समितियों को क्रान्तिकारी विधान रखने का साधन बनाया है । दूसरा आरोप यह है कि जहां तक नीति का सम्बन्ध है इस संयुक्त समिति ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है और प्रबन्ध अभिकरणों के प्रश्न पर विचार नहीं किया है। यह भी कहा गया है कि समिति ने प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के वित्तीय नीति पर प्रभाव के प्रश्न पर विचार नहीं किया है। ये उन में से कुछ बातें हैं जिन की ओर मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में कुछ कहना है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो अयुक्ति युक्त निष्कर्श है । पत्रों में तो कई चीजें छपती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम ३२३ के अधीन यदि मैं इसे विलम्बकारी प्रस्ताव समझूं तो नियम विरुद्ध ठहरा सकता या सभा के मतदान के लिये रख सकता हूं। इसलिये मैं ने माननीय सदस्य से कहा था कि इस पर प्रकाश डालें ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने अपने भाषण में जो बातें बताई हैं उन्हें देखते हुए मुझे विश्वास है कि यह विलम्बकारी प्रस्ताव है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : माननीय मंत्री निर्णय दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो उन का विचार है । निर्णय मैं दूंगा या सभा ।

सम्वाय विधि समिति ने सभी समस्याओं पर बिचार किया था और उस के बाद यह विधेयक रखा गया । तब यह संयुक्त समिति को सौंपा गया । उस ने भी अपनी ६१ बैठकों में इस पर विस्तारपूर्वक विचार किया । समिति ने अपने निर्णय अब सभा के अनुमोदन के लिये उस के सामने रखे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह सोचें कि यदि सरकार ने पहली बार संयुक्त समिति को प्रभावित कर लिया तो वह अब भी ऐसा कर सकती है। मेरी समझ में नही आता कि विधेयक को पुनः संयुक्त समिति को सौंपने से क्या बनेगा ।

और फिर संशोधन में कहा गया है कि बिना कोई सीमा निर्धारित किये यह फिर संयुक्त समिति को सौंपा जाये । इस प्रकार तो यह काम १९५६ के अन्त तक भी समाप्त नहीं होगा। इसलिये मैं यह प्रश्न सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वित्त मंत्री द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर विचार करेगी ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : माननीय मंत्री ने पहली बार यह विधेयक रखते समय समवाय विधि समिति के प्रतिवेदन का हवाला देते हुए कहा था कि समवाय विधि का सम्बन्ध मुख्यतः साधनों से है न कि उद्देश्यों से । पिछले ९ वर्षों से इस विधेयक का विकास होता रहा है और इसी काल में संसद् ने सामाजिक उद्देश्यों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण घोषणायें की हैं । हमें देखना है कि यह विधेयक हमारे उन उद्देश्यों से कहां तक मेल खाता है ।

इस विधेयक के विरुद्ध यह बात कही गई है कि इस से सरकार को इतनी शक्तियां मिल जायेंगी कि जिन के प्रयोग से समवायों के काम में बाधा पड़ेगी । यदि ऐसा हो रहा है तो इस के दो कारण हैं । एक तो यह कि

अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि अंशधारी उन शक्तियों का प्रयोग करने के अयोग्य हैं, जो सिद्धान्त रूप में उन्हें प्राप्त हैं। भारत में प्रबन्ध अभिकर्ताओं के कुप्रबन्ध से स्थिति और भी बिगड़ गई है। बम्बई शेयर होल्डर्स एसोसियेशन के ज्ञापन से पता चलता है कि लगभग ४० प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने ८० करोड़ रुपये की पूंजी वाले समवायों का कुप्रबन्ध किया। ऐसी स्थिति में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिये। जैसा कि प्रस्तावक ने कहा, समवाय विधि के संशोधन की आवश्यकता इसी कारण पड़ी है। साथ ही हमें यह भी देखना है कि गैर-सरकारी उपक्रमों का समाज पर क्या बोझ पड़ता है। हमें इस बात की व्यवस्था करनी है कि गैर-सरकारी उपक्रमों का विकास समाज को हानि पहुंचा कर या उस पर बोझ डाल कर न हो। फिर भी मैं प्रस्तावक की इस बात से सहमत हूं कि हमें विधेयक पर इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये कि समवायों का कार्य भली प्रकार हो क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में गैर-सरकारी क्षेत्र के विस्तार की सम्भावना है।

विधेयक में केवल दो प्रकार के अंशों के लिये उपबन्ध किया गया है। सरकार और संयुक्त समिति ने परिवर्तनीय बन्धों या अन्य विशेषित प्रकार की लाभांश लिखितों को चलाने की बात क्यों नहीं सोची यह समझ में नहीं आता। मैं इन की चर्चा न करता परन्तु इस विषय का अध्ययन करते समय मुझे मालूम हुआ कि ऋणपत्रों द्वारा वित्त का प्रबन्ध करना अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। १९५१ तथा १९५२ में नयी पूंजी का ३३ प्रतिशत भाग ऋण पत्रों के रूप में प्राप्त किया गया। यदि ऋण पत्रों का महत्व इतना बढ़ गया है तो शायद बन्धों तथा विशेषित लाभांश लिखितों से भी अधिक पूंजी प्राप्त की जा सकती है।

संयुक्त समिति ने यह उपबन्ध हटा दिया है कि एक अंश वाले के कई मत हों। सामान्यतया, ऐसा करना ठीक ही है, परन्तु मैं ने पढ़ा है कि जर्मनी की समवाय विधि में एक अंश के लिये कई मत रखने का उपबन्ध इसलिये किया जाता है कि औद्योगिक समवायों का नियंत्रण विदेशियों के हाथ में न चला जाये।

मूल विधेयक में सरकार को यह अधिकार था कि वह एक अंश के लिये कई मतों की व्यवस्था वाले अंशों की अनुमति दे सकती थी। सभा को इस बात पर विचार करना चाहिये कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसी शक्ति के राज्य द्वारा प्रयोग का उपबन्ध रहना चाहिये या नहीं। मैं मानता हूं कि प्रबन्धकों ने इस उपबन्ध का दुरुपयोग किया है परन्तु यदि ऐसे अंशों के जारी किये जाने की शक्ति सरकार के हाथ में रहे तो अच्छा ही होगा।

जहां तक मतदान के अधिकारों का सम्बन्ध है, प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि अनुपाती प्रतिनिधित्व की अनुमति तो रहेगी, इसे विधि में स्थान देने की आवश्यकता नहीं। उन्हों ने दो सदस्यों के विमतिपत्रों की ओर संकेत किया है मैं इन सदस्यों से इस बात में सहमत हूं कि अनुपाती प्रतिनिधित्व होना चाहिये। मैं राजनीति में ऐसे प्रतिनिधित्व का विरोधी रहा हूं परन्तु समवायों में अनुपाती प्रतिनिधित्व लाभदायक होगा क्योंकि अल्प संख्यक अंशधारियों को तभी यह पता चल सकेगा कि समवायों में हो क्या रहा है। यदि इस प्रतिनिधित्व को अनिवार्य न किया गया तो ऐसे अंशधारी वह जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिस की सरकार को, समवायों के कार्य की पूर्णतया जांच के लिये आवश्यकता है।

जैसा प्रस्तावक महोदय ने कहा है अमरीका में निदेशकों का निर्वाचन ऐसे ढंग से होता है कि निश्चित अवधि से अधिक कोई निदेशक कार्य न करे। अमरीका के इलीनायस राज्य के

[श्री अशोक मेहता]

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया कि निदेशकों का जैसा निर्वाचन हमारे देश में होता है वह अवैध है, एक समवाय, वार्ड एंड कम्पनी के सम्बन्ध में ऐसा निर्णय दिये जाने पर उस के अंशों का मुल्य बढ़ गया। यह इस वर्ष अप्रैल की बात है। यह तो स्पष्ट है कि यदि अंशधारी उच्च न्यायालय के निर्णय से सहमत न होते तो अंशों का मुल्य इस प्रकार न बढ़ता।

खंड ४०७ में उपबन्ध किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में सरकार दो या तीन व्यक्तियों को निदेशक नियुक्त कर सकती है। किन्तु यह उपबन्ध संभवतः अनावश्यक हो जायेगा और विशेष परिस्थितियों में प्रयोग किये जाने के लिये तभी लाभ दायक होगा यदि निदेशकों का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर हो।

खंड २७४ में कहा गया है कि कोई व्यक्ति २० से अधिक समवायों का निदेशक नहीं हो सकता। जर्मनी और इंग्लैंड में कोई व्यक्ति १० से अधिक समवायों का निदेशक नहीं हो सकता। मेरे विचार में २० की संख्या बहुत अधिक है।

अब मैं सब से अधिक विवादास्पद प्रश्न को लेता हूं और यह प्रबन्ध अभिकर्ताओं के बारे में है। श्री बिड़ला ने अपने साक्ष्य में कहा था कि हमारे देश में १४०० से १५०० तक प्रबन्ध अभिकर्ता हैं। कहा गया है कि इन्हों ने समवायों के लिये वित्त दिया है। परन्तु मैं पूछता हूं कि कितना ? यदि इस प्रश्न की जांच की जाये तो मालूम होगा कि समवायों को वित्त उपलब्ध कराने में प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने केवल नाममात्र अंशदान दिया है और इन की सहायता के बारे में अतिशयोक्ति से काम लिया गया है। वास्तव में प्रबन्ध अभिकर्ता स्वयं समवाय के संसाधनों को अच्छे या बुरे कार्यों के लिये प्रयोग करते हैं। मेरे विचार में अब समय आ गया है जब कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं से वित्त उपबन्ध कराने की आशा न की जाये। उन का काम केवल समवायों का प्रबन्ध करना है। इस प्रबन्ध के बारे में क्या स्थिति है ? पारिश्रमिक के लिये जो सीमा निर्धारित की गई है, वह शुद्ध लाभों का १० प्रतिशत है। मैं पूछता हूं कि १० प्रतिशत निश्चित करने में आप क्या सुधार कर रहे हैं ? आप पुरानी व्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं और इसे औपचारिक रूप देना चाहते हैं। संयुक्त समिति का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया था कि विदेशों में प्रबन्ध का व्यय $\frac{1}{2}$ से २ प्रतिशत तक है। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहूंगा कि यदि विदेशों में कमीशन इतना कम दिया जाता है, तो इस देश में १० प्रतिशत देने का क्या कारण है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, ये प्रबन्ध अभिकरण न केवल कोई वित्त प्रबन्धन नहीं करते हैं, बल्कि गौण कार्यों के लिये अतरिक्त पारिश्रमिक भी मांगते हैं।

कहा गया है कि एक प्रबन्ध अभिकरण केवल दस समवायों को चला सकेगा या उन पर नियंत्रण कर सकेगा। इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित तीन लेखों की ओर दिलाता हूं। तीसरे लेख में बताया गया है कि विभाग खोल कर वे किस तरह इस उपबन्ध से बच जायेंगे। चाहे नये समवाय स्थापित न किये जायें। नये विभाग तो खोले जा सकेंगे। मैं नहीं जानता कि इस परिवंचना को कैसे रोका जायेगा। यदि विधि द्वारा इस की अनुमति दे दी जाये, तो यह उपबन्ध निरर्थक हो जाता है।

वित्त मंत्री ने कहा था कि यह दोनों प्रतिवादी विचारधाराओं से--एक यह कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के वर्तमान अधिकार

बने रहने चाहियें और दूसरी यह कि इस प्रणाली को समाप्त ही कर दिया जाये—बचने का प्रयत्न कर रहे हैं और वह बीच का रास्ता अपनाना चाहते हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि जो कुछ प्रबन्ध अभिकर्ताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए, क्या यह आवश्यक नहीं कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को ही समाप्त कर दिया जाये, क्योंकि अभिकर्ता उन प्रतिबन्धों को जो हम लगाना चाहते हैं, स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। इस प्रश्न की पूरी जांच करनी चाहिये। खंड ३७८ से ३८३ तक में कहा गया है कि ये अभिकर्ता अपने आप को सचिव और कोषाध्यक्ष बना सकते हैं। मैं अनुभव करता हूं कि इन में और प्रबन्ध अभिकर्ताओं में कोई अधिक भेद नहीं होगा। ऐसा करने से कोई आधार भूत परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में सचिव और कोषाध्यक्ष कुछ ही लोगों के हाथ में कई समवायों का नियंत्रण होने की बुराई को दूर करने की बजाय इसे प्रोत्साहन देंगे। स्टेट्समैन ने भी कहा है कि वास्तविक बुराई प्रबन्ध अभिकरण नहीं है बल्कि कुछ ही लोगों के हाथ में कई समवायों का नियंत्रण होना है। किन्तु हमारे बड़े बड़े उद्योगपति सब इस के पक्ष में हैं, और इस पर गर्व करते हैं। अतः यदि आप ने प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को जारी रखा या इसे सचिवों और कोषाध्यक्षों की प्रणाली में परिवर्तित कर दिया, तो आप उन्हें गर्व करने का अवसर देंगे और संभवतः ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिस में उपरोक्त बुराई कायम रहेगी।

श्री बिड़ला ने अपने साक्ष्य में कहा है कि भारत के औद्योगिक जीवन में एक नई चीज पैदा हो रही है और वह यह है कि अब अंशधारी इकट्ठे हो कर समवाय नहीं बनायेंगे बल्कि समवाय मिल कर नये समवाय बनायेंगे मैं नहीं जानता कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। इसलिये मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर ठंडे दिल से विचार किया जाय और सदन के अनुभव से लाभ उठा कर एक ऐसा विधेयक बनाया जाये, जिस से लोगों के हित सुरक्षित रहें और अर्थ-व्यवस्था में अधिक से अधिक प्रगति हो सके।

खंड १९७ के सम्बन्ध में बहुत वाद विवाद हुआ है। निःसन्देह वित्त मंत्री ने कहा है कि इस पर पुनर्विचार किया जायेगा। मैं तो समझता हूं कि पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे उद्योग-पतियों को इस की कोई चिन्ता नहीं। ईस्टर्न इकोनोमिस्ट ने खंड १९७ पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि समवाय निदेशक, प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशकों ऐसे वैतनिक पदाधिकारियों का रूप दे देंगे जिन के पदों पर यह खंड लागू नहीं होता। आप चाहें इसे संशोधित करें या न करें, आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार की परिवंचना न होने दी जाये। क्या ५०,००० रुपये एक उचित सीमा है, यह एक और बात है। मैं इस बात को अधिक महत्वपूर्ण समझता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष को दिये जाने वाले वेतन की सीमा क्या हो? यदि प्रबन्ध निदेशक एक है, तो क्या समवाय को उसे ६,००० या ७,००० रुपया देने का अधिकार होना चाहिये या अधिकतम वेतन की कुछ सीमा होनी चाहिये?

वित्त मंत्री का यह कहना ठीक है कि भावी प्रशासनीय व्यवस्था का महत्व सब से अधिक है। यह व्यवस्था एक विभागीय व्यवस्था होगी और इस के अनेक कृत्य होंगे। मैं पहले एक संविहित प्राधिकार के पक्ष में था, क्योंकि मैं समझता था कि इस के बहुपक्षीय कृत्य होंगे। अब चूंकि कहा गया है कि विभाग के भी बहुपक्षीय कृत्य होंगे, इसलिये मैं इस तर्क को प्रस्तुत नहीं करता। किन्तु दो

[श्री अशोक मेहता]

तर्क फिर भी रह जाते हैं । एक यह है कि विभागीय व्यवस्था विलम्बकारी होगी इस के विपरीत एक संविहित प्राधिकार अधिक विश्वास पैदा कर सकेगा । इस के काम में अधिक लचक और साहस होगा । दूसरा तर्क यह है कि संविहित प्राधिकार अपने कृत्यों का पालन स्वतन्त्रता के साथ और पक्षपात के बिना कर सकेगा । श्री एन० सी० चटर्जी ने अपने टिप्पण में कहा है कि यदि सरकार इतनी शक्तियां स्वयं ले ले, तो इन के दुरुपयोग किये जाने की बहुत शंका है । वित्त मंत्री ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जिस से यह शंका दूर हो सके । हम अनुभव करते हैं कि बड़े बड़े उद्योगों और पूंजीपतियों के मामलों के सम्बन्ध में ऐसी असाधारण शक्तियों के दुरुपयोग की बहुत संभावना है, विशेषकर ऐसे प्रजातन्त्र में जहां सामूहिक लोकप्रिय संस्थायें या दल नहीं हैं । इसलिये वित्त मंत्री के इस आश्वासन को मानते हुए भी कि विभाग के कार्य बहुपक्षीय होंगे और यह विलम्बकारी नहीं होगा, मैं समझता हूं कि एक स्वतंत्र प्राधिकार स्थापित करना अधिक अच्छा होगा । सरकार कुछ नीति निर्णय कर सकती है, जो कि इस प्राधिकार के मागदर्शन के लिये उपलब्ध होंगे । सामान्य नियंत्रण निसन्देह सरकार का रहेगा ।

सरकारी समवायों सम्बन्धी उपबन्धों से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं । इन के अनुसार न तो उन पर संसद् का नियंत्रण होगा और न ही विधि का पूरा नियंत्रण होगा । किन्तु वित्त मंत्री ने कहा था कि वह महालेखापरीक्षक के साथ इस प्रस्थापना पर बातचीत कर रहे हैं कि सरकारी समवायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाये और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हमें उपलब्ध कराये जायें ।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम में से कुछ लोगों ने अत्याधिक जोर दिया है वह है उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों को भाग लेने का अधिकार देना । अब मैं इस सम्बन्ध में यूगोस्लाविया के प्रधान मंत्री के इस कथन की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । उन का कहना है कि संक्रमण काल में पंजीवाद से समाजवाद की ओर बढ़ने में मजदूरों की परिषदों का होना अत्यावश्यक ही नहीं है वरन् उन को किसी भी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता । चूंकि हमारे यहां भी अभी संक्रमण काल है, इस कारण समाजवादी लोकतन्त्र के अन्तर्गत-उद्योगों में मजदूरों का भाग लेना एक युगान्तर कारी कदम होगा । यह एक अत्यन्त अनुभवी व्यक्ति का कथन है । इस तथ्य को हम यह कह कर अस्वीकार कर सकते हैं कि यह एक साम्यवादी देश की बात है । अतः मैं माननीय मंत्री का ध्यान पश्चिमी जर्मनी में जो विधियां पारित हुई हैं उन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । यह देश आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्णरूपेण सम्पन्न है । वहां मजदूरों को 'सह-निर्धारण अधिकार' प्राप्त हैं ।

जर्मनी समवाय विधि के अन्तर्गत एक निरीक्षण बोर्ड होता है जिस के अधीन निदेशक होते हैं । इस निरीक्षण बोर्ड में ग्यारह सदस्य होते हैं जिस में अंशधारियों तथा मजदूरों आदि सभी के प्रतिनिधि होते हैं । हमारे श्रम मंत्री ने एक ज्ञापन जारी किया है जिस में कहा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह चाहते हैं कि कम से कम दो और अधिकतम २५ प्रतिशत निदेशकों का निर्वाचन सम्बन्धित सार्थ के कर्मचारियों द्वारा होना चाहिये । यदि सरकार की यही नीति है, तो उसे इस प्रकार खण्डशः नहीं सोचना चाहिये । मैं ने जब यह ज्ञापन पढ़ा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता

हुई और मुझे विश्वास है कि यह जो तालिका स्थापित की जा रही है, अत्यन्त अनुभवी श्रम मंत्री द्वारा किये गये सुझाव को अवश्य अंकित करेगी । वित्त मंत्री के यह कहने से कुछ भी लाभ न होगा कि ये केवल सैद्धान्तिक विचार हैं और आप का अपना मत है किन्तु वास्तव में देखा जाय तो ये क्रियाकारी प्रश्न हैं। मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहता हूं जिस से न केवल अंशभागियों के ही अधिकारों की सुरक्षा हो वरन् मजदूर भी यह अनुभव करने लगें कि हमारे देश में एक नये समाज और नई सभ्यता की स्थापना की गई है । यदि ऐसा करना है तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था किये बिना क्या कोई समवाय विधि बन सकती है ?

माननीय वित्त मंत्री ने समवाय विधि समिति के प्रतिवेदन में से जो उद्धरण पढ़ कर सुनाया उस में श्रम संगठन करने का उल्लेख किया गया है । किन्तु संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में इस के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है । मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या अब वह समय नहीं आ गया है जब कि समवाय अधिनियम में इस प्रकार का संशोधन किया जाय जिस से उद्योगों के प्रबन्ध में श्रम को उस का न्यायोचित अंश मिल सके ।

लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में मेरे कुछ साथियों ने सरकार द्वारा अतिरिक्त लेखा परीक्षा की जाने की बात कही है, इस से भी स्थिति कुछ सुदृढ़ हो जायेगी किन्तु वैयक्तिक रूप से मैं फ्रांस में प्रचलित दोहरी लेखा-परीक्षा प्रणाली के पक्ष में हूं । यहां भी उसी प्रणाली को अपनाया जाना चाहिये क्योंकि मजदूरों को भी समवाय द्वारा अर्जित धन के सम्बन्ध में जानने का उतना ही अधिकार है जितना कि मालिकों को । समवाय विधि अंशभागियों और समवाय की द्विपक्षीय विधि नहीं होनी चाहिये । उस में मजदूरों को लेना भी आवश्यक है । अतः फ्रांस की भांति मजदूरों के लेखा परीक्षक भी इस में होने चाहियें ।

मैं सारी अनुसूचियों को बहुत ही सावधानी से पढ़ने का दावा तो नहीं कर सकता किन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि उन्हों ने लेखा कर्म और अर्थ शास्त्र दोनों के दृष्टिकोण में कहां तक सामंजस्य स्थापित किया है । आज पश्चिमी देशों में जहां भी आर्थिक आयोजना की जा रही है, इस बात की कोशिश की जा रही है कि समवायों के लेखों को नया रूप दिया जाये ताकि उन का सामाजिक गणना में प्रयोग किया जा सके । चूंकि हम भी अपने देश में आयोजना कार्य कर रहे हैं इसलिये माननीय वित्त मंत्री यदि आयोजना को सार्थक बनाना चाहते हैं तो सन्तुलन पत्र फार्मों को नया रूप दिये जाने की सम्भावनाओं पर विचार करायें ताकि वे सामाजिक गणना के लिये उपयोगी हो सकें ।

"सोशल एकांउंट्स ऐण्ड दि बिजनेस एण्टरप्राइज सेक्टर आफ दि नेशनल इकनामी" नामक पुस्तक के लेखक ने एक अन्य पुस्तक "दि मेजरमेंट आफ प्राफिट" में बताया है कि सामाजिक गणना के द्वारा ही यह पता लगाना सम्भव होगा कि गैर सरकारी क्षेत्र की कुछ सुविधाओं को सरकारी क्षेत्र में स्थानान्तरित कर देने की सामाजिक लागत और लाभ क्या होगा । मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री भी भली भांति जानते हैं कि इन मामलों पर विदेशों के सक्षम प्राधिकारों ने बड़ी गम्भीरता पूर्वक विचार किया है ।

मैं कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड की भांति हमारे यहां भी कुशल लेखा परीक्षा के रूप में और वैसे भी सन्तुलन-पत्र रखना लाभदायक सिद्ध होगा । मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि अनुसूचियों में सम्मिलित किये गये सन्तुलन-पत्रों की इस दृष्टिकोण से जांच की गई है और यदि ऐसा नहीं है,

[श्री अशोक मेहता]

तो क्या उस दृष्टिकोण से वह उन की जांच करवायेंगे ।

मैं उन का ध्यान इस ओर और आकर्षित करना चाहूंगा कि कार्यों से होने वाली आय और हस्तान्तरण की आय में विभेद किया गया है । किन्तु मैं फिर भी इस सम्बन्ध में उन से पुष्टि करवाना चाहूंगा । डा० सिंगर न विश्रामी लेखे की बात कही है, इस का तात्पर्य उन लेखों से है जो प्रमुख लाभ और हानि के लेखे में नहीं आते । अतः मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि न केवल इंग्लैंड में ही वरन् सारे यूरोप में वर्तमान सन्तुलन-पत्र और लाभ और हानि के लेखे इस प्रकार तैयार किये जाते हैं कि जिस से वे अर्थव्यवस्था तथा समवायों के कार्य संचालन के लिये उपयोगी हो सकें । मैं जानना चाहता हूं कि इस बात पर क्या ध्यान दिया गया है ।

मैं ने वित्त मंत्री और सभा का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर आकर्षित किया है और मैं आशा करता हूं कि खण्डवार चर्चा के समय मैं कुछ और कह सकूंगा ।

श्री वी० पी० नायर (चिरयांकिल) : मैं ने माननीय वित्त मंत्री और श्री अशोक मेहता के भाषणों को सुना । यह विधेयक इतना बड़ा है कि इस पर उपबन्धवार विचार इस सामान्य चर्चा के समय नहीं हो सकता। मैं संयुक्त समिति द्वारा किये गये परिवर्तनों और आंकड़ों में रुचि न रख कर इस बात में रुचि रखता हूं कि संशोधन हो जाने से देश की भावी अर्थव्यवस्था पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा । हम जानते हैं कि जब तक पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी तब तक समवाय विधि भी रहेगी । इस व्यवस्था से दोषों का निराकरण नहीं हो सकता । मुझे इस बता का खेद है कि संयुक्त समिति ने विधेयक पर संविधान में दिये गये निदेशक-तत्वों के अनुरूप विचार नहीं किया । क्या संयुक्त समिति ने अनुच्छेद ३९ (ख) और (ग) में दिये गये निदेशक-तत्वों पर भी कुछ ध्यान दिया है ? आज हम समाज के सामाजवादी ढांचे के विषय में लम्बी चौड़ी बातें सुनते हैं किन्तु क्या समवाय विधि में इसी प्रकार का संशोधन करने से उस लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी इस में जो भी परिवर्तन किये गये हैं उनसे कुछ भी लाभ होने का नहीं । यदि देखा जाय तो आज देश में एक ऐसा वर्ग है जो कर अपवंचन कर के चोरबाजारी से रुपया कमा कर गरीबों से पैसा जमा कर के उस से वैयक्तिक लाभ कमाता है । सरकार इस ओर से चुप्पी साध कर समवाय विधि के दोषों की ओर से आंखें मूंदे हुए है । आज देश में कुछ बड़े बड़े एकाधिकार हैं जो देश की अर्थव्यवस्था और विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र पर नियंत्रण किये हुए हैं । विद्यमान समवाय विधि में सुधार करने की आवश्यकता आज इसलिये और भी है कि अब कुछ समवाय ऐसे हो गये हैं जिन का संविधान के अनुसार वैसा होना बुरा है । ये बड़े बड़े एकाधिकार पिछली कई दशाब्दियों के परिणाम हैं जो आज इस रूप में दिखाई देते हैं । इस प्रकार की व्यवस्था संसार के किसी भी देश के किसी भी व्यापार के लिये अहितकर होगी । वित्त मंत्री ने कहा कि इस के अतिरिक्त और कोई उपाय ही तो नहीं है । किन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि इस प्रकार की प्रणाली की अब कोई प्रशंसा नहीं करता जिस का पता सरकारी दस्तावेजों से भी चलता है ।

आज यदि हम इन समवायों का इतिहास उलट कर देखें तो हमें पता चलेगा कि एकाधिकार सभी दिशाओं में फैलता जा रहा है । आज हमारे देश के समवाय ऐसे नये उद्योग आरम्भ करते हैं जिन में उन को पहले बिल्कुल अनुभव नहीं था आज के बड़े उद्योगों की कार्य-

पद्धति को देखिये तो पता लगेगा कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली तथा उस की अर्हतायें हैं ही नहीं। देश के तीन प्रमुख उद्योग-पति, टाटा, बिड़ला और डालमिया को ले लीजिये तो आप को पता चल जायेगा कि वे उन्हीं उद्योगों को चला रहे हैं जिसमें उन्हें पहले से अनुभव नहीं था, उन उद्योगों को नहीं जिन में वे कुशल थे। इस बात पर न तो संयुक्त समिति ने और न सरकार ने ही ध्यान दिया। हम तो तब यह समझते कि सरकार ने कुछ किया है जब वह एकाधिकारों की वृद्धि को रोकने का कुछ प्रयत्न करती किन्तु मैं देखता हूं कि कुछ अलग अलग पहलुओं का विनियमन किया जा रहा है जिस से हमें कोई भी लाभ नहीं होगा।

हम यह चाहते हैं कि धन का वितरण अधिक अच्छी तरह से हो और एकाधिकारी एककों में वृद्धि न हो। मुझे आशा थी कि सरकार, कम से कम संयुक्त समिति प्रक्रम पर, मूलभूत उपबन्धों में रूपभेद करने का प्रयत्न करती। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री उन पर विचार करेंगे। मेरा सुझाव है कि इन नियमों आदि की बजाय तो यह अच्छा होगा कि एकाधिकारी एककों के लाभ की उच्चतम सीमा निर्धारित कर के उन की बढ़ोतरी रोकी जाय। मेरा यह भी एक सुझाव है कि किसी सीमित समवाय या असीमित समवाय के बांटे जाने वाले लाभ की राशि अधिकतम रखी जाये। बैंक ब्याज की दर का दोगुना मेरी समझ में अत्यधिक युक्तियुक्त होगा। क्या सरकार ऐसा उपबन्ध करने को तैयार है कि बांटा जाने वाला लाभ, जिस की दर निश्चित की जा सकती है, केवल ऐसे कार्यों पर व्यय किया जाये जिन का देश की अर्थव्यवस्था से सम्बन्ध है? यदि ऐसा उपबन्ध हो जाये तो यह एक मूलभूत परिवर्तन होगा। परन्तु इस पर विचार तक नहीं किया जाता।

अब मैं पुनः एकाधिकारी एककों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार का ख्याल है कि निदेशकों की संख्या २० तक सीमित करने या किसी प्रबन्ध अभिकरण का कार्य क्षेत्र १० प्रबन्धित समवायों तक सीमित कर देने से वह एकाधिकार एककों की बढ़ोतरी रोक सकती है। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि उनका वास्ता ऐसे लोगों से है जिन के लिये विधि अपवंचन कोई नई चीज नहीं है। इस प्रसंग में मैं आय-कर जांच आयोग के काय संचालन सम्बन्धी प्रतिवेदन की ओर निर्देश करूंगा। उस में कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख है जिन से यह प्रकट होता है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने अपनी आय का बहुत बड़ा भाग बही खाते में नहीं दिखाया या झूठी हानि आदि दिखाई।

हमारे उद्योग में इस समय क्या स्थिति है? क्या हम यह चाहते हैं कि किसी प्रबन्ध अभिकरण सार्थ को दस से अधिक सीमित समवायों का प्रबन्ध नहीं करना चाहिये? इस से तो यह अच्छा है कि हम ऐसा उपबन्ध न करें कि वे उन समवायों का सम्पूर्ण प्रबन्ध न करें और उन की कुल पूंजी का ही प्रबन्ध न करें। हमें ज्ञात है कि निदेशक बोर्ड के ऊपर प्रबन्धकों का नियंत्रण होता है वे जिसे चाहें, उसे निदेशक बना सकते हैं। एक उद्योगपतिका रसोइया भी एक समवाय का निदेशक है। ऐसी दशा में समवाय की संख्या दस तक सीमित करने या निदेशक-पदों की संख्या बीस तक सीमित करने से विशेष लाभ नहीं होगा। मेरे पास बड़े बड़े उद्योगपतियों के निदेशक पदों और समवायों की सूची है। ये उद्योगपति जब भी चाहें निदेशक-पदों की संख्या बढ़ा सकते हैं। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास फर्म के अन्तर्गत ५० निदेशक पद हैं।

[श्री वी० पी० नायर]

'काम्बीनेशनल मूवमेंट इन इंडियन इन्डस्ट्री' नामक पुस्तक में बड़े बड़े उद्योगपतियों तथा उनके की फर्मों और निदेशक-पदों का वर्णन किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप यह समझा रहे हैं कि निदेशक-पदों की संख्या बीस रखी जाय ?

श्री वी० पी० नायर : जी नहीं, में यह बताना चाहता हूं कि बीस का नियम उन्हें संख्या बढ़ाने से नहीं रोक सकेगा । कृपया मेरे तर्क को पूरी तरह सुन लीजिये ।

हां, तो मैं कह रहा था कि प्रबन्धकों का निदेशक पदों पर आधिपत्य होता है । यदि सरकार निदेशक-पदों की संख्या बीस तक सीमित रखना चाहती है तो शेष निदेशक-पद प्रबन्धक उद्योगपति के किसी भी सगे सम्बन्धी या मित्र के नाम से चलते रहेंगे । ऐसे नियम से क्या फर्क पड़ता है ? उदाहरण के लिये पदमपत सिंहानिया, लक्ष्मीपत सिंहानिया और कैलाशपत सिंहानिया के पास इस समय १०७ निदेशक-पद हैं । निदेशक बोर्ड पर उद्योगपति का अधिकार होने के कारण वह निदेशक को एक समवाय से हटा कर दूसरे समवाय में भेज सकता है । केवल भारत में ही नहीं, यरोप में भी बड़ी बड़ी फर्मों का इसी प्रकार प्रबन्ध चलता रहता है । एण्ड्रयू यूल एण्ड को० नामक फर्म ७८ समवायों का प्रबन्ध करती है और उस के अधिकार में १३८ निदेशक-पद हैं ।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बम्बई शेयर होल्डर्स एसोसियेशन के उस ज्ञापन का उद्धरण दिया है जो एसोसियेशन ने संयुक्त समिति को भेजा था । माननीय मंत्री ने उसे प्रामाणिक बताते हुए उस की बहुत प्रशंसा की है किन्तु मेरे पास भी उसी संस्था का एक उद्धरण है जो उस के बिल्कुल विपरीत है । यह उद्धरण उस ज्ञापन का है जो उन्होंने भामा समिति को दिया था । इस से यह पता चलता है कि निदेशकों के निर्वाचन में उद्योग-पतियों का कितना गहरा हाथ होता है । लगभग पचास प्रतिशत अंशधारी तो सदैव इतने तटस्थ रहते हैं कि वे निर्वाचन में भाग नहीं लेते । शेष पचास प्रतिशत में बहुमत अपने पक्ष में कर लेना प्रबन्धकों के बांयें हाथ का काम होता है ।

समवायों के अधिकांश अंशधारी देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिखरे रहते हैं और उन का एकत्र होना असंभव सा है । केवल भारत में ही नहीं, अन्यत्र भी पूंजीपति अपने समवायों के प्रबन्ध पर पूर्णरूपेण हावी रहते हैं । अमरीका में एक बार जान डी० राक्फेलर एक समवाय निदेशक बोर्ड के सभापति कर्नल स्टीवर्ट से असंतुष्ट हो गये । उस समवाय में उन के अंश केवल १४.६ प्रतिशत थे । अतः स्टीवर्ट को निर्वाचन में परास्त करने के लिये उन्हें भारी प्रयत्न करना पड़ा जिस में उन का ३००,००० डालर व्यय हुआ । तब कहीं राक्फेलर दल की निर्वाचन में जीत हो सकी । जब राक्फेलर जैसे महान उद्योगपति की यह दशा हो सकती है तो फिर भारतीय अंशधारियों की बड़े बड़े पूंजी पतियों के आगे कैसे दाल गल सकती है ।

मुझे याद है, १९३६ में पंडित गोबिन्द बल्लभ पन्त ने इसी भवन में अंशधारियों का पक्ष लेते हुए भाषण किया था । उन्हों ने अपने प्रभावशाली वक्तव्य में यह बताया था कि एक अंश के लिये एक मत देना ही सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है । हमारे समवायों में प्रजातन्त्रीय विधि से कार्य संचालन के लिये यही अनिवार्य है किन्तु मुझे खेद है कि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है ।

प्रोफेसर के० टी० शाह ने ठीक ही कहा था कि हमारे सार्वजनिक समवायों में जो

दोष हैं वे प्रबन्धक ऐजेन्सियों के स्वार्थ के कारण हैं । इन्हें इस प्रकार के विनियमन से कोई हानि नहीं हो सकती ।

मुझे याद है कि जमशेद जी टाटा ने जनता से सहयोग और अंश प्राप्त कर के किस प्रकार अपना लोहा और इस्पात उद्योग प्रारम्भ किया था । सरकार ने भी उन्हें प्रत्येक प्रकार की सुविधायें दी थीं और धीरे धीरे समस्त एशिया में टाटा का मानो एक इस्पात-साम्राज्य स्थापित हो गया । लाभ के रूप में उन्हें जो विशाल धन राशि प्राप्त हुई उसे यदि देश में इसी प्रकार के इस्पात उद्योग में लगाया गया होता तो आज देश की दशा बहुत उन्नत हो गई होती, किन्तु नहीं, टाटा अपना घर बसाते चले गये । लाभ के धन से उन्हों ने तेल और साबुन के कारखाने खोले और हाल ही में उन्हों ने एक महान अन्तर्राष्ट्रीय फर्म वोल्कार्ट ब्रदर्स का समस्त भारतीय प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में बड़े बड़े ठेकेदार पैदा हो गये हैं । प्रारम्भ म इन की प्रबन्धक ऐजेन्सियां किसी समवाय को जन्म देती हैं और अधिक व्यक्ति लाभांश पाने के उद्देश्य से उस के भागीदार बन जाते हैं । जब लाभ काफी होने लगता है तो ये ठेकेदार बिना उन से पूछे उस लाभ को किसी और व्यापारिक कार्य में लगा देते हैं और पैसे बनाते रहते हैं ।

मैं पूछता हूं कि क्या संयुक्त समिति ने इस प्रकार के ठेकों का अन्त करने के लिये कोई युक्ति सोची है ? हम अब तक तो यही देखते आ रहे हैं कि इस प्रकार के समवायों का निर्माण कर के जनता से खूब पैसा लिया जाता है ।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : किन्तु बुद्धि तो एक ही यक्ति को होती है ।

श्री बी० पी० नायर : जी हां १९३६ में आप की धाराणा कुछ और थी । दुर्भाग्य से, हमारे पुस्तकालय में सब कागज़ मौजूद हैं । माननीय वित्त मंत्री ने संयुक्त समिति की बड़ी लम्बी-चौड़ी प्रशंसा की है किन्तु पुराने समवाय में कोई मूल-भूत परिवर्तन नहीं किया गया है । संयुक्त समिति ने यों ही कुछ हेर फेर कर के उसी पुराने अधिनियम को एक नया रूप दे दिया है, केवल एक परिवर्तन उल्लेख-नीय है और वह यह है कि भारत स्थिति विदेशी फर्मों से भी यह कहा गया है कि वे अपना वार्षिक लेखा और संतुलन-पत्र प्रस्तुत किया करें । इस का उपबन्ध खंड ५८९ के परन्तुक में है किन्तु केवल लेखा मांगने से कोई काम नहीं बनता । जब तक सरकार को लेखापरीक्षा का अधिकार न हो तब तक लेखा मांगना निरर्थक है । अच्छा, इस का एक और आश्चर्यजनक पहलू भी है कि खंड ५८९ में एक परन्तुक जोड़ा गया है जिस का अर्थ इस प्रकार है कि "प्रत्येक विदेशी समवाय, प्रत्येक पत्री-वर्ष में,—

(क) इस रूप में सन्तुलन-पत्र तैयार करेगा और लाभ हानि का लेखा तैयार करेगा जिस में इस प्रकार के ब्यौरे हों और साथ में ऐसे दस्तावेज संलग्न हों कि .....

किन्तु उपखंड (ख) के एक परन्तुक के अनुसार सरकार अपन पास ऐसे अधिकार सुरक्षित रखेगी जिन से वह किसी एक वर्ग के विदेशी समवायों को अपना हिसाब दिखाने से मुक्त कर सके । एक ओर आप कहते हैं कि सरकार सभी विदेशी समवायों के लेखे की जांच करेगी दूसरी ओर आप विमुक्ति का अधिकार भी रखते हैं । भला इसका क्या आधार है । मैं मानता हूं कि सरकार कुछ विदेशी समवायों यथा बर्मा शैल, काल्टैक्स के लेखाओं को न देख सकने के लिये वचनबद्ध है किन्तु जब मैं ने श्री शाह से यह पूछा कि डनलप समवाय ने कितना वार्षिक लाभ अर्जित किया तो वह कोई निश्चित उत्तर

[श्री वी० पी० नायर]

नहीं दे सके। हमें ज्ञात हुआ है कि वर्ष १९५० के पश्चात डनलप ने ७ करोड़ मुनाफा अर्जित किया है। मैं यह सब इसलिये जानना चाहता था, क्योंकि लगभग सारा रबड़ मेरे राज्य में उत्पन्न होता है। मैं जानना चाहता हूं कि रबड़ के बागान वालों तथा कामकरों को क्या मिलता है। यदि सरकार ऐसे समवायों को लेखा दिखाने से मुक्त कर दे तब मैं पूछता हूं कि उन के मुनाफे का पता किस तरह लगेगा।

अब अन्त:पाशन में प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न है। भारत में प्रबन्ध-अभिकर्ताओं को अब ५०,००० रुपये पारिश्रमिक में मिलेंगे। माना सिंहानियां बन्धु, जिन की १०७ व्यापार संस्थायें हैं १९५६ में मुनाफा न कमायें तो उन्हें ५३½ लाख रुपये मिल जायेंगे अन्त:पाशन पूंजीवादी पद्धति का एक अनिवार्य अभिशाप है। मैं ने किसी भी देश में, जहां की अर्थव्यवस्था इतनी कम विकसित हो, इतना अधिक अन्त:पाशन होते नहीं देखा। उदाहरण स्वरूप डालमिया जैन, प्रबन्ध अभिकरणों, विमानों, मोटर गाड़ियों, औषधि निर्माण तथा बिस्कुट इत्यादि सभी के विशेषज्ञ समझे जा सकते हैं। इस प्रकार का अन्त:पाशन बिड़ला, इत्यादि सभी के यहां हैं। और यह प्रबन्धक अभिकर्ताओं निदेशकों, वित्त तथा सभी चीजों में चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस बात से कि, उद्योगपतियों ने जो कि उपक्रमी व्यक्ति भी हैं, इतने उद्योग प्रारम्भ किये हैं, उन के साथ कोई झगड़ा किया जा सकता है? आप उन पर यह आरोप अवश्य लगा सकते हैं कि अन्त:पाशन के कारण अधिक मुनाफा कमाने, इत्यादि की बुराइयां उत्पन्न होती हैं किन्तु केवल इस आधार पर कि एक व्यक्ति ने कई उद्योग प्रारम्भ कर दिये हैं, उस का विरोध करना अनुचित है, क्योंकि सभी कई वस्तुओं के जो कि हम विदेशों से आयात कर रहे हैं, निर्माण की आवश्यकता है।

श्री वी० पी० नायर : इस की हानि यह है कि औद्योगिकों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अंशधारियों का ख्याल किये बिना ही विभिन्न प्रकार के उद्योगों को हथियाना चाहते हैं।

प्रबन्धक अभिकर्ताओं में अवैध पशान भी चलता रहता है। आप कह सकते हैं कि इस सम्बन्ध में प्रस्ताव रखने का उपबन्ध है। इस प्रकार के उपबन्धों से उन के फैलाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती। भारतीय उद्योग प्रबन्ध में यह एक विशेषता बनती जा रही है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि एक ही व्यक्ति विमानों, मोटर गाड़ियों तथा बिस्कुटों के उद्योगों में समान रूप से विशेषज्ञ किस भांति हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रबन्ध अभिकर्ता को विशेषज्ञ होना चाहिये?

श्री वी० पी० नायर : वह व्यक्ति इसलिये विशेषज्ञ नहीं है कि वह उस विशेष उद्योग के संगठन को जानता है प्रत्युत इसलिये विशेषज्ञ है, कि उस के पास पूंजी की शक्ति है, जिस से वह अधिकाधिक उद्योगों पर अधिकार करता जाता है। यह बात संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के विपरीत है। किन्तु वास्तविकता यह है कि इतने नियंत्रण इत्यादि के उपरान्त भी हम विशाल समवायों की उत्पत्ति पर रोक नहीं लगा सके हैं। इस के विपरीत बड़े प्रबन्ध अभिकरण के अपने बैंक, अपने बीमा समवाय तथा अन्य उद्योग होते हैं।

अब मैं अन्य उपबन्धों को लेता हूं। स्विटजरलैंड के एक उपबन्ध के अनुसार प्रत्येक समवाय में कुछ स्विटजरलैंड के राष्ट्रजन होने चाहियें। अमरीका की संघीय विधियों

में भी ऐसे उपबन्ध हैं कि निदेशकों के बोर्ड में एक दो अमरीकी निदेशक होने अनिवार्य हैं। मैं श्री एम० सी० शाह से पूछता हूं कि क्या उन्हों ने समवाय विधेयक में भी ऐसे उपबन्ध रखे हैं जिन से नये विदेशी समवायों में दो-एक भारतीयों का होना अनिवार्य हो। इसीलिये मैं कहता हूं कि संयुक्त समिति ने विधेयक में कई आमूल परिवर्तन नहीं किये हैं।

श्री अशोक मेहता ने प्रबन्धकों के बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधि रखने का सुझाव दिया है। अब वह समय आ गया है कि प्रबन्ध में श्रमिकों को भाग लेने दिया जाये। ज्ञात होता है, संयुक्त समिति ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न की नितांत उपेक्षा की है।

मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह मुनाफे को सीमित करने तथा उस के उपयोग को एक योजना के अनुरूप निश्चित करने के लिय तरकीबें निकाले। अधिकतर मुनाफे का दुरुपयोग ही किया जाता है अतः जब आप समाजवादी रूपरेखा के समाज की स्थापना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बातें कर रहे हैं तो सरकार को मुनाफे की अधिकतम सीमा निश्चित करने तथा उसे एक निश्चित राष्ट्रीय योजना के अनुसार व्यय करने पर विचार करना चाहिये।

समाप्त करने के पूर्व मैं केवल यह चाहूंगा कि मंत्री जी मेरे द्वारा उठाये गये विशिष्ट प्रश्नों के स्पष्ट और वर्गीकृत उत्तर देने की कृपा करें क्योंकि अधिकांशतः वे एक प्रश्न को प्रारम्भ कर के ही टाल देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि तत्पश्चात् हमें प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : जब हम देश के औद्योगिक विकास का अध्ययन करते हैं तो हमें दो प्रकार के विरोधी मत मिलते हैं। पहिला तो यह है कि विदेशी शासन के बावजूद भी हम ने जो कुछ औद्योगिक विकास किया वह केवल प्रबन्ध-अभिकरण प्रणाली से ही सम्भव था। दूसरा मत यह है कि इस पद्धति की अनुपस्थिति में भी देश का सन्तोष-जनक औद्योगिक विकास हो सकता था। मेरे विचार से सत्य इन दोनों मार्गों के बीच मध्य मार्ग ग्रहण करने में है।

बात यह है कि प्रबन्धक दो प्रकार के होते हैं। पहिले जो कि औद्योगिक विकास के लिये सच्चे हृदय से कार्य करते हैं दूसरे वे जो कि अपने अधिकार द्वारा केवल समाज का शोषण करना चाहते हैं।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

ऐसे लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कई प्रकार की तरकीबें उपयोग में लाते हैं। वे इन प्रबन्धक अभिकरणों को सट्टे के प्रयोजन के लिये उपयोग करते हैं। यदि सट्टे में लाभ होता है तो वह व्यक्ति के नाम से चलता है; यदि हानि होती है तो वह व्यापार संस्था के नाम से चलती है। इस प्रकार ऐसे लोगों को हानि की कोई संभावना नहीं रहती।

दूसरी तरकीब जो ऐसे प्रबन्धक अभिकर्ता करते हैं यह है कि वे ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक समवाय स्थापित कर रहा है, जिस में बहुत लाभ होगा। अतः समवाय के स्थापित होने के पूर्व ही उस के अंशों के मूल्य चढ़ जाते हैं। कुछ समय पश्चात् जब समवाय का गठन होता है और धन प्राप्त होता है तो लोगों को ज्ञात होता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। परिणाम यह होता है कि अंशों का मूल्य कभी कभी ५० प्रतिशत तक गिर जाता है। उस के बाद यही प्रबन्ध अभिकर्ता धीरे धीरे अपने समवाय के अंश खरीदने लगते हैं। बाद में

[श्री हेडा]

इन्हीं अंशों को बड़े दामों पर बेच देते हैं। इस प्रकार के अभिकर्ता सटोरिया प्रवृत्ति के होते हैं और उन के ही कारण अपने समवाय और देश के उद्योग को काफी हानि हुई है।

श्री वी० पी० नायर ने अभी बताया कि हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा प्रबन्ध अभिकर्ता हो जिस ने समवाय के लिये आवश्यक धन अपने पास से लगाया हो। विदेशों में ऐसे लोग हैं जो लगभग सारी पूंजी अपने पास से लगाते हैं। यहां के प्रबन्ध अभिकर्ता तो अधिकतर सटोरिया प्रवृति के हैं। सरकार को चाहिये कि ऐसे लोगों को निरुत्साहित कर के उद्योग प्रवृत्ति के लोगों को प्रोत्साहन दिया जाये।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि इस विधेयक का एक उद्देश्य गैर-सरकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना है पर यदि हम पुराना इतिहास देखें तो हमें पता लगेगा कि सरकार ने कभी भी बुरे प्रबन्धक अभिकरणों को न तो निरुत्साहित किया न अच्छे प्रबन्ध अभिकरणों को प्रोत्साहित किया। सरकार ने कभी इस बात की भी शिकायत नहीं की कि उस के पास पर्याप्त अधिकार भी नहीं हैं। वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय में बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, पर गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी उन से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उन पर निगाह रखना बहुत आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने अपने भाषण में यह भी बताया कि उन्हों ने एक विभाग खोला है जो समवाय विधि का काम देखेगा। चूंकि बैंकों और बीमा कम्पनियों में काफी पूंजी लगायी जाती है अतः उन पर भी किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण अवश्य होना चाहिये। मैं समझता हूं कि कुछ समय बाद यही विभाग बैंकों और बीमा कम्पनियों का भी काम संभालेगा।

प्रबन्धक अभिकरण के भविष्य के सम्बन्ध में भी विधेयक में कुछ कहा गया है। कुछ लोग इस प्रणाली को समाप्त करने के पक्ष में हैं, जब कि कुछ लोग इस के जारी रहने के पक्ष में हैं, इस सम्बन्ध में मेरा मत है कि सम्मिलित अर्थव्यवस्था में हमें किसी-न-किसी प्रणाली को जारी रखना ही होगा चाहे हम उसे प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली कहें या मंत्री और कोशाध्यक्ष प्रणाली कहें। दोनों प्रणालियों में कोई विशेष अन्तर नहीं है, पर प्रबन्ध अभिकरण बहुत बदनाम प्रणाली है अतः उसे मंत्री और कोशाध्यक्ष प्रणाली का नाम देना ठीक नहीं।

प्रबन्ध अभिकरण पर नियंत्रण रखने के लिये एक और भी उपाय प्रयोग में लाया जाता है कि उस के पारिश्रमिक और कमीशन की सीमा निश्चित कर दी जाती है। सम्पूर्ण व्यवसाय संगठन इस प्रबन्ध अभिकरण में सम्मिलित होना चाहिये पर औद्योगिक संगठन तो बिल्कुल स्वतन्त्र और अलग रहना चाहिये। मेरा मतलब इस सम्बन्ध में यह है कि केवल कमीशन और पारिश्रमिक पर रोक लगाना ही काफी नहीं है, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के सट्टों से बहुत सा धन पैदा कर लेते हैं। और आयकर आदि का भुगतान भी न कर के सारा धन अपने पास रखते हैं। मेरा विचार है कि इस काम में सफलता प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि माननीय मंत्री ने जिस विभाग को नियुक्त करने की घोषणा की है वही जब तक इन बातों को ठीक प्रकार से नहीं देखेगा और देश के हित की रक्षा नहीं करेगा तब तक इस विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

इस सम्बन्ध में एक खतरा भी है। यदि विधि का प्रयोग व्यक्तिगत परिस्थितियों और गत अनुभव को ध्यान में रखे

बिना किया जायेगा तो शायद निर्दोष व्यक्तियों को भी दण्ड मिले और दोषी व्यक्ति बच भी जायें, क्योंकि चतुर व्यक्ति जानते हैं कि विधि के पंजे से कैसे बचा जाये । अतः मैं कहना चाहता हूं कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को हम तभी समाप्त करें जब हम इस प्रणाली के स्थान पर कोई नई उपयोगी प्रणाली ढूंढ लें। विधेयक में जिस विकल्प का सुझाव दिया गया है वह काइ अच्छा विकल्प नहीं है । इस के लिय सब से अच्छा विकल्प उद्योग के सरकारी क्षेत्र से मिल सकता है। हमें सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को अधिक कुशल बनाना चाहिये और जब तक हमें कोई नया विकल्प नहीं, मिलता, इस प्रणाली को जारी रखा जाये ।

अब मैं नये समवायों की बात पर आता हूं। एक ओर यह कहा गया है कि एक व्यक्ति २० से अधिक समवायों का निदेशक नहीं हो सकता। दूसरी ओर नये समवायों के खोलने के लिये बहुत कठिनाइयां पैदा कर दी गयी हैं। कोई भी नया व्यक्ति, जो कोई समवाय चलाना चाहता है, देखेगा कि इस विधेयक के अधीन काम को ठीक प्रकार चलाना बहुत कठिन है। स्वभावतः वह वकीलों की राय लेगा या अनुभवी व्यवसायी संगठनों से राय मांगने जायेगा । इस प्रकार हम देखते हैं कि नये समवाय खोलने के मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां पैदा कर दी गई हैं । मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक में अंशधारियों के अधिकारों की रक्षा बड़े उत्साह से की गयी है। मैं चाहता हूं कि निदेशक बोर्ड के सभी चुनाव समानुपातिक मत या एकलसंक्रमणीय मत के आधार पर होना चाहिये ताकि सभी प्रकार के लोग बोर्ड के सदस्य बन सकें और अंशधारियों के हितों की रक्षा कर सकें। और ये ही अंशधारी वास्तव में, समवाय के स्वामी बन कर उस की कार्यप्रणाली को निश्चित करें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को सुधारने का प्रयत्न हम करते आये हैं पर सफल नहीं हो पाये। अब प्रश्न यह है कि उसे समाप्त कर दिया जाये या सुधारा जाये ! इस प्रणाली के उन्मूलन के लिये सार्वजनिक मांग थी और इस विधेयक में भी यह उपबन्ध है कि सरकार अधिसूचना के द्वारा कुछ उद्योगों से प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को हटा सकती है। इस बात का भय केवल काल्पनिक है कि ऐसा करने से पूंजी लगाने वाले लोग भयभीत हो जायेंगें । मैं समझता हूं कि लोगों के दिलों में सरकार के प्रति विश्वास है इसलिये सरकार को आगे बढ़ कर सुधार करना चाहिये । सुधारकों, क्रान्तिकारियों के सामने ऐसी कठिनाइयां सदैव आती रही हैं । हम ने बड़े बड़े काम किये हैं । सामन्तशाही समाप्त की है जमींदारी का उन्मूलन किया है तो फिर सरकार इन उद्योगशालाओं से क्यों भयभीत है ।

आज का युग विशेष ज्ञान का युग है और मैं आशा करता हूं कि जो व्यक्ति प्रबन्ध अभिकर्ता हो उसे कम से कम उस विषय का विशेषज्ञ होना चाहिये जिस से कि उस का संबंध हो। परन्तु यह विधेयक उपबन्ध करता है कि एक ही व्यक्ति दस समवायों का प्रबन्ध अभिकर्ता हो सकता है और बीस समवायों का संचालक । इस प्रकार कुछ व्यक्तियों और समूहों को इस बात की छूट मिल जाती है कि प्रबन्ध को जितना चाहें खराब करें और पारिश्रमिक के नाम पर जितना चाहें पैसा वसूल करें ।

इस विधेयक में किसी स्थान पर भी न्यूनतम अर्हतायें विहित नहीं की गई हैं। इतना प्रतिबन्ध तो हम लोगों के लिये भी है कि हमारी न्यनतम आयु २५ वर्ष की होने

[श्री खर्डेकर]

चाहिये। जो लोग राष्ट्रीय सम्पत्ति के प्रभारी बनने जा रहे हैं उन्हें कम से कम २५ वर्ष की आयू वाला तो होना ही चाहिये। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि वे कम से कम मैट्रीकुलेट हों और जिस व्यापार में वे हाथ लगाने जा रहे हैं उस का उन्हें विशेष अनुभव प्राप्त हो। प्रायः यह देखा जाता है कि प्रबन्ध अभिकर्ता समवाय एक प्रकार का घरेलू धंधा होता है जिस में घर वाली संचालक बोर्ड की महिला सभापति बन जाती है चाहे शिक्षा उस ने तीसरी कक्षा तक ही प्राप्त की हो और पुत्र और पुत्रियां संचालक बन जाते हैं कर अपवंचन करने के लिये सब को भारी भारी वेतन दिये जाते हैं, दिखावे के अनुसार समवाय की समुन्नति तथा विकास के लिये, परन्तु वास्तव में व्यक्तिगत आनन्द लूटने के लिये, यूरोप के दौरे किये जाते हैं और व्यक्तिगत उपयोग के लिये क्रय की गई वस्तुयें भी समवाय के नाम डाली जाती हैं। सातवीं अनुसूची में यह उपबन्ध बनाया अवश्य गया है कि प्रबन्ध अभिकर्ता संचालक बोर्ड की मंजूरी के बिना अपने सम्बन्धियों की नियुक्ति नहीं करेगा। परन्तु प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पास अंशों की संख्या के रूप में जो शक्ति होती है उस के कारण संचालक इतना साहस नहीं कर सकते हैं कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं का विरोध करें, क्योंकि उन्हें आशंका होती है कि कहीं अगले चुनाव के समय उन को निकाल न दिया जाये।

जहां कुछ लाभ न हो वहां भी न्यूनतम पारिश्रमिक ५०,००० रुपये दिया जा सकता है जो केन्द्र के मंत्रियों को प्राप्त होने वाली राशि का भी दुगना है। कराधान जांच आयोग ने सिफारिश की है कि किसी भी परिवार की आय एक साधारण परिवार की आय के तीस गुने से अधिक नहीं होनी चाहिये इस के लिये कुछ न कुछ सीमा अवश्य निर्धारित की जानी चाहिये विशेषतः जब कि हमारा उद्देश्य ही समाजवादी ढंग का समाज बनाना हो।

इस विधेयक के विरुद्ध सब से बड़ी आलोचना भाभा समिति की इस सिफारिश का स्वकार न किया जाना है कि इस अधिनियम की कार्यान्विति के लिये एक केन्द्रीय प्राधिकार की अथवा किसी स्वतन्त्र संविहित निकाय की स्थापना की जाये। इस अधिनियम के प्रशासन का भार किसी सरकारी विभाग पर रखना उपयुक्त नहीं है क्योंकि इस प्रकार लाल फीता शाही, पक्षपात, तथा भ्रष्टाचार का बोल बाला हो जायेगा। अधिसूचना जारी करने की शक्ति जो सरकार को दी गई है विभागों द्वारा उस के भी दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है। हो सकता है कुछ पक्षों के संकेत पर अन्य पक्षों को हानि पहुंचाने के लिये ऐसी अधिसूचनायें जारी की जायें। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस कार्य के लिये कोई ऐसा स्वतन्त्र संविहित निकाय बनाया जाये जैसा कि इंग्लैंड में बोर्ड आफ ट्रेड है। इस संबंध में, मैं श्री एन० सी० चटर्जी की विमति टिप्पणी का समर्थन करता हूं जिस में कि एक अर्ध-स्वतन्त्र संविहित निकाय बनाये जाने के कारणों का उल्लेख किया गया है।

इस अधिनियम के लागू किये जाने के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि अधिनियम को लागू किये जाने योग्य बनाया जाये और इस कार्य के लिये समुचित व्यवस्था की जाये। बम्बई के इतने बड़े राज्य के लिये केवल एक समवाय पंजीयक है। उस के पास इस के अतिरिक्त भागीदारी अधिनियम तथा समिति पंजीयन अधिनियम से सम्बन्धित काम भी होता है। कोई कार्यवाही करने से पहले उसे सरकार के विधि अफसरों से परामर्श लेना होता है। परिवाद प्रस्तुत करने और आदेशिका निर्वहण का प्रबन्ध करना भी होता है। इन सब कार्यों में इतना समय लग

जाता है कि अधिक काम नहीं हो सकता है और फिर प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें समवाय विधि की बारीकियों का कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिये वे अपराधी पर कुछ जुर्माना कर के उसे छोड़ देते हैं। इस लिये मेरा सुझाव है कि इस विधान के उचित प्रशासन के लिये पंजीयक को अलग और विशेष कर्मचारी दिये जायें और बम्बई जैसे नगर में इस कार्य के लिये एक दो विशेष प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जायें।

इस अधिनियम के द्वारा समवायों पर ऐसे कार्यों के पालन करने का भार रखा गया है जिन को पूरा करने के लिये बहुत खर्च वाले कर्मचारीवृन्द रखने पड़ेंगे। इस प्रकार छोटे समवायों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। और उन के सामने एक ही मार्ग होगा कि वे भागीदार बना लें। वे सीमित दायिता का लाभ नहीं उठा सकेंगे। क्या सरकार का आशय छोटे छोटे समवायों को समाप्त कर के बड़े बड़े समवायों को जन्म देना है? बीमा अधिनियम ने ऐसा ही किया है। क्या इस से हम समाजवादी ढंग के समाज के निकट पहुंच जायेंगे?

मेरे माननीय मित्र श्री तुलसीदास की विमति टिप्पणी का जहां तक संबंध है मैं यह मानता हूं कि यह विधेयक पेचीदा और गैर लचीला इत्यादि है। परन्तु उन की अन्य सिफारिशें ऐसी हैं कि यदि उन्हें मान लिया जाये तो यह विधेयक ही समाप्त हो जायेगा। वह संभवतः यह चाहते हैं कि जो धनी हैं वे और धनी हो जायें और जो निर्धन हैं वे और भी निर्धन हो जायें। इस लिये उन्हों ने सम्पदा शुल्क विधेयक, तथा संविधान संशोधन विधेयक का भी विरोध किया था। और इसी कारण वह इस का भी विरोध कर रहे हैं।

सरकार ने केवल इस विधेयक में वरन् अन्य विधेयकों में भी सत्ता को अधिक से अधिक अपने हाथ में रखने के लिये अधिकाधिक विभागप्रेमी तथा सर्वाधिकारवादी होती जाती है। इस से जान पड़ता है कि सरकार को इस देश की जनता पर विश्वास नहीं है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इन सब बातों पर विचार करेंगे तथा एक संविहित निकाय स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री मूहीउद्दीन (हैदराबाद नगर): ६५० खण्डों का यह विधेयक वास्तव में बहुत बड़ा विधेयक है क्योंकि इस के पहले इस विषय पर जो अधिनियम था उस में केवल ३५० खण्ड थे इस में जटिलता भी बहुत अधिक है। परन्तु यह स्वागत करने योग्य है क्योंकि इस में उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है जो समवाय प्रबन्ध में बीस तीस वर्ष से चले आ रहे थे।

श्री अशोक मेहता ने संचालक बोर्ड के निर्वाचन के सम्बन्ध में, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का निर्देश किया है। मैं यह मानता हूं कि अल्प मत वालों को भी कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। जिस से कि उन्हें उन अंशधारियों के विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिले जिन के कि वे प्रतिनिधि हैं, परन्तु प्रतिनिधित्व का ढंग ऐसा है जिस से प्रबन्ध में अड़चन पड़ेगी। यदि लोग सहयोग कराने के लिये प्रबन्ध में भाग लेना चाहते हैं तो ठीक है परन्तु यदि वे छिन्न-भिन्न करने के लिये प्रबन्ध में भाग लेना चाहते हैं तो यह अवांछनीय है, और इस का परिणाम प्रबन्ध की गड़बड़ी और अदक्षता होगा।

इस सम्बन्ध में मैं हैदराबाद सरकार द्वारा स्थापित की गई उन अच्छी प्रथाओं का उल्लेख करूंगा जो उस में ऐसे उद्योगों

[श्री मुहीउद्दीन]

में स्थापित की हैं जिन में उस के अधिक अंश हैं। वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग आदि में उस के बहुत अधिक अंश हैं। उस ने एक स्वस्थ प्रथा तो यह रखी है कि सरकारी निदेशक गैर-सरकारी निदेशकों के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। इसलिये जो लोग बाहर से प्रतिनिधि हो कर आते हैं वे उन के साथ पूरा पूरा सहयोग करते हैं। मैं समझता हूं कि विधेयक में की गई यह प्रस्थापना वांछनीय ही है कि समवाय यदि आवश्यक समझे तो अपने अन्तर्नियमों में परिवर्तन कर के अनुपाती प्रतिनिधित्व रख सकते हैं।

खंड ३४८ द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो घाटा होगा उसे प्रबन्धक अभिकर्ताओं के कमीशन का हिसाब लगाने के लिये लाभ में से घटा लिया जायेगा। इस उपबन्ध का प्रभाव यह हो सकता है कि कई उद्योग निकम्मे हाथों में रह जायें—क्योंकि इस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने हैं। यदि यह उपबन्ध स्वीकार कर लिया गया तो पिछड़े हुए उद्योगों में हम कोई सुधार नहीं कर सकेंगे।

मैं यह सुझाव देता हूं कि इस खंड में यह संशोधन किया जाये कि नये प्रबन्ध अभिकर्ता पुराने प्रबन्ध अभिकर्ताओं से सम्बद्ध न हो तो उन पर यह खण्ड लागू न होगा। और ऐसे कार्य के लिये सरकार से मंजूरी ली जा सकती है।

कई माननीय सदस्यों ने भाभा समिति के सुझाव की ओर भी निर्देश किया है कि इन समवायों के मामलों पर नियंत्रण रखने के लिये एक केन्द्रीय प्राधिकारी या संविहित निकाय होना चाहिये। यह सुझाव बहुत अच्छा था और समस्त देश पर इस का प्रभाव बड़ा अच्छा पड़ता। भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है और न ही संयुक्त समिति ने इस पर जोर दिया है किन्तु मेरा अपना विचार है कि उस प्रकार की संविहित निकाय से बहुत लाभ हो सकते हैं। आप को स्मरण होगा कि प्रवर समिति इसी प्रकार के उपबन्ध को दो वर्ष पूर्व वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम म भी बदल दिया था। इसलिम सरकार की यह निश्चित नीति ही है कि जहां तक संभव हो संविहित निकाय बनाये ही न जाय। माननीय वित्त मन्त्री ने कहा है कि समवाय विधि की व्यवस्था में सरकार को अनेकों मामलों में नीति सम्बन्धी निर्णय करने पड़ेंगे। महत्वपूर्ण मामलों में सरकार निदेशों द्वारा ऐसा कर सकती है अथवा उस अधिनियम को संशोधित किया जा सकता है। किन्तु दिन प्रति दिन के प्रशासन के लिये संविहित निकाय ही ठीक रहेगा।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में समवायों के नियमित निरीक्षण का कोई विशेष उपबन्ध नहीं है। सात आठ साल पहले रक्षित बैंक ने बैंकों का निरीक्षण करने का विचार किया था और परिणाम यह हुआ कि लोग उस बैंक से धड़ाधड़ रुपया निकालने लगे क्योंकि उन्हों ने सोचा कि संभवतः बैंक में कुछ गड़बड़ी थी। किन्तु अब जबकि निरीक्षण नियोजित रूप से किया जा रहा है तो बैंकों के प्रबन्ध पर इस का बहुत लाभदायक प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार यदि सरकार समवायों के नियमित निरीक्षण का उपबन्ध करे तो इस का प्रभाव भी हितकारी होगा। मैं यह नहीं कहता कि समस्त १८ या २० हजार समवायों का निरीक्षण किया जाये, किन्तु किसी एक को इस काम के लिये चुन लिया जाये जिस से कि सभी निदेशक प्रबन्ध अभिकर्ता आदि होशियार तथा सावधान रहें। मेरे विचार में इस नियमित निरीक्षण का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा।

हम प्रबन्ध अभिकर्ताओं की निन्दा करते हैं उनकी बुराइयों का वर्णन करते हैं, किन्तु दूसरे प्रबन्ध के तरीके से अर्थात् कार्यकारी संचालकों की प्रणाली से उद्योगों के प्रबन्ध किये जाने के ढंग को बढ़ावा नहीं देते हैं। प्रबन्ध अभिकर्ताओं को १० प्रतिशत कमीशन मिलता है – और दूसरी प्रणाली में केवल ७½ प्रतिशत देना होता है, इसलिये प्रबन्ध अभिकर्ताओं के तरीके को अवश्य ही वरीयता दी जायेगी यदि हम चाहते हैं कि उद्योगों के प्रबन्ध का कोई वैकल्पिक ढंग अपनाया जाये, तो यह उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि दूसरी प्रणाली को हम अधिक सुविधायें न दें। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि २० लाख या ३० लाख की प्रदत्त पूंजी पर १० प्रतिशत कमीशन होना चाहिये और इस से अधिक पूंजी पर ७॥ प्रतिशत। इस से प्रबन्ध अभिकर्ताओं की समाप्ति स्वतः हो जायेगी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के उपबन्ध इतने उलझे हुए तथा कठिन हैं कि कोई भी समवाय लेखा परीक्षकों तथा व्यापारिक विधि-वेत्ताओं की मंत्रणा के बिना काम नहीं चला सकेगा। केवल बड़े समवाय और बड़े निगम ही इस का लाभ उठा सकेंगे और छोटे समवायों को कठिनाई होगी। छोटे समवायों को लेखा-परीक्षक तथा विधिवेत्ता रखने में कठिनाई होगी और वह उन का परामर्श प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वे यह नहीं समझ सकेंगे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। हमें आशा है कि अब हमारे देश का औद्योगीकरण होगा और गांवों के साहूकारों का स्थान सहकारी संस्थायें ले लेंगी। और थोड़ी बहुत पूंजी के साथ गांवों में छोटे पैमाने के उद्योग चलाये जायेंगे। यदि यह अधिनियम लागू किया गया तो उनके लिये इस संयुक्त स्कन्ध समवाय क्षेत्र में आना कठिन हो जायेगा। निःसन्देह वे सहकारी संस्थाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु हमें वास्तविक दृष्टिकोण से इस बात पर विचार करना है। मेरे विचार में वे इस सहकारी तरीके को शीघ्र नहीं अपनायेंगे। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों को विकसित करना चाहते हैं तो यह विधि उन के रास्ते में रोड़े अटकायेगी क्योंकि उन में से कोई भी विधि वेत्ताओं अथवा विशेषज्ञों का भार नहीं उठा सकती हैं। इसलिये माननीय वित्त मंत्री को किसी और तरीके पर विचार करना चाहिये, जिस से कि संयुक्त स्कन्ध समवायों के लाभ छोटे पैमाने के उद्योगों को भी प्राप्त कराये जा सकें।

माननीय मंत्री ने इस विधेयक को पुरः-स्थापित करते समय कहा था कि इस विधेयक का उद्देश्य समवायों को स्वस्थ तरीके पर चलाये जाने में सहायता देना है। किन्तु इस में उलझन होने के कारण उपक्रम की कमी हो सकती है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, और वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इन बातों पर विचार कर के उचित कार्यवाही करें।

सभापति महोदय : मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि कई माननीय सदस्य जिन्हों ने वाद विवाद में भाग लेने के लिये अपने नाम दिये थे अब यहां नहीं हैं। यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगी कि जिन्हें बोलना हो उन्हें बैठे रहना चाहिये अन्यथा प्रथम वाचन समाप्त हो जायेगा।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि जब से संयुक्त समिति ने इस विधान के बारे में प्रतिवेदन दिया है, तब से सामाजिक ढांचे में कई परिवर्तन हो चुके हैं, इसलिये हम इस विधान में संशोधन करते ही रहेंगे। यह परिवर्तन केवल इसी कारण नहीं किये गये

[श्री ए० एम० लिंगम]

हैं बल्कि इसी के समान अन्य विधियों पर यहां किया जा रहा विचार भी एक कारण है।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

मैं अधिक कुछ न कह कर केवल सभा का ध्यान दो या तीन महत्वपूर्ण बातों की ओर ही दिलाऊंगा ।

पहले तो समवाय विधेयक में सुधार करने का प्रयत्न करना ही एक असंभव सा कार्य प्रतीत होता है। इस प्रश्न के अन्तर्गत प्रबन्ध अभिकरणों के इतिहास पर दृष्टि डालना उचित है। प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली उस समय बढ़ी थी जब कि देश में कोई योजनाबद्ध औद्योगीकरण नहीं था और केवल लाभ उठाने तथा धन कमाने के प्रयोजन से ही उद्योगों का विकास किया जाता था। उस समय न ही अंशधारियों ने प्रबन्ध में कोई विशेष रुचि ली थी । यह बात इस लिये कही गई है कि सारा दोष प्रबन्ध अभिकर्ताओं को ही दिया जाता है। वास्तव में अंशधारियों ने प्रबन्ध के मामले में कभी कोई रुचि नहीं ली है। उन्हें अपना लाभांश ही पर्याप्त था। लेखा-परीक्षा का तरीका भी कोई अच्छा नहीं था। यदि यह तरीका भी ठीक होता तो भी अवस्था में पर्याप्त सुधार हो सकना संभव था। इस सम्बन्ध में मैं बाद में कहूंगा। अब मैं उन अवस्थाओं के कारण बताऊंगा जिन के कारण आज की वह स्थिति उत्पन्न हुई है जिस की कि हम आलोचना कर रहे हैं। एक कारण तो यह था कि सरकार का नियंत्रण अथवा अधीक्षण कम था। वास्तव में इस काम को करने के लिये सरकार की ओर से कोई व्यवस्था ही नहीं थी। केन्द्रीय सरकार ने यह काम अब अपने हाथ में लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री ने भाभा समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और वे संयुक्त स्कन्ध समवायों के काम की देखभाल करने के लिये एक कार्यकुशल विभाग बना रहे हैं। गत दिनों में यहां पर कोई भी पूर्ण रूपेण विकसित पूंजी बाजार नहीं था। परन्तु आज, स्थिति क्या है? आज तो, हमारी एक निश्चित अर्थ नीति है। हमारे निजी क्षेत्र का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। प्राय: यह शिकायत की जाती है कि पूंजी बाजार के बिना हमारे निजी क्षेत्र को बड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कोई विनियोजन नहीं होगा और देश के औद्योगीकरण को धक्का पहुंचेगा। गत दो वर्षों में उद्योगों के क्षेत्र में यह प्रगति दृष्टिगत हुई है। औद्योगिक वित्त निगम स्थापित किया गया है। फिर संघ सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा औद्योगिक ऋण तथा धन-विनियोग निगम बनाया गया है। फिर सरकार ने स्वयं परियोजनाओं की योजनायें बनाने के लिये तथा नये उद्योग स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय धन विनियोग विकास निगम बनाये हैं। हम ने इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया है। इस के अतिरिक्त हम कृषि के पुनर्संस्थापन तथा देश में सहकारी मार्केटिंग के विकास की कई योजनायें बना रहे हैं। इस प्रकार से आज हमारे देश की अर्थ नीति प्रत्येक क्षेत्र में विकसित हो रही है। हम पूंजी बाजार पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रह रहे, और इस के बिना भी देश की अर्थ नीति सुचारु रूप से चल रही है। और फिर हमारी अर्थ नीति एक आयोजित अर्थ नीति है और इस का मुख्य उद्देश्य है देश में एक समाजवादी समाज का निर्माण करना। अत: मैं यही कहना चाहता हूं कि संयुक्त समिति ने अपने प्रतिवेदन में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के सम्बन्ध में जो सिफारिश दी है, उस में महान परिवर्तन करने होंगे। हमें विधेयक में यह उपबन्ध करना होगा नये समवायों में एक तिथि विशेष के बाद प्रबन्ध अभिकरण नहीं रहेंगे ।

वर्तमान प्रबन्ध अभिकरणों के सम्बन्ध में सरकार को इस बात का निर्णय करने का अधिकार दिया गया है कि क्या किसी उद्योग विशेष के लिये प्रबन्ध अभिकरण रखने की आवश्यकता है या नहीं। इस के अतिरिक्त वर्तमान प्रबन्ध अभिकरणों को चालू रखने की अनुमति देने के बारे में भी सरकार को अधिकार है ।

प्रबन्ध अभिकरणों के नवीकरण की अनिश्चितता के कारण उद्योगों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: मैं तो यही कहूंगा कि प्रबन्ध अभिकरणों को एक एक निश्चित तिथि के पश्चात् बिल्कुल समाप्त ही कर दिया जाय ।

वित्त मंत्री महोदय द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलतापूर्वक कार्यान्विति की भारी जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए हैं, परन्तु मैं फिर भी कहूंगा कि हम अपनी आधारभूत विचारधाराओं पर दृढ़ रहते हुए कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे । यह तो सभा को मानना ही पड़ेगा कि प्रबन्ध अभिकरणों ने उद्योगों के विकास में पर्याप्त सहायता की है यद्यपि यह विकास कोई आयोजित विकास नहीं रहा है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे इस बात का शोक है कि मैं अन्तर्बाधा कर रहा हूं । क्या मैं यह समझूं कि माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि यदि कोई उद्योग अधिसूचित है तो उस वर्ग के नये उपक्रमों को तो उपबन्ध-अभिकरण रखने की स्वीकृति नहीं दी जाये, और वर्तमान प्रबन्ध अभिकरणों को चालू रहने की स्वीकृति दी जाये ? क्या उन का यही आशय है ?

श्री एन० एम० लिंगम : विधेयक के अनुसार किसी भी नवीन उद्योग में प्रबन्ध अभिकरण नहीं होगा । यह जब अधिसूचित हो जायेगा तो यह प्रतिषिद्ध वर्ग के अन्तर्गत आ जायेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : तो नोटिस की अवधि विशेष के पश्चात् वर्तमान अभिकरण भी समाप्त हो जायेंगे ।

श्री एन० एम० लिंगम : तब तो ठीक है। प्रबन्ध अभिकरण तो विशेष परिस्थितियों की देन थी, और अब इन परिवर्तित परिस्थितियों में इस के सम्बन्ध में निर्णय करना सभा का कार्य है। मेरा व्यक्तिगत विचार तो यह है कि अब हमें इस प्राचीन अवशेष को छोड़ ही देना चाहिये । मैं यह भी कहूंगा कि उद्योगों को अधिसूचित करने और प्रबन्ध अभिकरणों के नवीकरण के सम्बन्ध में सरकार को अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें अपितु इस के सम्बन्ध में एक निश्चित नीति बनाई जानी चाहिये । मेरा विचार यह है कि हमें यह निश्चय कर लेना चाहिये कि यह प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली केवल द्वितीय पंच वर्षीय योजना की समाप्ति तक ही चलेगी और उस के पश्चात् व्यापार प्रबन्ध के अन्य तरीके विकसित किये जायेंगे ।

संयुक्त स्कन्ध समवायों के लेखा-परीक्षण के सम्बन्ध में दो माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस का लेखा परीक्षण सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाय । मैं तो यहां तक कहूंगा कि सम्पूर्ण लेखा परीक्षण सेवा सरकार के नियंत्रण में ही हो। इस से भ्रष्टाचार आदि की बहुत सी समस्यायें जिन की पहले भी और अब भी आलोचना की गई है हल हो जायेंगी । मैं विधेयक के लेखा परीक्षण और लेखांकन सम्बन्धी विधेयक के वर्तमान उपबन्धों से सन्तुष्ट नहीं हूं क्योंकि उपबन्धों का अपवंचन किये जाने के इस में पर्याप्त अवसर हैं ।

मैं केन्द्रीय प्राधिकार के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जिस का उल्लेख माननीय वित्त मंत्री ने किया है । विधेयक के

[श्री एन० एम० लिंगम]

उपबन्ध केवल एक ऐसी परामर्शदात्री समिति की स्थापना का विचार करते हैं क्योंकि समवायों के प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाले सभी मामलों के बारे में सरकार को परामर्श दिया करेगी। इस के सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि एक स्वायत्तशासी निकाय स्थापित किया जाये जिस में सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो और इसे लेखा परीक्षण आदि से सम्बन्ध रखने वाले सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हों।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित समवाय विधेयक पर वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण को तुरन्त सुन कर मुझे बड़ी ही निराशा हुई है उन्हों ने इस बात की ओर संकेत किया है कि इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य अंशधारियों की हितों की रक्षा करना है।

हमारा देश यद्यपि राजनीतिक दृष्टि-कोण से तो स्वतन्त्र हो चुका है, परन्तु आर्थिक दृष्टिकोण से यह अभी भी परतन्त्र है। हमारी अर्थ नीति के अधिकांश भाग पर अभी तक विदेशी प्रभुत्व है। हमारे महत्वपूर्ण उद्योगों पर अभी तक विदेशी प्रभुत्व छाया हुआ है। जूट, तेल, चाय जैसे उद्योग अभी तक विदेशियों के हाथ में हैं।

हमारे दैनिक जीवन के भी प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी अर्थ नीति का प्रभाव फैला हुआ है। उदाहरणार्थ चाय को ही ले लीजिये। इस के मूल्य का ८५ प्रतिशत भाग विदेशियों को प्राप्त होता है। कोयले और ईंधन के लिये दिया गया धन भी विदेशियों के पास ही जाता है।

इस प्रकार से आज हम प्रत्येक दृष्टिकोण से विदेशियों पर ही निर्भर हैं। अतः आप स्वयं सोच सकते हैं कि हमारे देश का उत्थान कैसे हो सकता है।

अपनी अर्थ नीति को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिये यह विधेयक क्या करेगा? विदेशियों का यह प्रभुत्व विभिन्न-संयुक्त स्कन्ध समवायों द्वारा किया जा रहा है। यह विधेयक संयुक्त स्कन्ध समवायों को और अधिक प्रश्रय देना चाहता है, परन्तु अधिकांश समवाय विदेशी हैं। अतः इस विधेयक में विदेशी नियंत्रण से मुक्त कराने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। विदेशी प्रभुत्व के अतिरिक्त पूंजीवादी अर्थ प्रणाली के और दुर्गुण भी फैले हुए हैं।

वित्त मंत्री का यह कथन है कि सरकार की साधारण नीति बुराइयों और त्रुटियों का सुधार करना है। परन्तु मैं यह पूछता हूं कि क्या सामाजिक ढांचे को बदले बिना इस प्रकार का सुधार होना संभव है। हम चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, ये बुराइयां किसी न किसी रूप में तो रहेंगी। अतः वर्तमान परिस्थितियों में प्रस्तुत विधेयक किसी प्रकार का भी सुधार नहीं कर सकता है।

सभापति महोदय : इस समय तो आप को विधेयक के केवल उसी रूप की चर्चा करनी चाहिये जिस रूप में वह संयुक्त समिति से प्राप्त हुआ है। इस समय तो केवल परिवर्तनों के विषय में ही चर्चा की जानी चाहिये।

श्री साधन गुप्त : मैं ने कई परिवर्तनों के सुझाव दिये थे, परन्तु कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।

श्री एस० एस० मोरे : हम केवल एक सिद्धान्त से बंधे हुए हैं कि समवायों का नियंत्रण करने के लिये कोई समवाय विधि होनी चाहिये। यह समेकन कर्ता उपक्रम है, इसलिये इस का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है।

सभापति महोदय : विधेयक को संयुक्त समिति को भेजे जाते समय यह सुझाव और आपत्तियां की जा सकती थीं किन्तु अब तो संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और संशोधनों सहित विधेयक वापिस आ गया है ।

श्री एस० एस० मोरे : संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किये जाते समय हम ने सुझाव किये थे, और अब हमें यह देखना है कि उन को कहां तक अपनाया गया है, इसलिये उन का उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है ।

सभापति महोदय : विधेयक के उपबन्धों का वर्णन करते हुए इस बात पर भी प्रकाश डाला जा सकता है कि क्या कुछ किया गया है और क्या नहीं किया गया है ।

श्री साधन गुप्त: मैं ने विदेशियों पर हमारे अविलम्बित होने के सम्बन्ध में कहा था और इस बारे में सुझाव किये थे । उस के उपरान्त संयुक्त समिति ने इस पर विचार किया है, किन्तु उस ने मेरे सुझाव के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

संयुक्त समिति ने जो कुछ किया है और जो कुछ नहीं किया है, हमें उस की आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है और विशेष कर उस स्थिति में जब कि उस का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित कराया गया था ।

मेरा यह मत है कि इन उपबन्धों को विधेयक में स्थान अवश्य मिलना चाहिये, और हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को विदेशी नियंत्रण के पंजे से मुक्त कराने का प्रयत्न करना ही चाहिये ।

विदेशी नियंत्रण कई प्रकार से किया जाता है, प्रथमतया प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के द्वारा विदेशी लोग भारत को धन के विनियोजन का एक स्थान समझते हैं, हमें विदेशी पूंजी के इस विनियोजन को रोकना चाहिये । विदेशियों के पास पर्याप्त साधन होने से वे यहां अच्छा व्यापार करते हैं और हमारे उद्योगों तथा यहां के उद्योगपतियों से प्रतियोगिता करते हैं । यदि उन्हें ऐसा करते रहने दिया गया, तो हमारे देश को उन लोगों से बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा, जो यहां उद्योगों को स्थापित एवं विकसित करने के इच्छुक हैं। विदेशी लोग ऐसे सभी धन्धों में भी हाथ डाल रहे हैं, जिन्हें हमारे देशवासी अच्छी तरह चला सकते हैं । इस विधेयक में उन के द्वारा विनियोजन किये जाने पर कोई रुकावट या सीमा बधंन नहीं लगाया गया है । मेरा यह निवेदन है कि विदेशी पूंजी को पूर्णतः रोक दिया जाना चाहिये । यदि किसी उद्योग की स्थापना के लिये विदेशी धन के बिना काम न चले, तो हमें विदेशी पूंजी को सरकारी स्तर पर ऋण के रूप में स्वीकार करना चाहिये विनियोजन पूंजी के रूप में नहीं । ऋण पर ब्याज दे कर हम उस धन की सहायता से अपने संसाधनों को बढ़ा सकते हैं । परन्तु सरकार ऐसे न करके विदेशियों को धन का विनियोजन करने की अनुमति दे रही है, जिस का परिणाम यह होता है कि सारा लाभ विदेशियों को मिलता है और हमारे देशवासियों को मजूरी के अतिरिक्त कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि विदेशी विनियोजन पर पूर्णतया रोक लगा दी जानी चाहिये । परन्तु सरकार को ऐसा करने में कठिनाई प्रतीत होगी । परन्तु हम इतनी आशा तो अवश्य रखते हैं कि विदेशी पूंजी को कुछ प्रतिशतता से अधिक न बढ़ने दिया जाये और केवल उन्हीं उद्योगों में विदेशी पूंजी लगाई जाये जिन में हमारे व्यवसायियों अथवा सरकार को धन लगाना कठिन प्रतीत होता हो । विदेशी पूंजी घटाने के निमित्त इस प्रकार का विनियमन अवश्य होना चाहिये । संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में इस का उपबन्ध न होने पर मुझे आपत्ति है ।

अब हमें यह देखना है कि बुराइयों और दुरुपयोग को करने की सरकारी नीति इस

[श्री साधन गुप्त]

के द्वारा कहां तक सफल हो सकती है। प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली या किसी भी प्रकार के पूंजीवाद की प्रणाली पर आश्रित व्यापार और उद्योग में बुराइयों और दुरुपयोग को प्रश्रय मिलता है। पुराने विधेयक में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को हटाने की सिफारिश की गई थी, परन्तु इस प्रतिवेदन में इस प्रणाली को किसी न किसी रूप और मात्रा में जीवित रखने का प्रयास किया गया दिखाई देता है। इन मर्यादाओं और सीमा का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि ये प्रबन्ध अभिकर्ता किसी न किसी प्रकार अपने आदमियों को आगे ले आते हैं। हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति ने अपने रसोइये को कतिपय समवायों का निदेशक बना रखा है। सम्बन्धियों पर रोक लगाने मात्र से अधिनियम कारगर नहीं हो सकता। और भी अनेक उपायों के द्वारा ये अभिकर्ता अधिनियम को प्रभावहीन बना देंगे। बम्बई अंशधारी संघ ने प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के बनाये रखे जाने की मांग की है। जिस से कि यह अंशधारी अपने लाभांश से मतलब रखते हैं, और उन्हें छोटे अंशधारियों तथा समवाय के मामलों से कोई दिलचस्पी नहीं होती है। ये अंशधारी भी प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के पक्षपाती हैं। इसको भी छोड़िये, प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली बुरी है, इसे बन्द करना समस्त देश और देश की अर्थ व्यवस्था के लिये लाभदायक है। किसी उद्योग में थोड़ी पूंजी लगाकर विदेशी उस समस्त उद्योग पर नियंत्रण करते हैं अथवा दो या तीन साथों के द्वारा उद्योग पर नियंत्रण करते हैं, इन समस्याओं का समस्त देश से सम्बन्ध है, केवल अंशधारियों से ही नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री के इस तर्क से प्रभावित नहीं हो सकता कि बम्बई अंशधारी संघ ने प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के कायम रखने की मांग की है।

प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की सब से बड़ी बुराई यह है कि इस ने सब उद्योगों पर और हमारी अर्थ व्यवस्था पर विदेशी हितों का नियंत्रण स्थापित करने में सहायता दी है। विदेशी लोग किसी समवाय में अधिकतम अंशों के द्वारा अथवा जहां उन के अंश कम हों वहां प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के द्वारा अपना नियंत्रण एवं प्रभुत्व जमा लेते हैं। इस प्रकार बहुत कम पूंजी लगा कर वे हमारी अर्थ व्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार जमाये बैठे हैं। यह सब से बड़ा रोग है, इसीलिये हम इस प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं।

प्रबन्ध अभिकर्ता कई कई समवायों का एक साथ प्रबन्ध करते हैं। और लेखाओं में गड़बड़ कर के एक समवाय में लाभ दिखा कर दूसरे समवाय में हानि दिखाते हैं और इस प्रकार वे वैध करों से बच जाते हैं, और अपने कर्मचारियों को उचित मजदूरी नहीं देते हैं।

प्रबन्ध अभिकर्ता एक और गड़बड़ करते हैं। वे अपनी सुविधा और लाभ के अनुसार कर्मचारियों को चलाते हैं और उन को यह भी नहीं बताते कि वे समवाय के कर्मचारी हैं अथवा प्रबन्ध अभिकरण को जब मजूरी अथवा अन्य पारिश्रमिक देने का समय आता है तो वे उन्हें समवाय के कर्मचारी कह कर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं और जब उन को अन्य समवाय में स्थानान्तरण करने में लाभ देखते हैं तो कहते हैं कि वे उनके निजी कर्मचारी हैं। इस प्रकार वे अभिकर्ता उन को धोका देते रहते हैं। और लेखाओं में धांधली करते हैं। इसलिये सीमित स्तर तक भी प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को नहीं रखना चाहिये, क्योंकि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के हाथ में एक से अधिक समवाय होने से वे सरलतापूर्वक लेखाओं में गड़बड़ी और धांधली कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य परसों अपना भाषण जारी रखेंगे।

इस के पश्चात् लोक-सभा, शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५ को, ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।